राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २४वां दिवस [संख्या १९

गुरूवार, दिनांक ५ अप्रेल १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, स्वायत शासन, विधि एवं शक्ति-विभाग]

प्रश्न संख्या ११०

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री श्रवणलाल।

गम्भीर नदी पर पुल का निर्माण

१११. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार ने तहसील हिन्डौन के ग्राम महूईब्राहिमपुर के पास गम्भीर नदी पर कोई पुल बनवाना आरम्भ किया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ? इसमें कुल कितना व्यय होगा तथा ठेका किसको दिया गया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) जी नहीं, टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) टेन्डर आमन्त्रित कब किये गये, सर ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अप्रेल में ही।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ऐसी कोई योजना है कि यह सड़क कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो पुल है सड़क नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : सड़क भी पुलिया का ही अंग है, आप घबराइये नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका टेन्डर कॉल किया गया है और वर्क ऑर्डर के ठेकेदार को दो साल का टाइम दिया गया है।

प्रश्न संख्या ११२

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह झाला।

परिवार नियोजन

११३. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत राजस्थान में फरवरी, १९६२ तक कुल कितने पुरुष तथा महिलाओं ने ऑपरेशन कराया ?

(२) इससे राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि में माहवारी औसतन कितनी कमी हुई ?

(३) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा राजस्थान में कुल कितने परिवार नियोजन केन्द्र खुले हुए हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) परिवार नियोजन के अन्तर्गत राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों में ३,४४५ पुरुष, ३,५५३ महिलाओं ने ऑपरेशन कराये व ७७२ पुरुषों ने विभिन्न शिविरों में ऑपरेशन करवाये। इस प्रकार कुल ७,७७० ऑपरेशन किये गये।

(२) यह बतलाना असम्भव है कि राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि में माहवारी औसत कितनी कम हुई; क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन यहां पर कम्पलसरी नहीं है।

(३) इस योजना के अन्तर्गत कुल ६.३६ लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई। अब तक राजस्थान में कुल १४० परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि इस परिवार नियोजन योजना से पोपुलेशन में कितनी परसेन्टेज कमी हुई, क्या इसकी जानकारी आज दिन तक सरकार ने नहीं की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कृपया फिर से पूछने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह था कि परिवार नियोजन योजना से परसेन्टेज पोपुलेशन में कितनी कमी हुई ? क्या इसकी जानकारी आज दिन तक सरकार ने नहीं की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसका उत्तर मैंने दूसरे भाग में दे दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : उत्तर तो यह दिया है कि बताना असंभव है, तो फिर दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए क्या प्रयत्न किये गये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : भविष्य में इसके लिए कोशिश की जायेगी।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह मानते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि पोपुलेशन कम हो और दरअसल में पोपुलेशन कम होती है या नहीं, इस योजना के अन्तर्गत; यह जानकारी नहीं की गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब इस ओर प्रयास है तो कम होती है।

श्री विजयसिंह झाला : प्रयास तो है लेकिन कमी हुई है या नहीं, इसके लिए सरकार ने क्या जानकारी की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब कोई कॉज होता है तो उसका एक्शन होता ही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि ऑपरेशन कितने कामयाब हुए ? उनसे नतीजा निकल सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, इस योजना के प्रचार में कितना खर्च किया गया और उसका क्या फल निकला ?

श्री अध्यक्ष : कुल ६.३६ लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सवाल यह है कि दरअसल में ऑपरेशन्स होते हैं उनके लिए खर्चा होता है उसके बारे में क्या कामयाबी होती है और उसके अनुसार पोपुलेशन कम होती है या नहीं ? मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इसी प्रकार पैसा खर्च करते गए और उसका कोई एक्शन कहीं हो तो उस एक्शन को जानने के लिए सरकार ने कोई जानकारी की या ऐसे ही इस परिवार नियोजन के लिए पैसा खर्च करती रहेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन जिन का ऑपरेशन हुआ उनसे तो जानकारी नहीं ली, लेकिन ऐसी शिकायत नहीं हुई कि ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन नाकामयाब हुए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी करुंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे कि यह योजना जनता के लिए ही लागू की गई है या मन्त्री महोदयों में से भी किसी ने इससे लाभ उठाया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : मन्त्री महोदय जनता से अलग नहीं और न जनता से अलग किए जा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कितने परसेन्ट लोगों ने ऐसा किया ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : You must remember that the Hon'ble Minster for Health is a bachelor.

श्री मानसिंह महार : What about the Hon'ble Home Minister, Sir ?

Page No. 4

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं और एक एक करके सब मिनिस्टरों के कच्चे चिट्ठे लिए जाते हैं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री मानसिंह महार : क्या यह सही है कि एक ही नहीं बल्कि दो दो संतानें उत्पन्न होती हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, दूसरों को रश्क करने की जरूरत नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार ने इस पर भी सोचा है कि इस ऑपरेशन से स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है ?

श्री बरकतुल्लाखां : आम तोर से यह खयाल किया जाता है और मेडिकल ओपीनियन यह है कि इससे तो उल्टे तन्दुरूस्ती बेहतर होती है। अगर किसी को यकीन नहीं हैं तो ऑपरेशन करवा कर देख लें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसका सबूत है। श्री जवानसिंहजी ने ऑपरेशन कराया है। अभी तक बीमारी से ठीक नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष : और कारण होगा उसका।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही है कि जो पंचायत समितियां इस तरह के ऑपरेशन के लिए कैम्प लगाना चाहती हैं उनको कोई भी धनराशि राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : This is an important quesstion as to how Government proposes to do field work in this connection.

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पूरी तरह से सहायता दी जाती है। जहां जहां हॉस्पिटल होते हैं वहां हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिविरों में जाते हैं और गाइडेन्स देते हैं, वहां करना होता है तो वहां करते हैं वर्ना अस्पताल में लाकर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक चीज सोचनी है कि इतना रुपया इस पर खर्च हुआ और जितना काम हुआ उसके हिसाब से आप इसका रिव्यू करके जितनी प्रगति हुई वह सन्तोषजनक है या नहीं या; इसको कोई नया मोड़ देना चाहते हैं। This is a very expensive scheme and this is the result that is produced.

श्री बरकतुल्लाखां : I will try my best to evaluate the results achieved so far and in the light of experience, we will try to amend our ways in future.

श्री विजयसिंह झाला : इसका मतलब, क्या हम यह विश्वास करें कि आपने इसके लिए कोई जानकारी नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न कई बार पूछ चुके हैं।

नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

अलवर म्युनिसिपल कौन्सिल द्वारा चुंगी की नई दरें

११४. **श्री रामानन्द अग्रवाल**(अलवर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि अलवर म्युनिसिपल कौन्सिल की चुंगी को मोल के आधार पर लगाने के बजाय तोल पर लगाने का निर्णय लिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि अलवर म्युनिसिपल कौन्सिल ने चुंगी के यह नये दर १ अप्रेल, १९६२ से लागू करने का फैसला किया है ?

(ग) क्या अलवर म्युनिसिपल कौन्सिल ने अपना निर्णय राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है ?

(घ) क्या राज्य सरकार ने म्युनिसिपल कौन्सिल, अलवर को इस निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ?

(ङ) यदि नहीं, तो राज्य सरकार का इसको स्वीकृति देने पर क्या इरादा है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां, यह सही है।

(ख) जी हां, यह सही है।

(ग) जी हां, ऐसा प्रस्ताव निर्देशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय में दिनांक २०–३–६२ को प्राप्त हुआ है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) संशोधित चुंगी अनुसूची के विषय में नगरपरिषद से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वह अपूर्ण था इसलिए उसके संबंध में और सूचना चाही गई है। चाही गई सूचना प्राप्त होने पर ही विचार सम्भव होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अलवर नगर म्युनिसिपल परिषद ने इन नई दरों को लागू भी कर दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी नहीं है और बिना स्वीकृति के लागू भी नहीं करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार के पास यह स्वीकृति के लिए कौनसी तारीख को प्राप्त हुई ?

श्री दौलतराम सारण : २०–३–६२ को डाइरेक्टर, लोकल बॉडीज़ के कार्यालय में आई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इसमें स्वीकृति देने में बहुत देरी की है; जब वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने यह आश्वासन दिलाया था कि हम एक अप्रेल को लागू कर देंगे और इस तरह की जानकारी सरकार ने दी भी है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोई भी वायदा नहीं किया। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है सिर्फ रबर स्टाम्प लगाने का तरीका ही रह जाये तो ठीक नहीं होगा। स्क्रुटिनी का मतलब यह है कि स्क्रुटिनाइज़ किया जाय, उसके प्रोस एण्ड कोन्स को सोचा जाय और फिर उसके बाद में उसका जवाब दिया जाये।

Page No. 6

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या राजस्थान में चुंगी के नियम एक से हों ऐसा नियम बनाया जा रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : हां, ऐसा नियम बनाया जा रहा है । मैं पहले ही हाउस में उत्तर दे चुका हूँ, लेकिन इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : फिर भी उत्तर दे दिया आपने ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को उसूलन तौर पर चुंगी लगाने में कोई एतराज नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला ।

फिशरीज़ प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर

११५. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर में फिशरज़ प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सरकार की ओर से खोला गया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) इसमें कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं तथा इसका सालाना बजट कितना है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल):
(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह झाला : पॉइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन सर, मैं अर्ज करूंगा कि मेरा मतलब प्रशिक्षण से रिसर्च का है । क्या वहां कई ऑफिसर्स हैं ? अगर हैं, तो वहां कितने आदमी लगे हुए हैं, इसका उत्तर दिया जाये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके बारे में यह कहना है कि वहां पर फिशरीज़ की अनुसन्धानशाला है और उसके अन्दर निम्नलिखित कर्मचारी काम कर रहे हैं:—

फिशरीज़ रिसर्च ऑफिसर,
फिशरीज़ रिसर्च असिस्टेन्ट,
लेबोरेटरी असिस्टेन्ट,
फील्डमैन,
चौकीदार और
फिशरमैन ।

श्री विजयसिंह झाला : तो यह रिसर्च सेन्टर कब खुला और उदयपुर ज़िले में इसकी उद्देश्यपूर्ति के लिए क्या कार्य किये गये हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने क्योंकि ट्रेनिंग सेन्टर का पूछा था, यह कब स्थापित हुआ, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है । जिस उद्देश्य के लिए खोला गया है वह बराबर एचीव करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री विजयसिंह झाला : आप इसका उत्तर तो दें ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें ।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि जो पैसा खर्च किया गया है उसकी पूर्ति के लिये क्या क्या किया और क्या क्या प्रगति इसने यहां की ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : इसकी स्थापना हुए २ साल हुए हैं। इसका रिसर्च का काम है वह कोई पीरियड से कनेक्शन नहीं रखता है। रिसर्च तो यह है कि कितनी फिशेज हैं उसकी सर्वे करना, किस तरह से उनका ब्रीडिंग किया जा सकता है और किस तरह से खाना डालने से शरीर अच्छा बन सकता है, कई पॉइन्ट्स हैं। यह लेबोरेटरी रिसर्च करेंगे और प्रिलिमिनेरी काम शुरू कर दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इसकी सालाना प्रगति की रिपोर्ट मंत्री महोदय के पास आती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हर चीज की प्रगति रिपोर्ट मंत्री महोदय के पास आये जरूरी नहीं है। उनके ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट के हैड्स हैं और दूसरे लोग हैं जो अलग अलग अपनी अपनी ब्रान्चेज़ को देखते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : रिसर्च के लिए क्या रिपोर्ट आई है ? रिसर्च के वर्क में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिसर्च करते करते सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : ऐसे कौन से प्रोब्लम्स हैं जिन पर रिसर्च किया जा रहा है ? उसकी भी जानकारी नहीं की जाय जिन पर कि पैसा खर्च किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिसर्च करने के लिए खर्च किया जाता है। रिसर्च के परिणाम देर से आते हैं।

नाथद्वारा में सिविल एण्ड एसिस्टेन्ट सेशन्स जज के न्यायालय की स्थापना

११६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नाथद्वारा में सिविल एण्ड असिस्टेन्ट सेशन्स जज का न्यायालय स्थापित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो इस मामले में कार्यवाही किस स्टेज पर है तथा कब तक सिविल व असिस्टेन्ट सेशन्स जजी नाथद्वारा में खुल जायगी ?

उप मन्त्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) नाथद्वारा में व्यवहार एवं सहायक सूत्र न्यायाधीश न्यायालय के स्थापित करने संबंधी कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह झाला : क्या नाथद्वारा बार एसोसियेशन की तरफ से और नाथद्वारा की जनता की तरफ से कागजात सम्बन्धित किसी भी विभाग में इस कार्य के लिए नहीं आये ?

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : प्रश्न वापिस करिये।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इस संबंध में इस विषय के कोई भी कागजात नाथद्वारा की जनता की ओर से या नाथद्वारा बार-

Page No. 8

(श्री विजयसिंह झाला)

एसोसियेशन की तरफ से किसी भी सम्बन्धित विभाग में नहीं आये ?

श्री मथुरादास माथुर : रिप्रेजेन्टेशन चलते रहते हैं और आते रहते हैं। पब्लिक की तरफ से आये होंगे तो एग्जामिन कर लिये होंगे । बाफना कमेटी ने एक्जामिन किया था। उसके बाद में मुनासिब समझा कि वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट रह सकता है और सिविल जज नहीं रह सकता है । उसके बाद मामला ड्रॉप कर दिया गया ।

श्री विजयसिंह झाला : उसके बाद में कागजात आये हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : कौन से कागजात ? बहुत से कागजात आते हैं ।

श्रीविजयसिंह झाला : इस विषय को लेकर ।

श्री मथुरादास मथुर : मेरे पास कोई कागजात नहीं आये ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मंत्री महोदय ने फरमाया कि बाफना कमेटी, का, तो क्या बाफना कमेटी की रिपोर्ट पूर्ण रूप से तामील की जाती है ?

श्री मथुरादास माथुर : बाफना कमेटी ने इसकी जांच की है और वह हर जगह गई है और वहाँ केसेज के नम्बर को देखा है। नम्बर ऑफ केसेज को देखते हुए उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। जहां तक नाथद्वारा से सम्बन्ध है वहां पर केसेज बहुत थोड़े हैं। आप मुझ से पूछते कि केसेज का नम्बर क्या है, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता था, तो मैं बताता कि नम्बर ऑफ केसेज बहुत थोड़ा है, इसलिए नहीं हो सकता ।

भांडारेज मोड़-उकाली सड़क

११७. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय-सु) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भांडारेज मोड़ से उकाली तक सड़क बनाने का ठेका दिये कितना समय हो गया है ?

(२) क्या वह सड़क अभी तक अपूर्ण हालत में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) अब कितने समय में सरकार उसे पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सवा ५ साल ।

(२) मील ४० से ८० तक कार्य चालू है । बाकी कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

(३) ठेकेदार की ओर से लीड के प्रश्न के कारण ।

(४) आशा है वर्ष १९६२-६३ में ।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : क्या इस तरीके से ६ साल से इस सड़क का काम चल रहा है और ठेकेदार ने काम नहीं किया तो उसके लिए ठेकेदार को हटाने की कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें लीड का बाकी था। इसकी वजह भी देखी जायगी कि किस वजह से डिले हुई है। अगर ठेकेदार का कारण होगा तो उसको नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : ६ साल तक यह झगड़ा चलता रहा और कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चलता रहा यह झगड़ा, तभी तो काम बाकी रहा।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : क्या कार्यवाही की गई उस पर पैनेल्टी कायम करने की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें देखा जायगा कि लीड जो बाकी है वह वाजिब है या नहीं। अगर गैर वाजिब होगा तो नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर): कितने साल हो गये उसको ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कह दिया कि ६२–६३ में सड़क पूरी हो जायगी।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट—बीकानेर

११८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर शहर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम होने के पश्चात् कितनी योजनाएं स्वीकृति हेतु सरकार के पास भेजी जा चुकी हैं ?

(२) ट्रस्ट की किसी योजना को कार्यान्वित करने में कम से कम कितना समय लगता है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : बीकानेर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ४ योजनाएं सरकार के पास स्वीकृति को भेजी हैं।

(२) करीब करीब ७ व ८ माह लग जाते हैं।

श्री भीमसेन : योजना जो भेजी है सर्व प्रथम ट्रस्ट की ओर से तो सरकार ने उसकी स्वीकृति में कितना टाइम लगाया है ?

श्री दौलतराम सारण : योजनाएं अलग अलग समय पर आई हैं।

श्री भीमसेन : सबसे पहले जो योजना भेजी गई उसमें सरकार ने स्वीकृति देने में कितना समय लगाया है ?

श्री दौलतराम सारण : सबसे पहली योजना कब भेजी गई है, उसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन एक योजना की स्वीकृति मिली है मोर्डन मार्केट की स्कीम की।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, सरकार योजना की स्वीकृति में अनावश्यक देरी करती है; इसी कारण से मैंने प्रश्न रखा था और उसका जवाब नहीं मिलता है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि योजनाएं जो हैं उनको पूरा करने में करीब ७–८ माह का समय लग जाता है। उसका कारण यह है कि कई तरह की आपत्तियां देखी जाती हैं, उनका फैसला किया

Page No. 10

(श्री दौलतराम सारण)

जाता है और फिर अन्तिम निर्णय लिया जाता है और फिर उसकी स्वीकृति होती है। एतराजात सरकार के पास में आते हैं उनमें काफी समय लग जाता है। लेकिन इन योजनाओं में जो आप कहते हैं कि बहुत अधिक समय लगा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे नागनीचीजी के मन्दिर की सड़क की योजना है। यह योजना आई थी ५-१-६२ को और जस्सूसर दरवाजे वाली आई थी ८-१-६२ को, सादूलगंज-वाली आई थी ६-३-६२ को। इनमें आप देखते हैं कि ज्यादा समय नहीं लगा है जितना कि आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत ज्यादा समय लगाती है।

श्री भीमसेन : आम तौर से एक योजना को स्वीकार करने में स्टेट लेवल पर कितना समय चाहिए?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री दौलतराम सारण : वह तो अलग अलग योजनाओं....

श्री अध्यक्ष : Order please !

प्रश्न संख्या ११६

अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

सवाई माधोपुर जिले में डॉक्टरों की नियुक्तियां

१२० **महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करोली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई माधोपुर जिले में कितने स्थानों पर डॉक्टरों की नियुक्तियां १६६०-६१ में की गई? ऐसे कितने और कौन से स्थान अभी तक रिक्त हैं?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : सवाई माधोपुर जिले में १८ स्थानों पर डॉक्टरों की नियुक्तियां १६६०-६१ में की गई। १६ स्थान जो ता० २६-३-६२ को रिक्त थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट सं० १ देखिये)

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : यह स्थान कब से रिक्त हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी जानकारी नहीं है।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : इनकी पूर्ति कब तक होगी?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डॉक्टर्स के जाने पर पूर्ति होगी। अपोइन्टमेन्ट्स किये गये हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं गये हैं। इसलिए आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि पूर्ति कब तक होगी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि वहां १०-१५ साल से डॉक्टर नहीं है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : डॉक्टर्स की पूरी कमी है। जैसे जैसे डॉक्टर्स मिलते जाते हैं उसी के अनुसार भेजते जाते हैं। कोई जगह मेरी जानकारी में ऐसी नहीं है जहां कि १० साल से कोई डॉक्टर नहीं गया हो।

एक माननीय सदस्य : मंडरायल सब तहसील में सन् ५२ से आज तक कोई डॉक्टर नहीं पहुँचा है। मैं बता दूं, यदि मंत्री महोदय को जानकारी नहीं हो तो।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टरी का जो काम कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट पर क्यों पहुंचाया जाता है ?

श्री बरकतुल्लाखां : डॉक्टरों को आम तौर से एक्सटेन्शन ५५ से ५८ की उम्र तक का दिया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या कारण है कि जब कि मर्यादाएं स्पेशलिस्टों की बढ़ा दी जाती है तो क्यों न डॉक्टरों की बढ़ा दी जाय और जहां अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं उन अस्पतालों में उनको भेज दिया जाय ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह एक सुझाव है जिस पर गौर किया जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या राजस्थान में ऐसी और भी कई डिस्पेन्सरीज हैं जहां डॉक्टरों की कमी है ?

श्री बरकतुल्लाखां : बहुत सी डिस्पेन्सरीज में डॉक्टरों का अभाव है। वहां पर फर्स्ट ग्रेड के कम्पाउन्डर्स वर्क कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि १० वर्ष तक डॉक्टर नहीं है। वह कमी कब तक पूरी होगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : क्वेश्चन आवर में एश्योरेन्स नहीं दे सकता, लेकिन यह कह सकता हूँ कि जानकारी करके जो मुनासिब कदम होगा वह उठाया जा सकता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इतनी देर के बाद भी जानकारी नहीं हो सकी ?

जयपुर-आगरा रोड़ को जयपुर दिल्ली के हाईवे से मिलाने की योजना

१२१. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर-आगरा रोड़ को जयपुर दिल्ली के हाईवे से मिलाने के लिए कोई सड़क बनाई जाने वाली है ?

(२) यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण में कितनी एग्रीकल्चरल व कितनी नान-एग्रीकल्चरल भूमि की आवश्यकता होगी ? ब्योरा सदन की मेज पर रखा जावे।

(३) क्या यह सड़क खास बदनपुरा में स्थित कब्रिस्तान व ईदगाह की भूमि पर भी बनाई जावेगी ?

(४) यदि हां, तो क्या कब्रिस्तान व ईदगाह की भूमि के अतिरिक्त कोई ऐसी भूमि नहीं है जिसे सड़क के निर्माण हेतु कार्य में लिया जा सके ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) एग्रीकल्चरल लैण्ड

	१५४ बीघा, १७ बिस्वा
नॉन-एग्रीकल्चरल लैण्ड	
	६० बीघा, १० बिस्वा
योग	१८५ बीघा, ७ बिस्वा

(३) अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता, पुनः सर्वे कराया जा रहा है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसमें निवेदन करना यह था कि जहां तक एग्रीकलचरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैण्ड है वह दी जायगी या नहीं दी जायगी, यह प्रश्न नहीं है। वह तो बात हो गई। वह अलग प्रश्न है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके ऊपर कुछ लोगों की मांग रही है कि उनका नुकसान होता है तो फिर दुबारा सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद में निश्चित किया जायगा कि जमीन आ रही है या नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सर्वे करा कर आपने नपाया है और उसको चालू कर दिया है और आप जवाब दे रहे हैं कि आयेगी या नहीं, यह आश्चर्य की बात है!

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जमीन आनेवाली है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दुबारा सर्वे करवाया जा रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अब तक आपने सर्वे नहीं करवाया क्या?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का कहना है कि सर्वे की गई, कुछ की जमीन आई उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन्स दिये इसलिए वापिस जांच की जा रही है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा स्पेसिफिक सवाल है। कब्रिस्तान की जमीन ली जा रही है या नहीं, कुछ लोगों की जमीन का सवाल नहीं है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कब्रिस्तानों के बारे में भी प्रार्थना-पत्र आये हैं, उन पर विचार किया जा रहा है।

जालोर में पक्की सड़कों का निर्माण

१२२. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :....

(१) क्या जालोर में हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जालोर में सिर्फ पक्की सड़कें बनाई जावेंगी और भविष्य में ग्रेवल रोड का निर्माण नहीं किया जायगा?

(२) अगर हां, तो उसके बाद जालोर में सांचोर-भवातड़ा ग्रेवल क्यों बनाई गई।

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) उपरोक्त कार्य निर्णय होने से पहले शुरू करा दिया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: यदि ऐसी गलती हुई है तो सरकार उन सम्बन्धित अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन लेगी?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : इसका ठेका पहले दे दिया गया था और उसको बीच में तोड़ना ठीक नहीं समझा गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ठेका मन्त्री-मण्डल की बैठक के बाद दिया गया था या पहले ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो मन्त्री मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जालोर डिस्ट्रिक्ट में सड़कें पक्की बनवाई जायेंगी, वह बैठक १६.२.६० को हुई थी और ठेका उससे पहले १०-५-५६ को दे दिया गया था।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या जालोर से भीनमाल तक की सड़क मन्त्रिमण्डल की बैठक के बाद बनी और ग्रेवल रोड बनी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या मालपुर से जालोर तक की रोड मन्त्रिमण्डल की बैठक के बाद नहीं बनी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अब भी आपने प्रावधान रखा है कि जालोर जिले में पूरी सड़कें ग्रेवल की बनाई जायेंगी, क्या यह सच है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अब ग्रेवल का सवाल नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पक्की रोड्स का बिल्कुल एलोकेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेवल रोड्स का पूरे जिले में प्रावधान है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जहां तक जालोर जिले में सड़कें बनाने का प्रश्न है, केबिनेट ने निर्णय लिया था कि पक्की सड़कें बनाई जावें। लेकिन जितनी धन राशि उपलब्ध है उससे पक्की सड़कें नहीं बना सकते। पहले ग्रेवल रोड्स बनाई जा रही हैं, फिर यदि पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हुई तो पक्की बनाई जावेंगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यदि सरकार पूरी सड़क को पक्की नहीं बना सकती तो और थोड़े रुपये मिलते हैं तो उतने रुपयों में टुकड़ों के रुप में पक्की सड़कें बनाने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यदि माननीय सदस्य बतावें कि किस तरह से एडजस्टमेन्ट हो सकता है; बनाने की कोशिश करेंगे।

सूरतगढ़ में होस्पिटल खोलने की योजना

१२३. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सूरतगढ़ में होस्पिटल बनाने की योजना है तथा क्या वहां २५ बैड का होस्पिटल खोलने की मंजूरी हो चुकी थी ?

(२) यदि हां, तो मंजूरी होने पर भी होस्पिटल क्यों नहीं खोला गया ?

(३) अब राजस्थान सरकार उस मंजूर शुदा होस्पिटल को कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) (१) जी हां। सूरतगढ़ (राजस्थान नहर क्षेत्र) में होस्पिटल खोलने की योजना

(उप मंत्री स्वास्थ्य)

है । २५ बैड का होस्पिटल खोलने की स्वीकृति अभी नहीं हुई है ।

(२) जैसा भाग (१) के उत्तर में निवेदन किया जा चुका है कि अस्पताल खोलने की अभी स्वीकृति नहीं दी गई है; अत: ऐसी स्थिति में मंजूरी होने पर अस्पताल क्यों नहीं खोला गया, यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

भाखरा विद्युत् योजना

१२४. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या भाखरा से आने वाली बिजली के विषय में यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जा चुका है कि पंजाब की सीमा से १६ मील की परिधि के भीतर आने वाले राजस्थान के ग्रामों को बिजली दी जायेगी ?

(२) यदि हां, तो अब तक सर्वे आदि हो जाने के पश्चात् भी कस्बा रामगढ़ को यह बिजली क्यों नहीं दी गई ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुमारी उमा माथुर : क्या इसके विषय में सर्वे नहीं हो चुकी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे तो हुई होगी ।

कुमारी उमा माथुर : किस आधार पर सर्वे की गई थी ? बिजली किधर से दी जानेवाली है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पंजाब बोर्डर के ऊपर गांव हैं उनके लिये जो राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ है उसके अन्तर्गत बिजली देने को है ।

कुमारी उमा माथुर : इसी विषय में मेरा प्रश्न था । जो निर्णय हुआ है उसके अनुसार रामगढ में बिजली दी जानी चाहिये । क्यों नहीं दी गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा निर्णय सरकार ने नहीं लिया है कि रामगढ में बिजली दी जाय । लेकिन यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि बिजली पहुंचाई जा सके तो पहुँचाई जाय ।

कुमारी उमा माथुर : इरादा था सरकार का वहां बिजली देने का, उसको क्यों बदला, इसकी वजह बताने की कृपा करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : कोई इरादा नहीं बदला ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कितने किलोवाट बिजली देने को तैयार है पंजाब सरकार ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग से प्रश्न करिये, जितनी खपत होगी उतनी दी जायेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने जो एग्रीमेंट किया है पंजाब सरकार से वह कितने किलोवाट बिजली के लिये किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है बोर्डर विलेजेज़ के लिये ? दूसरे विलेजेज़ को भी देने की बात सोची है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : लोड के ऊपर है। कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि इतनी सप्लाई करेंगे। वह एग्रीमेंट इतना ही है कि पंजाब से लाइन आती है उसके बारे में है। बिजली कितनी ही ले सकते हैं बशर्ते कि मेग्जिमम को क्रोस न करें।

एक माननीय सदस्य : क्या भाखरा से जो बिजली मिलेगी उसमें प्रायोरिटी निश्चित की गई है कि किस किस जिले को किस प्रकार से मिलेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें प्रायोरिटी का सवाल नहीं है। जितनी बिजली उपलब्ध होगी उस हिसाब से मिलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस एग्रीमेंट की तहत क्या हम यह समझें कि जो भी विलेज़ अप्लाई करेंगे बोर्डर पर उन तमाम को सप्लाई की जा सकती है बशर्ते कि प्रस्तावित लोड तक लेने को तैयार हों ?

श्री हरिश्चन्द्र : धन राशि होगी तो दी जायगी, नहीं तो नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : लोड का मेग्जिमम फिगर क्या है ? आपने कहा है कि मेग्जिमम फिगर तक दी जा सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र : कौनसे फिगर के बारे में आप कहते हैं ? जितना प्रोडक्शन भाखरा में होता है बिजली का उसका सरटेन परसेन्टेज़ राजस्थान को मिलता है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): पूरे के पूरे अपने इस हिस्से को क्या राजस्थान सरकार ले रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अब तक के एग्रीमेंट के अनुसार करीब ६ हजार तक ले सकते हैं उसमें से ५-५॥ हजार तक ले रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या ऐसी कोई निश्चित योजना है कि कितने समय तक कितनी बिजली ले सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह जुदा प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोर्डर विलेजेज को बिजली देने का पंजाब सरकार से एग्रीमेंट हुआ है उसको पूरा करने के लिए क्या राजस्थान सरकार ने योजना बनाई है कि किस किस गांव को कितने समय में बिजली भाखरा से सप्लाई करनी चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी योजना आपके सामने पहले भी आई और अब भी आयेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाखरा से जो प्रोडक्शन बिजली का होगा उसका कितना परसेन्ट राजस्थान को देने का एग्रीमेन्ट में लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कुमारी उमा माथुर : क्या इस एग्रीमेंट के अनुसार रामगढ़ में बिजली पहुंचाने की बात थी, इस विचार से वहां पर सर्वे कराई गई थी, यह सही नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

कुमारी उमा माथुर : फिर उसको क्यों नहीं लागू करवाया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जल अन्वेषण, चांदण (जैसलमेर)

११०. **श्री मोहरसिंह राठौड़ (चुरू)** : क्या मन्त्री, कृषि विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जैसलमेर के चांदण गांव में पानी का पता कब लगा ?

(२) कितने कुंए अब तक इस योजना में चांदण व उसके आसपास बनाये गए ?

(३) इन कुओं पर सरकार का कितना खर्चा हुआ और अब वार्षिक आवर्तक खर्च कितना है ?

(४) क्या यह सही है कि उन कुओं का अभी जन उपयोग नहीं किया जा रहा है ? यदि, हां, तो क्यों ?

(५) सरकार के पास इस सम्बन्ध में क्या जल प्रदाय योजना है और वह कब तक कार्यान्वित कर दी जावेगी ?

उप-मंत्री कृषि, (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) सन् १९५७ में।

(२) केन्द्रीय सरकार की ट्यूब वैल एक्सप्लोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन जल की खोज करती है। चांदण और उसके पास के इलाके में उन्होंने पिछले पांच, छः वर्ष में करीब ११ जगहों पर जल की खोज की। जिनमें से ७ जगहों पर ठीक तरह से पानी मिला और आठवीं जगह पर पानी कुछ कम मिला। इस तरह से ७ अच्छे कुएं और एक मामूली कुआं इस इलाके में तैयार हुआ।

(३) जिन कुओं से १ घन्टे में २०,००० गैलन पानी मिलता है उन्हीं को ठीक समझा जाता है और उनकी कीमत फी कुआ केन्द्रीय सरकार १ लाख से ऊपर आंकती है। असफल कुओं का खर्चा केन्द्रीय सरकार का होता है। केन्द्रीय सरकार ने इस बात को मान लिया है कि इन कुओं की जो कीमत राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को देगी वह ऋण के रूप में होगी। इन कुओं की कीमत के निश्चित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन कुओं पर मासिक खर्च इस समय ७२०) रु. है। इसके अलावा इनके चलाने का खर्चा कृषि, जंगलात व पशुपालन विभागों से वसूल किया जाता है। सरकार को अभी चांदण और तीन और कुंए सौंपे गये हैं।

(४) १ कुंए को छोड़ कर और कुओं का पानी उपयोग में नहीं आ रहा है। यह १ कुआ भी समय समय पर चलाया जाता है। पानी के उपयोग की व्यवस्था की जा रही है और उसमें समय लगना अनिवार्य है।

(५) सरकार ने इस विषय में कुछ निर्णय लिये हैं। इनके अन्तर्गत इन कुओं के पास खेती व चरागाह की व्यवस्था की जाती है। कुओं को चलाने का काम राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड करेगा। राज्य सरकार इन कुओं के पास सरकारी जमीन पर कुछ काश्तकारों को बसाने की व्यवस्था करेगी। इसके लिये वहां आने वाले काश्तकारों को कुछ सुविधायें देगी। आदेश जारी हो रहे हैं।

Page No. 17

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : चांदण में जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड वर्क कर रहा है उसके द्वारा इस वर्ष कितने लाख रुपये खर्च करने की स्कीम है और कितने लाख गैलन वाटर एक साथ उपलब्ध हो सकता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : केन्द्रीय वाटर बोर्ड ने जो स्कीम पेश की है उसके अन्तर्गत राज्य सरकार से काश्तकारों को सुविधा देने की योजना मांगी है जो सरकार के विचाराधीन है। मन्जूर होने पर विचार करेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : क्या वाटर बोर्ड के पास कोई ऐसी लिस्ट है....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सपोटरा-केला देवी सड़क

११२. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

क्या सपोटरा से कैलादेवी तक सड़क बनाने के लिये सरकार की योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी नहीं, अर्थाभाव के कारण।

श्री गोविन्दसहाय : क्या यह सवाई माधोपुर के लिये है या और जिलों के लिये भी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह तो जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय : यह अर्थाभाव कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जब तक अर्थाभाव रहेगा।

श्री गोविन्दसहाय : यह इसी जिले के लिये है ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय : जानकारी कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(११.४० म. पू.)

विदेशी शराब इत्यादि के मामले को लेकर मन्त्रीमंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दो प्रस्ताव मेरे पास नियम १३२ के अन्तर्गत आये हैं जो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :-

१) मैं, "राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम १३२ के तहत मन्त्रिमंडल में विश्वास का अभाव प्रकट करने का निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :-

"इस सदन की राय है कि दिनांक ३० मार्च, ६२ को विदेशी स्परिट तथा शराब

(श्री अध्यक्ष)

पर लगाये गये नये कर की घोषणा को तारीख से नये कर लागू करने और उसे वसूल करने के लिये वित्त मंत्री महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण राज्य नये करों से होनेवाली आमदनी से वंचित रह गया है। इससे स्पष्ट है कि वित्त मंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं।

"चूंकि संसदीय प्रणाली में प्रत्येक मंत्री के प्रत्येक कार्य के लिए सम्पूर्ण मन्त्री मंडल उत्तरदायी होता है और वित्त मंत्री महोदय मन्त्री-मंडल के ही एक सदस्य हैं, अतः यह सदन मन्त्रि मंडल में विश्वास का अभाव प्रकट करता है और सरकार से त्याग-पत्र देने की मांग करता है।

रामकिशन,

सदस्य, राजस्थान विधान सभा,

विभाजन संख्या १४४।"

दूसरा प्रस्ताव है, "सदन यह महसूस करता है कि वित्त मंत्री महोदय ने विदेशी स्परिट तथा शराब पर लगाये गये नये कर बढ़ाने की तिथि तथा उसकी वसूली की तिथि में अन्तर डालकर चंद व्यपारियों को लाभ पहुंचाया है। सारी स्थिति का स्पष्टीकरण होने के बावजूद मंत्री परिषद की ओर से चुप्पी मार कर बैठ जाना अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की बुराई का समर्थन है। इस मामले में सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असफल व अयोग्य साबित हुई है, अतः मैं मंत्री परिषद पर विश्वास का अभाव प्रकट करते हुए अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

मुरलीधर व्यास,

विभाजन संख्या ११६"।

इन दोनों प्रस्तावों पर बारी बारी से मत दान होगा। जो माननीय सदस्य श्री रामकिशन ने प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में हों—वे कृपया खड़े हो जावें।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

चूंकि इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त मत नहीं मिले हैं इसलिये इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(विराम)

इसी तरह से दूसरा प्रस्ताव जो श्री मुरलीधर व्यास ने रखा है, उसके पक्ष में जो हों वे कृपया खड़े हो जावें।

श्री रामकिशन (बैर) : यह तो कुश्ती मेल-जोल की चल रही है।

(कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : इस प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री रामकिशन : हम विरोधी हैं।

(११.४८ म. पू.)

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : जयपुर नगरपरिषद् के हरिजन कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल तथा उससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा, ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने भी इसी विषय पर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे आज की अनुपूरक कार्य-सूची में सम्मिलित किया गया है। माननीय स्वायत्त शासन-मंत्री इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।

ऐसी स्थिति में मैं श्री मुरलीधर व्यास के स्थागन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मैं जयपुर नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय............

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी। आप मंत्री महोदय का उत्तर सुन लें।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर म्युनिसिपैलिटी ने ६२ में यह तय किया कि म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को मेडिकल अलाउन्स दिया जावे। उन्होंने यह किया कि २००) रुपये तनख्वाह पानेवालों को ५ पर्सेन्ट, उसके बाद तनख्वाह के हिसाब से २००) रु० से ५००) रु० पानेवालों को २॥ पर्सेन्ट अलाउन्स दिये जाने का तय किया। यह एलाउन्स उन्हें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से तय किया। यह तय किया कि यह अलाउन्स सेकिन्ड वीक ऑफ मार्च तक का दे दिया जावे। ये जमेदार, पटेल और दूसरे ऑफिसरों को दिया गया। स्वीपरों को नहीं दिया। स्वीपरों ने २६-३-६२ को अधिकारियों को एप्रोच किया। म्युनिसिपैलिटी में १,२०० पर्मानेन्ट कर्मचारी और ८०० टेम्परेरी कर्मचारी हैं। म्युनिसिपैलिटी वालों का यह कहना है कि इतने ज्यादा बिल एक साथ जल्दी नहीं बनाये जा सकते। इसके साथ साथ यह भी है कि अभी तक राजस्थान सरकार से इसकी मंजूरी नहीं दी गई है। इसलिए म्युनिसिपैलिटी ने यह तय किया कि जिन जिन लोगों को यह अलाउन्स दिया जावे उनसे लिखवा लिया जावे कि अगर राजस्थान सरकार ने इस अलाउन्स को देने की इजाजत नहीं दी तो यह अलाउन्स उनकी तनख्वाह से वापिस ले लिया जावेगा। इस हालत में जब २६-३-६२ को लोगों को अलाउन्स नहीं मिला तो लोग स्ट्राइक पर चले गये। दूसरे लोग भी उनके साथ स्ट्राइक पर चलेगये। इसके बाद कुछ स्वीपरों ने म्युनिसिपैलिटी सेक्रेट्री के पास एप्रोच किया और कहा कि आप इसका फैसला करा दीजिये। इसके बाद सेक्रेट्री प्रेसीडेन्ट के पास उनको ले गया और उन्होंने कहा कल वे उनके लिए कोशिश करेंगे कि उनको अलाउन्स मिल जावे। लेकिन वे कल नहीं आये। आज की स्थिति यह है कि १३ स्वीपर चौकड़ी सरहद में काम कर

(श्री बरकतुल्ला खां)

रहे हैं। ७५ स्वीपर हवाई शहर जनूबी में काम कर रहे हैं। ४० इमर्जेन्सी में काम कर रहे हैं।

कोशिश यह भी म्युनिसिपैलिटी की तरफ से की गई कि बाहर के इलाकों से स्वीपरों को बुला लिया जावे। मगर चन्द स्वीपरों के जो नये रिक्रूट किये, नहीं आये।

शहर की हालत यह है कि जितनी सफाई होनी चाहिये नहीं हुई है। कुछ गन्दगी बढ़ी है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेन्ट और कौन्सिल इस बात की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सफाई रखी जावे। इसके लिये पब्लिक से भी अपील की गई है। पब्लिक भी इस तरफ आगे बढ़ी है और कुछ लोग श्रमदान करने को तैयार भी हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हालात इस तरीके से पैदा हुए और उसके बाद शहर के जो हालात हैं वे सब के सामने हैं।

इसके बारे में मैं एक चीज़ और अर्ज कर दूं कि मल्कानी कमेटी के बारे में जो कहा गया है, मल्कानी कमेटी की रिपोर्ट ज्यादातर ताल्लुक रखती है स्केवेन्जर्स और भंगियों को लिविंग कन्डीशन को बेटर बनाने के बारे में। आम तौर से मल्कानी कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि स्केवेन्जर्स को वील बैरोज दिये जायं, बम्बू पोस्ट दिये जायं और पॉलिसी यह की जाय कि मैला उठाते हैं वह उनके सिर पर नहीं आय और टोकरियों में जाये औरजिस्म से कान्टेक्ट नहीं हो। अब स्ट्राइक पर जो लोग हैं उन्होंने कहा कि मल्कानी कमेटी की रिपोर्ट पर सोचा नहीं गया। तो इसका सम्बन्ध केवल स्केवेन्जर्स से है, सब भंगियों से नहीं।

जहां तक कन्सोलेशन का सवाल है उसी तारीख से जिस रोज स्ट्राइक हुई, २८–३–६२ को लेबर डिपार्टमेन्ट को एप्रोच किया गया और लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से उनके इन्सपेक्टर्स इस बात की कोशिश करते रहे, पर कल तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अभी तक कोशिश जारी है कि किसी तरह समझौता बैठ जाय।

ये हालात हैं जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह तथ्य नहीं है कि म्युनिसिपल बोर्ड को पिछले नवम्बर में बजट पास करना चाहिये था जो अब तक बजट को मंजूर नहीं किया गया है और इस तरह से मल्कानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्केवेन्जर्स के बारे में सुझाव दिये हैं कि सिर पर मैला ढोने का तरीका जो है उसको बन्द किया जाय, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से जो मदद मिलती है वह नहीं मिल सकी और इस प्रथाको दूर नहीं किया जा सका, यह इस हड़ताल का बहुत बड़ा कारण है ? यह मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में नहीं कहा। यह वास्तविकता है कि इस प्रकार यह घाटा हुआ है, इस कारण हड़ताल की गई है।

श्री अध्यक्ष : बजट पास नहीं हुआ, इसका इससे सम्बन्ध है कि नहीं ?

श्री बरकतुल्लाखां: जहां तक मैं जानकारी कर पाया हूं इसका बजट से सम्बन्ध नहीं है।

Page No. 21

(श्री बरकतुल्लाखां)

इसका संबंध इससे है कि म्युनिसिपैलिटी के दूसरे कर्मचारियों को मेडिकल अलाउन्स मिला पर स्वीपर्स को मेडिकल अलाउन्स नहीं मिला। तो उनके दिल में यह भाव पैदा हुए कि दूसरों को मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है तो शायद उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का वर्ताव किया जा रहा है।

श्री ज्वालाप्रसादशर्मा (नसीराबाद): क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा कि जो अलाउन्स है, म्युनिसिपैलिटी ने अलाउ किया वह अलाउन्स हिस्सा बन जाता है उनकी तनख्वाह का और वेजेज एक्ट के माफिक समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है तो जिन लोगों ने त-तख्वाह नहीं दी उनका वेजेज एक्ट में चालान क्यों नहीं किया जाता ? वह अलाउन्स वेजेज बन गये उनकी तनख्वाह बन गये तो वेजेज एक्ट के माफिक पर्टिक्यूलर डेट को तनख्वाह पे नहीं करते हैं तो वेजेज एक्ट के तहत उनका, जिन्होंने तनख्वाह नहीं दी चालान किया जा सकता है। तो उनका चालान क्यों नहीं किया जाता ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया अलाउन्स के बारे में गवर्नमेंट से कोई इजाजत नहीं ली गई और सदन की जानकारी के लिये अर्ज कर दूं कि अभी तक गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया है कि ये अलाउन्स दिये जायं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कॉग्निजेन्स का जहां तक सवाल है, वेजेज एक्ट के तहत यह है कि १० तारीख को तनख्वाह मिले। अलाउन्स वेजेज का हिस्सा बन गया है और वह अभी तक पे नहीं किया गया है तो वेजेज एक्ट के तहत उनका चालान करके दो महीने की सजा और जुर्माना क्यों नहीं कराया जाता ?

श्री अध्यक्ष : अगर मन्त्री महोदय ने कहा उसको ठीक तरह से सुनते तो यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मन्त्री महोदय ने कहा है कि अलाउन्स गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया है और न आवेदन ही आया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ऐसी बोडी जो कोर्पोरेट बोडी है, उसने पास कर दिया, गवर्नमेंट से इसका ताल्लुक नहीं। कोर्पोरेट बोडी ने अलाउन्स तय कर दिया तो उस हालत में अगर वह नहीं पे किया जाता है तो वेजेज एक्ट के तहत चालान किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Subject to confirmation from the Govt. है यही उनसे लिखा जा रहा है कि मंजूरी नहीं आई तो आपको वापिस चुकाना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या म्युनिसिपैलिटी ने सरकार को लिखा है कि इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया जाय ? सरकार के श्रम विभाग की क्या राय है इस हड़ताल के बारे में कि यह गैर कानूनी है, क्या ?

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक म्युनिसिपैलिटी का कहना है वह यह है कि बगैर नोटिस के यह हड़ताल हुई है। सरकार को यह मालूम है कि १.१२.६१ को चार्टर ऑफ डिमान्ड्स स्वीपर्स ने रखा। इस वक्त यह

(श्री बरकतुल्लाखां)

फैसला नहीं किया जा सकता कि स्ट्राइक लीगल है या इल्लीगल वीपर्स का यह कहना है कि १-१२-६१को जो चार्टर रखा है वही नोटिस समझा जाय। म्युनिसिपैलटी का कहना है कि नोटिस अलग से दिया जाना चहिये। इसका फैसलालेबर डिपार्टमेंट जांच करके सोच विचार कर करेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : लेबर डिपार्टमेंट इसके लिये विचार कर रहा है कि यह लीगल है या इल्लीगल हैं, ठीक है। जो शहर में गंदगी फैल रही है, मन्त्री महोदय ने कहा कि नया रिक्रूटमेंट किया वह भी चला जा रहा है तो इसको ठीक करने के लिये सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ताकि शहर में गंदगी नहीं फैले ?

श्री बरकतुल्लाखां : जैसा कि मैंने अर्ज किया शहर के कुछ लोग सामने आकर सफाई में हाथ बंटा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कदम लेगी, यह पहले से एन्टिसिपेट करना मुश्किल है। जैसे जैसे हालात सामने आयेंगे वैसे वैसे कदम गवर्नमेंट लेगी।

(११.५५ म० पू०)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री नाथूराम मिर्धा (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ८६ के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (जनरल) नियम, १९६१ सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९५९ की धारा ७९ (१) के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ सदन की मेज पर रखता हूँ।

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक १९६२

(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल, १९६२ को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर; स्थापित करता हूं।

राजस्थान अध्यारोपित (सुपर इम्पोज्ड) स्टाम्प वैधकरण विधेयक, १९६२

(पुरःस्थापन)

श्री चन्दनमल वैद(उप-मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सुपर इम्पोज्ड स्टाम्प वेलिडेटिंग बिल, १९६२ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सुपर इम्पोज्ड स्टाम्प वेलिडेटिंग बिल, १९६२

(श्री अध्यक्ष)

को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री **चन्दनमल बैद** (उप-मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर;स्थापित करता हूँ।

(१२. मध्याह्न)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६२

(अग्रेतर खंडश; विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री **परसराम मदेरणा** (उप-मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉजेज २ और ३ में दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये। उनके प्रस्तावों की मंशा यह है कि बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन के चेयरमैन का इलेक्शन होना चाहिये, राज्य सरकार द्वारा नोमिनेशन नहीं और जो इलेक्शन हो वह बोर्ड के सदस्यों द्वारा ही किया जाय और उन्होंने अपने संशोधन के समर्थन में यह जाहिर किया कि अभी जिस तरह के बोर्ड का गठन है, यह बोर्ड एक विद्वानों का क्षेत्र है और इसलिये उच्च शिक्षा शास्त्री को चेयरमैन बनाना उचित होगा; सरकार ने नोमिनेशन की यह पावर अपने हाथ में लेकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अनवारंटेड कदम उठाया है।

मैं उत्तर में माननीय सदस्य को निवेदन करना पसंद करूंगा कि जो तरीका हमने चेयरमैन के इलेक्शन का, इस संशोधन बिल में, जिसका प्रावधान रखा है, राज्य सरकार के पास चेयरमैन नोमिनेट करने के लिये पैनल भेजा गया उसमें कमेटी का प्रावधान है। और उस कमेटी के तीन में से दो सदस्य बोर्ड द्वारा चुने जावेंगे और बोर्ड द्वारा इसलिए चुने जाने का प्रस्ताव रखा है कि वे सदस्य बोर्ड के न होकर बोर्ड के बाहर के सदस्य हों ताकि वे अपनी इन्डिपेन्डेन्ट राय पेनल भेजने में जाहिर कर सकें। उसमें से कमेटी के एक सदस्य को सरकार ने नोमिनेट किया है। अब रहा प्रश्न यह कि जो पेनल इस कमेटी ने सरकार के सामने प्रस्तुत किया या करेगी, पेनल में से नोमिनेट करने का राज्य सरकार के पास में अनलिमिटेड पावर्स हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अनलिमिटेड पावर्स सरकार के पास नहीं हैं और वे लिमिटेड हैं और इस माने में कि पेनल को सलेक्ट करने और नाम रिकमन्ड करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है उनमें से दो सदस्य बोर्ड के हैं और बोर्ड के द्वारा इलेक्ट किये जावेंगे। इसलिए माननीय सदस्यों क यह मंशा कि सरकार नोमिनेट करेगी, ऐसा नहीं है। तीन सदस्य साथ बैठ कर उनके द्वारा पेनल सरकार के पास भेजा जावेगा। इसलिए राज्य सरकार के पास लिमिटेड पावर्स ही हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि ये पावर्स सरकार ने क्यों लिए ? इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से युनिवर्सिटी में वाइस-चान्सलर का नोमिनेशन होता है चान्सलर के द्वारा और खास तौर से देहली युनिवर्सिटी की पद्धति यहां अपनायी गई हैं कि वहां भी इसी प्रकार से वाइस चान्सलर का नोमिनेशन प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया करते है। तो देहली युनिवर्सिटी और राजस्थान युनिवर्सिटी की पद्धति को लेकर सेकेन्डरी बोर्ड

(श्री परसराम मदेरणा)

ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन का तरीका रखा है। इसलिए रखा है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे। जो राज्य सरकार के पास इस प्रकार की पावर्स हैं वे केवल लिमिटेड हैं और युनिवर्सिटी में जो पद्धति है उसी को यहां पर भी अख्तियार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि इलेक्शन होना चाहिये ताकि राज्य सरकार का बोर्ड में दखल न हो। जहां तक राज्य सरकार का बोर्ड में दखल होने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ कि बोर्ड एक स्टेट्युटरी बोडी है, यह सरकार के अन्डर में नहीं है और एक इन्डिपेन्डेन्ट बोडी है। चेयरमैन के नोमिनेशन का राज्य सरकार के पास केवल डिस्क्रिशन के रूप में है, जिसकी पद्धति सेक्शन ३ में दी गई है। उसी के अनुसार ही चेयरमैन का नोमिनेशन करना चाहते हैं।

जहां तक प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्शन का सवाल है, मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करूंगा, अध्यक्ष महोदय, जो एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं और खास कर सुपरवाइजरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनमें इस प्रकार की पद्धति शुरू करना उचित नहीं है। इससे बोर्ड में ग्रूपिज्म होगा। एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स राजस्थान में काफी तादाद में हैं, जिनकी संख्या ६५० के लगभग पहुँच गयी है। इनका गठन करना और इलेक्शन के द्वारा चेयरमैन बोर्ड में रहे तो बोर्ड के द्वारा जो प्रवृत्तियां चलती हैं, एजुकेशनल इन्स्टीट्युशन्स ठीक प्रकार से चलते रहें, यह जो राइट सरकार ने दिया है उसका मकसद पूर्ण नहीं हो सकेगा। थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाय कि माननीय सदस्य का संशोधन मंजूर कर लिया जाय फिर भी राज्य सरकार को काफी उसके द्वारा स्वेच्छा रहती है नोमिनेट करने की। आप अपने संशोधन द्वारा राज्य सरकार के दखल को अवोइड कराना चाहते हैं लेकिन आपका संशोधन मंजूर होने पर उसकी और ज्यादा गुन्जाइश है। नोमिनेटेड चेयरमैन बना देना चाहते हैं, बोर्ड के काफी सदस्यों को नोमिनेट करें जो एजुकेशनल इन्स्टीट्युशन्स के हो। जो युनिवर्सिटी का पेटर्न है, जिस प्रकार से वाइसचान्सलर का नोमिनेशन रखा है उसी तरह से आपकी मंशा की पूर्ति यहां की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेन एक्ट में यह प्रोविजन हैं कि पहले पांच साल तक नोन ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा, पांच सालसमाप्त होने के बाद डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोर्ड का स्वतः ही चेयरमैन बन जावेगा। डाइरेक्टर बहुत ही बिजी व्यक्ति है। बोर्ड का हेडक्वाटर भी राव कमेटी की सिफारिश के अनुसार बदल दिया गया है। एजुकेशन का दफ्तर बीकानेर में है। उनको तीन जगह की ड्युटीज सम्हालनी पड़ती हैं। दूसरा, पार्ट टाइम हैड द्वारा इस बोर्ड का काम ठीक तरह से नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए इस एक्ट के द्वारा राज्य सरकार की मंशा हैं कि होल टाइम के लिए हो और एजुकेशनल इन्स्टीट्युशन्स का काम अच्छी तरह से चले इसलिए रखा गया है। माननीय सदस्य की यह मंशा है कि बोर्ड में ज्यादा दखल न हो। यह प्रिन्सिपल एडोप्ट करने के बाद उनकी मंशा पूरी हो जाती

(श्री परसराम मदेरणा)

है। राज्य सरकार ने केवल एक डिस्क्रिशन रखा है चेयरमेन के नोमिनेशन का। उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से वाइस चान्सलर का नोमिनेशन चान्सलर करते हैं और देहली युनिवर्सिटी के लिए प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया अपना डिस्कीशन काम में लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब संशोधनों पर मतदान होगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, मंत्री महोदय से एक बात पूछनी है। जैसा उन्होंने कहा कि इससे सरकार को केवल एक लिमिटेड पावर ही मिली है; मैं नहीं समझता कि कैसे यह एक लिमिटेड पावर ही मिली है। नोमिनेट किये हुए सदस्य को बोर्ड का चेयरमैन बना सकते हैं। एक सदस्य रिकमन्डेड बाई बोर्ड होगा, उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति का नोमिनेशन कर सकते हैं। यह लिमिटेड पावर सरकार के पास है, यह प्रश्न उठता है। उसके बाद दो, तीन प्रश्न उठतेहैं। बाद में पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक साथ पूछ ले।

श्री विजयसिंह झाला : दूसरा प्रश्न यह कि बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन है उसके अनुसार ज्यादातर सदस्य नोमिनेट होते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि राज्य सरकार ज्यादातर सदस्य नोमिनेट करती है तो आगे भी इस पद्धति से करेगी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है इससे कि सरकार के पास केवल लिमिटेड पावर्स हैं।

तीसरा यह है कि इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि पहले जो चेयरमैन था उसको कम समय मिलने से यह संशोधन लाया गया है। तो मेरी समझ में कोई इलेक्टेड चेयरमैन होता और उसके हस्ते कोई कार्य न होता तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस उद्देश्य की पूर्ति इलेक्टेड चेयरमैन से नहीं होगी?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, मैं भी जानना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा उपस्थित सारे प्रश्नों का मंत्री महोदय, ने उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार के नोमिनेशन्स की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसकी मिसालें कल मैंने पेश की थी। तीन आदमियों का नाम एल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेनल ने भेजा लेकिन उनको रद्दी की टोकरी में फैंक दिया और एक एक्स चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका नोमिनेशन सरकार ने कर दिया। मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि इससे राज्य सरकार की ओर से बोर्ड की कार्यवाही में, शिक्षा में राजनीति का दखल पैदा हो जायगा, हस्तक्षेप हो जायगा जिसका परिणाम बुरा होगा। आज ही जो एजुकेशन पद्धति चल रही है उसके हाल यह हैं कि फर्स्ट ईयर टी. डी. सी का २६ परसेन्ट रिजल्ट रहा। पिछले साल हाई स्कूल के मुकाबले में हायर सेकेन्डरी और इन्टरमीजियेट के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब हैं। अगर सरकार इस तरह से नाजायज हस्तक्षेप शिक्षण संस्थाओं में करती है और उसमें राजनीति को प्रवेश करती है तो....

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सरकार ने जो नियुक्ति की उनका नाम पेनेल में नहीं है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह कहता हूं कि पैनल में तीन नाम दिये गये। उसमें एल्फाबेटिकली पेनल ने तीन नाम दिये और सरकार ने उनमें से नियुक्ति की श्री जोशी की।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत नाम न लें तो ठीक है। क्या आप यह मानते हैं कि पैनल में इनका नाम नहीं था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मैं नहीं कहता। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्टेड मेम्बर हैं उनको नजर अन्दाज किया गया और नोमिनेटेड मेम्बर की नियुक्ति की गई।

श्री परसराम मदेरणा : (उप-शिक्षा, मंत्री). अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रोसीजर को समझ नहीं पाये। प्रोसीजर यह है कि कमेटी तीन आदमियों को भेजती है। वह कमेटी जो कॉन्स्टीट्यूटेड की जायगी। उस कमेटी में दो सदस्य बोर्ड द्वारा चुने जायेंगे और एक सदस्य गवर्नमेन्ट नोमिनेट करेगी। ये तीन व्यक्तियों की कमेटी गवर्नमेन्ट के पास तीन व्यक्यों के पैनेल को भेजती है और गवर्नमेंट उन तीनों में से एक को सलेक्ट करती है। जिनको बोर्ड ने इलेक्ट किया और गवर्नमेन्ट ने नोमिनेट किया उसको उठा कर चेयरमैन बना दिया गया हो, यह बात नहीं। पहले इसके लिये कमेटी का निर्माण हुआ, उस कमेटी में बोर्ड के दो सदस्यों का इलेक्शन किया और एक गवर्नमेन्ट द्वारा नोमिनेटेड था। जो संशोधन हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी कार्यवाही ऑर्डिनेन्स के जरिये हो चुकी है। उस कमेटी ने जो पैनल भेजा है उसमें से एक आदमी को गवर्नमेन्ट ने नियुक्त किया है। दो आदमी बोर्ड के, एक तो पी० एस० सी० के चेयरमैन और दूसरे वाइस चान्सलर राजस्थान युनिवर्सिटी....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किनको ?

श्री परसराम मदेरणा : श्री जी० सी० चटर्जी को गवर्नमेन्ट ने नियुक्त किया। इस प्रकार से इन तीन व्यक्तियों की कमेटी ने तीन आदमियों का पैनल भेजा उसमें से एक आदमी को गवर्नमेन्ट ने चेयरमेन बनाया। यही पद्धति वाइस चान्सलर के चुनाव की हमारे यहां भी है और देहली युनिवर्सिटी के लिये भी है। उसी को हमने यहां अंगीकार किया है। इसी प्रोसीजर के अनुसार इसमें भी चेयरमैन का नोमिनेशन हुआ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या मि० जोशी इलेक्ट होकर के या नोमीनेट होकर आये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी ने तीन व्यक्तियों के पेनल को भेजा। उसमें श्री लक्ष्मीलाल जोशी का नाम भेजा। और श्री जोशी को किस तरह से नोमिनेट कियागया, यह मैं आपको बतला चुका हूं। कारण यह है कि............

श्री अध्यक्ष : इस सारी बहस में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने, जो भी सवाल पूछे गये थे उसका जवाब दे दिया है।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे एक प्रश्न का ही जवाब आया है बाकी के प्रश्नों का जवाब नहीं आया है।

श्री परसराम मदेरणा : आप यदि सलेक्शन के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते तो आपको आसानी से समझ में आ सकता था। मैंने जैसा कि निवेदन किया दो बोर्ड से इलेक्टेड मेम्बर थे, एक सरकार द्वारा नोमिनेटेड। इस तरह से नोमिनेटेड जो होता है वह माइनोरिटी में होता है उसके कारण बोर्ड की जो मन्शा होती है वह पूरी होती है। इसका डिस्क्रिशन गवर्नमेंट ने अपने पास में रखा है, जो बहुत ही लिमिटेड डिस्क्रिशन है। इस प्रकार का डिस्क्रिशन अकेडेमिक संस्थाओं में होता है उसी पॉलिसी को हमने भी चेयरमैन की नियुक्ति में अख्त्यार किया है।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से बहस नहीं चल सकती।

श्री विजयसिंह झाला : मेरे प्रश्न का जवाब सही नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : जो मिला है उसी में संतोष करिये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन बिल, १९६२ का खण्ड ३ पर जो संशोधन श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : emand for division......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड ४ व ५।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ और ५ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज ४ व ५ विधेयक में अंग रूप से जोडे गये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक की क्लॉज १, प्रीएम्बल टाइटिल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक में अंग के रूप से जोड़े गये।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेकन्डरी एज्यूकेशन (एमेंडमेन्ट) बिल, १९६२ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेकन्डरी एजुकेशन (एमेंडमेंट) बिल, १९६२ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(१२. १७ म. प.)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६२

(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री बरकतुल्लाखां(स्वायत्तशासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (एमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I rise to move my amendment as follows :

And the following provisos after the proposed section 41 A—

"Provided that all allotments of land made under such scheme shall be deemed to be invalid in case their allotment has been made in a manner repugnant to the provisions of this Act and the rules made thereunder.

"Provided further that all such allotments would automatically become invalid and the land would become vested with the Board in case any allottee has sold or otherwise transferred the lands allotted to him,"

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, जो मूल बिल सरकार की ओर से प्रस्तावित किया गया है उसमें यह धारा ४१ ए इसलिये जोड़ी गई है कि जहां पर इस कानून के अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के लागू होने के पहले जो बोडी थी उसने अगर कोई निर्णय ले लिया था तो; उसको कानूनी रूप देने के लिये यह धारा ४१ ए जोड़ी गई है। लेकिन सरकार ने इस धारा को इतना स्वीपिंग बना दिया है कि अगर उस पुरानी बोडी ने मौजूदा एक्ट की मंशा के खिलाफ भी अगर कोई कार्यवाही कर दी हो तो उन कार्यवाहियों को भी कानूनी शक्ल देने की व्यस्वथा इस धारा के अनुसार कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आम तौर पर देखी गई है कि जब कोई नया कानून आता है तो पुराने कानून के अन्तर्गत कोई सही काम हुआ हो तो उसको कानूनी शक्ल देना तो उचित रहा है पर अगर इस प्रकार की व्यवस्था करके पिछले तमाम गैर कानूनी कार्य भी अगर किसी बोडी ने किये हों तो उनको भी इस तरह से लॉ का प्रोटेक्शन दे दिया जावे तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित होगा और इसलिये जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसमें ये दो प्रोविजो जोड़े हैं:—

पहले प्रोविजो का मकसद यह है कि इस किस्म के अलॉटमेन्ट जो कि इस मौजूदा अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट के तहत हो सकते हैं इस किस्म के जो अलॉटमेन्ट होंगे उनको कानूनी शक्ल दी जा सकेगी। जो इससे रिपग्नेन्ट होंगे, खिलाफ होंगे उनको कानूनी नहीं माना जावेगा।

दूसरा जो प्रोविज़ो है वह यह कि बहुत से लोग केवल अपना स्वार्थ साधने के लिये, अपना मुनाफा कमाने के लिये, मुनाफाखोरी करने के लिये, अपने ओहदे से फायदा उठाने के लिये या इलेक्शन में इस पद का राजनैतिक लाभ उठाने के लिये अलॉटमेन्ट करवाते हैं। तो इस संशोधन के जरिये अगर सरकार उन अलॉटमेन्ट्स को भी कवर करना चाहे, नाजायज़ कार्यवाहियों को भी इससे कवर करना चाहे तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ और बाद में जब उस पर वाद–विवाद इस सदन में हो रहा था उस समय सदन में माननीय सदस्यों की ओर से कई जगह की इस प्रकार की मिसालें पेश की गई थी कि जिसमें इलेक्शन के दौरान में इस प्रकार की बोडीज़ ने अनुचित अलॉटमेन्ट किये हैं और पक्षपातपूर्ण तरीकों से अलॉटमेन्ट किये हैं। तो एक छोटी सी अपनी गलतियां कवर कराने के लिये परमानेन्टली कानून में इस प्रकार की धारा जोड़ देना गलत परम्परा भी होगी।

दूसरे, जो अलॉटमेन्ट्स का मकसद है कि लोग उसमें अपने लिये मकान बनावें, उसके बजाय लोग उसमें मुनाफाखोरी करने लगें और उनको बेचें और उनसे फायदा उठावें और फिर बोर्ड में जाकर अलॉटमेन्ट करा लें तो यह तो खास तौर से शासक दल के लोगों के लिये मुनाफाखोरी का बहुत बढ़िया रोजगार निकल आवेगा। मैं शासक दल के माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि यह एक बहुत बढ़िया रास्ता उनको अपने दल को बदनाम करने का भी होगा, अगर इस तरह के प्रोविज़न वे इसमें रखेंगे और इस तरह के अलॉटमेन्ट को वे

Page No. 30

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने सदस्यों को कराने का मौका देंगे तो। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का मामला कितने ही शहरों में है और होते हैं कि इस बोर्ड के सदस्यों ने जो पहले कमेटी थी उस कमेटी के सदस्यों ने और जिस शहर से मैं आता हूं खास तौर से उस शहर के सदस्यों ने किस तरह से गलत कार्यवाहियां की हैं। जिस शहर से मैं आता हूं उस शहर के यहां का किस्सा मुझे मालूम है। जो वहां एक इम्प्रूवमेन्ट कमेटी बनी थी उस कमेटी के एक माननीय सदस्य थे जो बड़े प्रभावशाली कांग्रेसी हैं। उन माननीय सदस्य ने उस कमेटी में जब एक सवाल एक एरिया की आबादी के लिए एक्वायर करने का आया तो उस एरिया में से एक खेत जो करीब चार, पांच बीघा का होगा एक्वायर करने से निकलवा दिया। इसकी कोई वजह नहीं कि वह खेत कैसे एक्वायर होने से रह गया, जब कि उसके आसपास के सभी खेत उसी लाइन में जो एक दूसरे से लगे हुए थे वे तो एक्वायर कर लिये जावें और वह अकेला नहीं किया जावे। यह हुआ सिर्फ इस वजह से कि वे साहब कमेटी के मेम्बर थे और उनको जब यह मालूम हुआ कि इस जमीन का इम्प्रूवमेन्ट कमेटी की तरफ से विकास होने वाला है तो प्राइवेटली उस किसान से मिल कर उन्होंने वह जमीन खरीद ली। अब इधर वह कमेटी बराबर के प्लॉट बना कर तीन, तीन रुपये गज में अलॉट कर रही है तो वे कमेटी के सदस्य जो स्वयं कांग्रेस दल के एक बड़े प्रभावशाली नेता हैं, अब की बार वे इलेक्शन में हार गये, उन्होंने उस जमीन को खरीद लिया और अब प्लॉट बना कर बेचते हैं और इसमें कम से कम उनको चालीस हजार का मुनाफा होता नजर आता है। वे अपने प्लॉट १६) रु० गज और १७) रु० गज के भाव पर बेचने का इन्तजाम कर रहे हैं, जबकि सरकार ३) रु० गज में दे रही है। तो इस प्रकार के भी मामले नोटिस में आये हैं कि जो इस पिछली गवर्नमेन्ट के मन्त्री मण्डल में लोग थे उन्होंने किसानों से इस उम्मीद में कि हम मन्त्री हैं इस जमीन को हम एग्रीकल्चर से रिहायशी में बनवा लेंगे और इस तरीके से उन्होंने जमीनें खरीद ली। और इस तरह की कमेटियों के जरिये उस जमीन को उन्होंने एक्वायर नहीं होने दिया और फिर सिफारिश भी इस कमेटी से करवा ली कि इस जमीन को रिहायशी बना दिया जावे। इस तरह के काम इस कमेटी के जरिये करवाये गये हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ में दिया हुआ Sub-section 2 (b) of clause 41 says, 'all lands and buildings (together with all interests of whatsoever nature and kind therein) situated in such area and vested or vesting in such former Trust immediately before such establishment shall pass on to and vest in the Trust so established'

To this Clause, these two provisos have been added by me.

This 41 A reads as-

"Notwithstanding anything contained in this Chapter, all improvement and development shcemes falling within the purview of this Act, framed by a former Trust or otherwise and sanctioned by the State Government

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

in relation to any area within the State prior to the establishment of an Improvement Trust under this Act for that area, shall be deemed to be the schemes duly sanctioned and notified under and in accordance with the provisions of this Chapter."

To this I have added both these provisos. If you accept them, you can save all those illegal transactions.

यदि इन प्रोविजन्स को आप मान लें तो फिर चूंकि गैरकानूनी तरीके के इस तरह के काम किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार भी अपना प्रभाव डाल कर सरकार को सेंक्शन हासिल कर ली गई है उनको बचा सकते हैं और उसकी मैंने आपके सामने मिसाल दी है, अलवर की। अलवर की सड़क नम्बर २ पर जो यहां अलवर से आने वाले पहले एम० एल० ए० थे और जो वहां की विकास समिति के मेम्बर थे उन्होंने जमीन ली है और इसी तरह से यहां के भूतपूर्व मंत्री महोदय श्री सम्पतरामजी ने भी वहां पर इस तरह जमीन खरीदी है और इस तरह से उस जमीन को शिकमी जमीन बनाने की कमेटी के जरिये कोशिश की है और नाजायज फायदा उठाया है। जहां एक कर्क को ३) रु० गज जमीन नहीं मिलती वहां लोगों ने किसानों से १-१ रुपया और ८-८ आने गज के हिसाब से जमीनें ली हैं। इसके अलावा वहां के किसानों को बुलाया गया और कहा गया कि सरकार तुम्हारी जमीन को एक्वायर करेगी। किसानों को कांग्रेस के दफ्तर में बुलाया गया और उनसे कहा........

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एयर से कहा जा रहा है कि वहां किसानों को कांग्रेस दफ्तर में बुलाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसे 'एयर' से कह सकते हैं, इसका मैं सबूत दे सकता हूं। लैण्ड एक्वीजीशन के तहत उन्हीं किसानों को १,५०० रुपया फी बीघा कम्पेन्सेशन सरकार ने देना तय किया, जिसमें से ७५० रुपया सरकार अपने पास रखती है और ७५० रुपया किसानों को दिया जाता है। तो ये नेता लोग उन किसानों को कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी जमीन एक्वायर हो जायेगी तो तुमको ७५० रुपया फी बीघा मिलेगा। यह जमीन हमको बेच दो हम तुमको ३,००० रुपया फी बीघा देते हैं और हम जमीन के एक्वायर होने को रुकवा देंगे। इस तरीके से उस जमीन का वह सौदा करते हैं। ३,००० रुपया फी बीघा में इस तरह की जमीनें इन नेताओं ने अलवर शहर में खरीदी हैं और ३,००० रुपया फी बीघा का मतलब यह है कि १ रुपया फी गज वह जमीन खरीदी और उस जमीन के शिकमी बन जाने से १५ रुपया फी गज उसका हो गया और उसके हिसाब से १५×३=४५ हजार की वह जमीन हो गयी और उन्होंने चूंकि एक बीघा के ३,००० रुपये दिये तो इस तरह से ४२,००० रुपये का मुनाफा नेता लोगों का होगा। अध्यक्ष महोदय, अलवर के मिस्त्री वाले कुंए की बात कहता हूँ, वहां पर कांग्रेस के नेताओं........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इतनी मिसालें दे रहे हैं, इनका सदन के सामने न तो कोई जवाब है और न कोई जवाब सरकार की तरफ से आयेगा और न आपकी तरफ से

(श्री अध्यक्ष)

सबूत ही आयेगा । तो किस तरह से माना जाये कि यह जो आप कह रहे हैं वह सच है और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा वह सही है या आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं ? तो इस तरह से प्रोसीजर को फोलो करते हैं उससे नुकसान होता है । फिर आप कह रहे हैं कि १,५०० या ३,००० रुपया; तो यह तो सुनी-सुनाई बात कह रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Previous notice should be given about such allegations so that the Hon, ble Minister may be able to reply.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा इन मिसालों को देने का पोइन्ट इतना ही है कि इस तरह के जो इसके अन्दर स्वीपिंग प्रोविजन्स हैं इसमें प्रोवीजो रखने की क्या जरूरत है । इसकी जरूर बताने के लिए मिसालें दी हैं और इसीलिए कुछ स्पेसिफिक बातें बताने की कोशिश की, वर्ना मेरा मकसद कोई यह नहीं है,क्योंकि मिसालों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है और मौका आयेगा तो वह बताऊंगा........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, खास कर भूतपूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप हैं तो मैं समझता हूँ कि यह उदाहरण माननीय सदस्य को सप्रमाणिक रखने चाहिए और इस तरह के प्रमाणों का भी अच्छा नतीजा निकल सकता है । अगर उसका प्रमाण नहीं है तो सदन में कहने का इतना मतलब हल नहीं होगा और हम लोग भी सोचते हैं कि ये बातें हुई हैं तो उधर से भी यह आश्वासन होना चाहिए कि अगर इस तरह के प्रमाण दिये जाते हैं और सबूत दिये जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिन्होंने कि पद का दुरुपयोग किया । इसका हमारे मंत्रि मण्डल की तरफ से जवाब मिलना मिलना चाहिए था कि अगर ऐसी बात है और उसका कोई सबूत सामने रखा जाता है और वह सही पाया जाता है तो हम बराबर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । इस तरह का आश्वासन मंत्रि मण्डल की तरफ से आना चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपने प्रमाणों सहित सदन के सामने आना चाहिए तो उनको निश्चित रूप से जवाब दिया जायेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वक्त आने पर सब कुछ हो जायेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : वक्त तो आया हुआ है जो एलीगेशन्स लगाये हैं उनके पक्ष में सबूत पेश करना चाहिये....

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अगर एलीगेशन्स सबूत प्रूव हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर सबूत हो जाये तो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के अन्दर रूल्स हैं ।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इस तरह के मामले हैं तो एक इन्क्वायरी कमेटी बैठाई जाय हम उसके सामने ये सारे सबूत पेश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगर कानूनों का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए सब प्रावधान मौजूद हैं। तथ्यों को आप रख सकते हैं, पर जो आप स्वीपिंग एलीगेशन्स लगा देते हैं उनके लिए नोटिस दिया हुआ हो तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि पर्सनल चीज जब आप सदन के अन्दर उठाते हैं तो सदन को यही इम्प्रेशन देते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह सही है, अन्यथा नियमों में प्रावधान है कि अगर व्यक्तिगत आक्षेप उठाये जायें तो उसका नोटिस आपको मंत्री महोदय को देना चाहिए, ताकि आपकी बातों का जवाब दे सकें। अगर इस तरह से यहाँ बिना नोटिस के कोई व्यक्तिगत मामला उठाते हैं तो उसका न तो उत्तर ही मिलता है और न शंका का समाधान होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि मेरा मकसद इस समय, जो यह मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसकी क्यों जरूरत है और उसके नहीं होने से क्या नुकसान हैं, राजस्थान स्टेट को हो सकते हैं, आम जनता को हो सकते हैं उसके लिए मैंने कुछ मिसालें दी थी। मेरी मन्शा साफ किसी का नाम लेने की नहीं थी। कहीं यह नहीं कहा जाये कि स्पेसिफिक इन्सटान्सेज दें, इसीलिए मैंने उनको मिसाल के तौर पर रखा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की गलती हो सकती हैं, ह्यु मन एरर भी हो हो सकती हैं और इस तरह की अवैधानिक कार्यवाही दूसरे नगरों में भी जहां इस कानून के आने से पहले दूसरी प्रकार की बोडीज़ थी उनके जरिये भी होंगो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो संशोधन है इससे किसी प्रकार से सरकार की जो मन्शा है सेक्शन ४१ ए को लाने की वह यहां नहीं हो सकती कि किसी भी नाजायज़ चीज को जायज़ बनाया जाये, इसलिए उनकी मन्शा की पूर्ति होती है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जो इस बिल को पायलेट कर रहे हैं वे यह मंजूर करेंगे। यह कह कर मैं अपने इस अमेन्डमेन्ट को सदन के समक्ष पेश करता हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इस बिल की धारा ४१ ए में अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है इसके बारे में संशोधन दिया है उस संशोधन के बारे में कुछ ऐसे वेग एलीगेशन्स भी लगाने की कोशिश की कि जिनका कि सरकारी ओर से कोई निश्चित जवाब नहीं दिया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से माननीय सदस्य ने एमेंडमेंट करने का जो प्रावधान है उसको उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की है। उसमें कहीं ऐसी बात नहीं है और इस एमेंडमेंट के ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को देखने से भी ऐसा मालूम नहीं होता है कि पिछली सारी इल्लीगल चीजों को लीगेलाइज़ करने के लिए यह एमेंडमेंट लाया गया है। अगर यही बात इस एमेंडमेंट के on the face of wordings से मालूम होती तभी माननीय सदस्य के तथ्यों पर कुछ गौर किया जा सकता है। परन्तु माननीय अध्यक्ष, जब कोई भी नया लेजिस्लेशन लाया जाता है तो पुरानी चीजों का इस नये लॉ के तहत समाधान हो सके, उसके लिए भी एक सेविंग क्लॉज़ हमेशा लगाया जाता है ताकि पुराने जो कानून-कायदे हैं लीगल चीजें जो प्रोसीजर के मुताबिक होनी जरूरी थीं, हुई और

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

इस नये लॉ में अगर उसका कोई प्रावधान नहीं है तो एमेन्डमेन्ट्स के जरिये भी जो जायज़ चीजें हैं उनको लीगेलाइज़ करने के लिए सेविंग क्लॉज़ का होना जरूरी है। कोई भी नया लेजिस्लेशन आयेगा उसमें सेविंग क्लॉज़ के जरिये पुराने लॉ के तहत कई ऐसी बातें जो कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में होनी जरूरी है, और भी जो स्कीम्स हैं जो कि पहले लॉ के तहत काफी परिपूर्ण की जा चुकी हैं और उसके दर्म्यान में दूसरा लॉ एन्फोर्स हो जाता है तो जो पुरानी चीजें जो लीगल वे में इनकम्पलीट स्कीम्स हैं उनको लीगेलाइज़ करने के लिए सेविंग्स क्लॉज की ज़रूरत पेश आती है और उस मन्शा को पूरा करने के लिए माननीय सदस्य जो एमेंडमेंट मूव करने वाले हैं उनको शायद इस लीगल इम्प्लीकेशन का ध्यान नहीं है। इस बात को एक्जामिन करने की वे अगर कोशिश करते तो दफा ४१-ए में जो वह एमेंडमेंट कराने का विचार रखते हैं उनकी मन्शा इस एमेंडमेंट के जरिये कतई पूरी नहीं हो सकती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कि इसमें वर्डिंग्स हैं और माननीय सदस्य ने भी पढ़ दिया है सदन के समक्ष:-

"Not withstanding anything contained in this Chapter, all improvement and development schemes falling within the purveiw of this Act framed by a former Trust or otherwise and sanctioned, by the State Government..."

जो फोर्मर ट्रस्ट के द्वारा जो स्कीम्स बनाई गई थीं और उन स्कीम्स को वाजिब समझ कर स्टेट गवर्नमेंट ने मन्जूर कर लिया है "in relation to any area within the State prior to the establishment of an Improvement Trust under this Act. इस एक्ट के तहत "for that area, shall be deemed to be the schemes duly sanctioned and notified under and in accordance with the provisions of this Chapter." इस कानून के तहत जो प्रायर ट्रस्ट थे उनमें जो मन्जूर शुदा स्कीम्स थीं इस एक्ट के तहत भी वे मन्जूर शुदा मानी जायंगी।

इस प्रावधान के अन्दर मैं यह जानने से मजबूर हूँ कि क्या खतरा पैदा हो गया? ऐसी कोई बात प्रतीत नहीं होती कि कोई इल्लीगल चीज़ को लीगेलाइज़ किया जा रहा हो। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो कुछ इन्सटान्सेज़ बताये कि इल्लीगल फलां फलां चीजें हुई तो अगर स्पेसिफिक इन्सटान्स हों, अगर इल्लीगल चीजें हुई हैं और लॉ को भंग किया गया है, नियमों के आधार पर कोई एलॉटमेंट नहीं है तो उसका प्रोसीजर मौजूद है। और ऐसा कोई आदमी नाजायज हरकतें करता है, चाहे वह नेता हो या और कोई भी हो, साधारण नागरिक कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए इन्डियन पेनेल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सारे कानून मौजूद हैं और कानून में दिया हुआ है कि जो कानून का उल्लंघन करनेवाला है उसको नियमानुसार सजा दिलाई जा सकती है, न कि इस विधान सभा में वेग एलीगेशन्स लगाने से ही समस्या हल हो सकती है। इस तरह से वेग एलीगे-

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

शन्स लगाने से सदन का समय फालतू खर्च हो सकता है । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, दफा ४१ ए में जो प्रोविजन डाला गया है मेरे विचार से ऐसी कोई बात प्रतीत नहीं होती है जिससे कि माननीय सदस्य जो कि एमेंडमेंट कराना चाहते हैं और जो कि इसमें इल्लीगेलिटीज़ मानते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाय। ऐसी बात कतई नहीं हो सकती। लेकिन इस एमेंडमेंट के जरिये ऐसी कोई बात मालूम नहीं होती कि सारी नाजायज चीजें जो पहले हुई हैं उन नाजायज चीजों को लीगेलाईज करने के लिए सेविंग्स क्लॉज बनाया जा रहा है । ऐसा न तो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में ही बताया गया है और न किसी वर्ड से जाहिर होता है । जो चीजें जायज हुई हैं, नियमानुसार हुई हैं उनके लिए कानून के अन्दर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, पहले की स्कीम को, जैसे कि वे इसी कानून के तहत मन्जूर हुई हैं उनको लीगेलाइज किया गया है। इसलिए इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता मेरे विचार से मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए मेरे विचार से तो माननीय सदस्य का भी इस बातों को मद्दे नजर रखते हुए उनके एमेंडमेंट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने उसकी पूरी गहराई और उसके पूरे इम्प्लीकेशन्स पर बिना गौर किये ही प्रोवीजो (१) में संशोधन रखा है। उनके संशोधन में कहा गया है कि यदि पुराने एलाटमेन्ट्स नये प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं तो वे सारे एलॉटमेन्ट्स रद्द कर दिये जाने चाहिए। यह प्रोवीजो (१) की मन्शा है -

"Provided that all allotments of land made under such scheme shall be deemed to be invalid in case their allotment has been made in a manner repugnant to the provisions of this Act and the rules made thereunder."

मैं समझता हूं कि पुराने एलॉटमेंट्स की यह कसौटी नहीं थी कि नये अरबन एक्ट के नियम और सेक्शन के अनुसार हैं या नहीं। पुराने एलॉटमेंट जो हो चुके हैं उनको फाइनल समझना पड़ेगा और उनको नये इम्प्रूवमेंट एक्ट की कसौटी पर और उनके सेक्शन्स और नियमों की कसौटी पर कसेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितने भी लैण्ड अलॉटमेंट इस एक्ट के आने से पहले हो चुके हैं वे सारे रद्द हो जायेंगे और और राजस्थान की अरबन लाइफ में बिल्कुल केऑस हमारे प्रान्त के अन्दर पैदा हो जायगा। इसलिए यह जो संशोधन है मैं समझता हूं बिल्कुल ऐसा संशोधन है कि जिससे व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बहुत बड़ा हमला होता है। जो सैंक्टिटी लैण्ड खरीदने और बेचने की है वह पूर्ण रूप से समाप्त होती है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि प्रोविजो (१) में जो संशोधन में रखा है यह प्रोविजो किसी भी प्रकार से मन्जूर करने के लायक नहीं है।

Page No. 36

(श्री मानिकचंद सुराणा)

इसी प्रकार जो सेकिन्ड प्रोविजो पेश किया है उसकी बुराई की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं । उन्होंने यह रखा है कि पुरानी स्कीम्स में जो लैण्ड बेच दी गई है, जिन लैण्ड्स को खरीद कर दूसरे आदमी को लैण्ड बेचता है तो वह लैण्ड्स कैन्सिल हो जानी चाहिये । मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने लैण्ड खरीदी और वह बाद में बेची तो लैण्ड खरीदना और बेचना सिद्धान्त रूप में बुरा नहीं है । अच्छा हो कि यह नियम लगाया जाय, यह सेक्शन बनायेंगे कि कोई भी आदमी अरबन इम्प्रूवमेंट से जमीन खरीदे तो ५ साल तक बेच नहीं सकता और अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड एक सीमा निर्धारित कर सकता है कि एक व्यक्ति को इससे ज्यादा जमीन रिहायश के लिए नहीं देंगे । इन दो नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए । यदि यह नहीं किया गया और अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्डस इस प्रकार के नियम नहीं बनायेंगे तो निश्चित रूप से बुराई सामने आयेगी, भ्रष्टाचार सामने आयेगा । लोगों ने बीघों जमीन शहर के नजदीक क्षेत्रों में ले ली है और बड़े बड़े खेतों की एग्रीकल्चर लैण्ड को अरबन लैण्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं और लाखों रुपयों का नाजायज फायदा भी उठाते हैं । लेकिन मौलिक रूप में, सिद्धांत के रूप में ही एक रोक को स्वीकार कर लिया जाय कि जो जमीन खरीदता है वह बेच नहीं सकता, यह सिद्धांत न तो हिन्दुस्तान के संविधान ने माना है और न सदन के द्वारा मंजूर करने योग्य है । सिद्धांत रूप में वह मालिक बनता है जमीन का, उस पर पाबन्दी रखना कि वह जमीन नहीं बेच सकता, ठीक नहीं है । यह पाबन्दी लगा सकते हैं कि कितनी हद तक जमीन खरीदे और ५ साल तक जमीन बेच नहीं सकता । इसलिये मैं अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका पूर्णतया विरोध करता हूँ और जो मूल संशोधन रखा है मैं समझता हूं कि मूल संशोधन में कुछ कठिनाइयां अगर रखो गई हैं उसमें इस बात की ओर तवज्जह दिलाया गया है कि फॉर्मर स्कीम्स फॉर्मर बोर्ड्स और ट्रस्ट्स के द्वारा मन्जूर की गई हैं उनको भी नये एक्ट के तहत मंजूर की गई समझी जानी चाहिए । लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि इसमें कहीं भी इस बात का प्रोविजन नहीं है उनके संशोधन में फॉर्मर इम्प्रूवमेंट की योजनाएं नये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बनाई हुई योजनाओं के प्रतिकूल हैं या ओवरलेप करती हैं, तो किन्हीं अवस्थाओं तक वे योजनाएं स्वीकार नहीं की जावेंगी । इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है ।

इसलिये मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे मूल संशोधन में ऐसा संशोधन भी लावें कि यदि नये बोर्डों के द्वारा कोई योजना बनाई गई है और वह यदि पुराने बोर्डों द्वारा बनाई गई योजनाओं को ओवरलेप करती हैं तो वे मंजूर नहीं करेंगे........

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह है ।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह नहीं है, गौर से पढ़िये । मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं वे बहुत थोड़े ट्रस्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं । बीकानेर ट्रस्ट ने

(श्री मानिकचंद सुराणा)

अभी बना कर भेजी हैं लेकिन सरकार की मशीनरी द्वारा इन योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। छः महीनों तक या १२ महीनों तक पड़ी रहती हैं। जहां इम्प्रूवमेंट की बात है वहां सिर्फ कानून बनाने से ही विकास नहीं होता है, पुरानी योजनाओं को मंजूर करलें इससे विकास नहीं होगा, लेकिन इम्पलीमेंटेशन आपका सेक्रेटेरियट कितनी जल्दी करता है उस पर निर्भर करता है। फौरन इम्पलीमेंटेशन किया जाना चाहिये, जितना अच्छी योजनाएं हैं उन पर तुरन्त विचार होना चाहिये। इसके बिना नगर विकास आगे नहीं बढ़ने का। इसलिये मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें जो मूल संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम होगा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट बनने से पहले कुछ नोन स्टेचुटरी बोडीज थी, डेवलपमेंट कौंसिल के नाम से कहलाई जाती थीं और उन्होंने अपने अपने शहरों के लिए डेवलपमेंट योजनाएं बनाई और सरकार से पास कराई। जब यह एक्ट बना तो इसके अन्दर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि इन योजनाओं को अज़ सरे नौ या तो शुरू किया जाय या जैसी बन कर आई हैं उनको मान लिया जाय। इसलिये यह जरूरत पड़ी कि शहर के अन्दर जो स्कीम्स बनी हैं उनमें यदि फिर से वही पुराना प्रोसिजर शुरू किया जाय, नोटिस निकले, ऑब्जेक्शन्स आवें उसके बाद तमाम चीज को एक रेडटेपिज्म के जरिये किया जाय और लोगों को यह कहने का मौका आवे कि सरकार हमें तंग करने के लिये एक दफा नहीं, दो दफा स्क्रूटेनाइज करती है। इस चीज से बचने के लिये सेक्शन ४१ तैयार की गई है।

जहां तक इम्प्रूवमेंट का सवाल है, उस जमाने में कुछ रूल्स थे उनके मुताबिक एलॉटमेंट किये गये, डेवलपमेंट किये गये। उस जमाने के डेवलपमेंट और उस जमाने के एलॉटमेंट को आज इन रूल्स से जज किया जायगा तो किसी को भी इतनी फोरसाइट नहीं होगी जो कह सके कि ५ साल बाद क्या रूल्स होंगे तथा क्याएक्ट बनेगा। इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह होता है कि जितनी कार्यवाही हुई है उसको खत्म करदें। खत्म ही नहीं करदें, बल्कि जिनको जमीन मिली है उन पर एक जब्र पैदा करें और जब उन पर ज़ब्र होगा तो सदन में आवाज आयेगी कि सरकार लोगों को तंग करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से पैसा खाने और भ्रष्टाचार करने का नया रास्ता निकाला है, यह भी सुनना पड़ेगा। यदि सदन मुझे हुक्म दे कि मैं शहरी आबादी में दखल दूं, सदन मुझे यह इजाजत दे कि जो जमीन जायज तौर से एलॉट करदी थी उस जमीन को फिर वापिस वेकेट करवा सकूं और फिर नये रास्ते से दूसरे लोगों को दूं माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूं कि यही नहीं, मेरे रास्ते में एक आपत्ति और है और वह है ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टीज एक्ट की। आज किसी की जमीन और जायदाद छीनी नहीं जा सकती। एक ने खरीदी और उसने दूसरे को बेचदी और दूसरे ने तीसरे को बेचदी। आज जिसने खरीदी उसने रुपये देकर खरीदी

Page No. 38

(श्री बरकतुल्ला खां)

और उसने दूसरे को बेचदी और दूसरे ने भी तीसरे को बेचदी तो आज क्या हम अज सरे नौ तीसरे आदमी को इसलिये पनिश करें कि उसने दसरे आदमी से खरीदी और दूसरे ने पहले से खरीदी ? इसका नतीजा यह निकलेगा अध्यक्ष महोदय, ये जमीनें जिनको दी थी उनसे वापिस लें, उन पर एन्क्रोच करें और लिटिगेशन बढ़े।

आज माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि किसी की लैन्डेड प्रोपर्टी की लेते हैं तो लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अंडर में ही लेनी पड़ेगी। अपनी मर्जी से नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते।

सदन में यह कहा गया कि कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि दो, चार या पांच लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है तो क्या यह जरूरी है कि जो हजारों आदमी मुद्दत से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि उनको जमीन मिलेगी, मकान बनायेंगे उनको सजा दी जाय ? मैं तो यह अर्ज करता हूँ कि सेक्शन ४१ की तहत जो जमीन अब देंगे वह पुराने हिसाब से नहीं दी जायगी, पुराने रूल्स के हिसाब से नहीं दी जायगी। अब जो जमीन बची है वह अंडर दी एक्ट जो रूल्स बने हैं उनकी तहत दी जायगी। इसलिये बहुत मजबूरन मुझे इस अमेन्डमेन्ट को नामंजूर करना पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) Sir, I would like to draw the attention of the Hon'ble minister to the proviso of sub-clause (k) which reads as follows :

"provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of any such officer or other employee shall not be altered to him disadvantage without the previous sanction of the State Government."

I think the amendment in as much as..

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : At present the amendment is in Clause 4.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I am inrlined to say that these are reactionary brovisions and the Government is trying to assume its authority which is totally....

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of Order Sir, I have not moved that amendent. That will come later on. I have moved on clause 3.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Srory, I should have thought that the Hon'ble Minister was replying to the entire Bill as such.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : No Sir. अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं कि जिसके कारण जो तमाम एलॉटमेन्ट्स हुए हैं, पहले वे सब गैर कानूनी हो जायेंगे, मेरा खयाल है कि यह अंदेशा सही नहीं है, क्योंकि जो पहले एलॉटमेन्ट्स इस इम्प्रूवमेन्ट एक्ट के आने से हुए हैं, जहां यह सही है कि कुछ गैर कानूनी तरीके से भी हुए हैं जो कि इस एक्ट के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुताबिक नहीं होने चाहिये थे, वहां यह भी सही है कि अधिकतर सही ढंग से हुए हैं। इसलिये अधिकतर जो सही ढंग से हुए हैं उनका गैर कानूनी होने का खतरा नहीं है, डर नहीं है इसको मानने से।

दूसरा, मैंने पर्पजली वर्ड यूज किया है वह है "रिपग्नेन्ट"। मैंने यह नहीं किया है, "in accordance with the provisions of this Act" वह एलॉटमेन्ट स्ट्रिक्टली इस मौजूदा एक्ट के मुताबिक न हो लेकिन इस शब्द के खिलाफ नहीं है। 'They should not be repugnant to the spirit of the present Act. इसलिये इसमें यह शब्द "रिपग्टनें" इसलिये यूज किया है कि मंशा जो इस एक्ट की है उसको डिफीट करने वाला न हो। ऐसे एलॉटमेन्ट्स कानूनन माने जायं। लेकिन स्ट्रिक्टली इस कानून के मुताबिक नहीं हैं तो इस कारण गैर कानूनी न बनाये जाएं, अगर स्प्रिट आपके एक्ट के मुताबिक हो तो। इसलिये मेरे पहले प्रोविजो में अंदेशा किया है उसमें तमाम अरबन एरिया में एलॉटमेन्ट कैंसिल हो जायगा, यह ठीक नहीं है।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत शासन मन्त्री) : स्क्रूटीनाइज की स्टेज आयगी तो बचाना जरूरी होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो इजाजत है।

(१ म. प.)

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रोविजो रखा है उसकी तहत यह कहा जाता है कि यह प्रोविजो सिर्फ इस प्रकार के एलॉटमेंट्स हैं, जिनमें आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये सेल और पर्चेजेज हुए हैं उनको गैर कानूनी करने के लिये कहा गया है। मैं यह कहूँगा कि आम तौर पर तमाम सेल्स या एलॉटमेंट किये जाते हैं वे पर्सनल जरूरत के लिये किये जाते है। मुनाफाखोरी के लिये ऐसे एलॉटमेंट नहीं हुआ करते हैं। ऐसे तो कोई एक्सेप्शनल केसेज हो सकते हैं मगर उनको कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती। यही इसकी मंशा है।

मैंने जो एमेंडमेंट ४१ में मूव किये हैं और जोड़ने के लिये कहा है इससे माननीय सदस्य यह समझते हैं कि तमाम एलॉटमेंट गैर कानूनी हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इसकी मंशा को गलत समझा है। मैं समझता हूं कि यह धारा ४१ ए है यह जरूरी है और आनी चाहिये ताकि जो पहले जो कार्यवाही कानूनी तौर से ठीक नहीं हुई है उसको रोकी जा सके। मेरी मंशा यही है कि जो एलॉटमेंट सही तरीके से नहीं हुए हैं उनको इन्वेलिड करार दिये जावें। मैं इसे प्रेस करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (एमेंडमेंट) बिल, १९६२ के क्लॉज ३ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए!

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(खण्ड ३ आगे स्वीकृत हुआ)

खण्ड ४

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की धारा ४ में यह एमेंडमेंट मूव कर रहा हूँ। इसके १०६ के सबसेक्शन २में इसकी धारा(बी) में आखिर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में एक प्रोविज़ों लगाया जावे :

"Provided they were procured, entered into and done in a bonafide manner".

"(ii) Delete clause (e) and renumber the rest of the clauses accordingly."

यह तो एक बहुत ही आवश्यक संशोधन है जो बोनाफाइड एक्ट है उसके कार्य और जो मेलाफाइड हो उन सारों पर यह लागू हो जावे, उनको एवोइड करने की कोशिश की है।

दूसरा क्लॉज (ई), जिसके अन्दर एक ऐसा स्वीपिंग प्रोविजो दिया गया है जिसमें कि पब्लिक को इस कार्यवाही के बारे में, जो पहले की गई है, किसी कोर्ट में जाकर चैलेंज करने से रोकते हैं और कहते हैं कि किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य सदन में सो रहे हैं।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हाउस में सोने की इजाजत है लेकिन खुर्राटा लेने की इजाजत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तमाम कार्यवाही ट्रस्ट बनने के पहले से पहले जो कमेटी थी उसने की। उसको इतना प्रोटेक्शन दे दें कि कोई नागरिक कोर्ट ऑफ लॉ में निर्णय को चैलेंज नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ कि यह एक स्वीपिंग प्रोविजन और पॉवर है। जैसा कि पहले मैंने क्लॉज ३ के संशोधन के समयनिवेदन किया,पहले कमेटी ने जो कार्यवाही की है और गलत की है तो उसको चैलेंज नहीं करना तो इससे तो लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसलिये मैंने क्लॉज (ई) को निकालने का संशोधन किया है। इससे आम लोगों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी होगी और पहले कमेटी ने जो गैर कानूनी कार्यवाही की है उसको चैलेंज कर सकेंगे। धारा ४१ में आपने खुद ने माना है कि चैलेंज का जो अधिकार है उसको तो नहीं छीनना चाहिये। इसलिये मैंने इसको निकालने का संशोधन पेश किया है।

तीसरा क्लॉज (एफ) है उसमें प्रोविजो जोड़ा है, शुरू में एक सेन्टेन्स जोड़ा है :

"In so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act." then this clanse–'all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for the former Trust immediately before such establishment for or in connection with such area shall be deemed to have been incurred entered into and engaged to be done by with or for the Trust so established;"

वही जो this must not be inconsistant with the provision...... की बात पहले मैंने कही वही इसकी मंशा है।

चौथा संशोधन है वह (k) में है और वह इस प्रकार है :—

Clause (k) run as follows:—

" Every officer or other employee serving under such former Trust im-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

mediately before such establishment in connection with such area shall be required to give an option to become an officer or employee of the Trust so established, with such designation as the Chairman may determine and hold office by the same tenure and at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as he would have held the same if the Trust had not been established and shall continue to do so unless and until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Trust so established :

"Provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of service of any such officer or other employee shall not be altered to his disadvantage without the previous sanction of the State Government."

Now I want to remove these words:—

"Without the previous sanction of the State Government".

जो मौजूदा क्लॉज है उसमें यदि राज्य सरकार इजाजत दे दे तो फिर इस बोर्ड के कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन्स में तब्दिली कर सकते हैं और उस हद तक तब्दिली की जा सकती है कि पहले जो उन लोगों को सहूलियतें थी उससे कम किया जा सकता है। तो मेरा संशोधन यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं देना चाहिये कि किसी कर्मचारी को वे सुविधाएं जो पहले मिलती थी वे नये कानून में अगर कम करने की कोशिश करे तो मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो जहां कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले कमेटी ने किया है उसके बारे में गवर्नमेंट यह चाहती है कि कैसे भी हुआ है उस पर मुहर लगा दी जावे और गलत कार्यवाही को भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जावे और जहां कर्मचारियों की सर्विस कन्डीशन का प्रश्न आता है उसके लिये गवर्नमेंट अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है कि वे चाहे तो ऐसी कन्डीशन्स दे दें जो पहले उनको मिलती थी, उससे कम किया जा सकता है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि अगर यह हटा दें तो किसी भी कर्मचारी की सर्विस कन्डीशन्स को कम नहीं किया जा सकता और उनको ऑपशन रहेगा जैसा पहले हिस्से में है। गवर्नमेंट सैंक्शन से कम अगर रखा जाता है उसको हटाया है।

तो इस तरह से मेरे४ अमेन्डमेंट्स इस बिल की क्लॉज ४ में मैंने मूव किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य इन संशोधनों को जिनमें कि आम नागरिकों के अधिकारों का, कर्मचारियों के अधिकारों का सवाल है, उनको मन्जूर करेंगे।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो अमेंडमेंट सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और जो सरकार की ओर से इस विधेयक में अमेंडमेंट आया है, उसको देख कर एक बात तो मेरी समझ में यह नहीं आई कि सरकार ने केवल इस संशोधन को पेश करके कि जो नये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बने हैं या पुरानों की जगह नये बने हैं, उन्हीं तक की जो कार्यवाहियां थी, अलॉटमेंट्स थे, उन्हीं को शील्ड करने तक

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

को अपना फर्ज समझा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान में २३ जगह ऐसी थी जहां किसी रूप में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करते थे। उनमें से केवल ६ जगह इस एक्ट के तहत इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कायम किये गये हैं। उन ६ जगहों में जो पहले की कार्यवाही थी उनको लीगेलाइज करने तक ही उनकी मन्शा है और पुराने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट थे या इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने जो काम किये, उनके पास स्टाफ था, ट्रांसफर अलॉटमेन्ट आदि इम्प्रूवमेंट के काम किये, स्कीम्स बनाई और वे म्युनिसिपैलिटीज को ट्रांसफर की गई उनके मुतल्लिक इस संशोधन में सरकार की ओर से कोई जिक्र नहीं किया गया है। इन ६ जगहों के अलावा और जगह हैं उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है, इस तरह की कोई चीज इसमें नहीं आई है। इस अमेन्डमेन्ट बिल में जो संशोधन रखे गये हैं उनमें से (k) के. प्रोवीजो में जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। वह वजन रखता है सरकारी मुलाजिमों के लिए। सरकार की ओर से लम्बे अर्से से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट काम करते थे। उनको एक दम तब्दील किया जाय, कन्फर्मेशन करें, एडीशन ऑल्टरेशन करें तो गवर्नमेंट की मन्जूरी चाहिए. यह सर्विस रूल्स के जनरल प्रिन्सिपल के खिलाफ है। इसलिए यह जो (k) में अमेंडमेंट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करूंगा। साथ ही अर्ज करूंगा कि जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट थे उनमें जो मुलाजिम थे, उन मुलाजिमों को और जो म्युनिसिपैलिटीज में ट्रांसफर कर दिये गए उनको भी यह हक देना चाहिए। मैं ऐसी मिसालें रख सकता हूं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स में जो लोग मुलाजिम थे, जब उन ट्रस्ट्स में काम करने वाले मुलाज़िमों को म्युनिसिपैलिटीज में ट्रांसफर हो जाने के बाद मुलाजिम नहीं रखा गया है, हटा दिया है और गवर्नमेंट को जब मूव किया तो गवर्नमेंट ने यह लिख दिया कि आपको एडवाइज करते हैं कि रख लें। इस पर उन्होंने कहा कि हमारी मर्जी हो तो रखें, मर्जी नहीं हो तो नहीं रखें।

ट्रांसफर हुआ। उस वक्त वहां ४० हजार रु० था। वह ४० हजार रुपया म्युनिसिपैलिटी को ट्रांसफर हुआ। कुछ प्लॉट्स ट्रांसफर हुए। इन सब रुपयों को विकास कार्यों में न लगाकर महतरों को तनख्वाह देने में लगा रहे हैं, जब कि वह पैसा विकास कार्यों में लगाना चाहिए। पहले के ऑर्डर्स थे उनको कैंसिल कर के अपने मनमाने तरीके से तब्दीली कर रहे हैं। इस तरह की बेजाब्तगियां हो रही हैं। इन ट्रस्टस के लिए भी कोई स्कीम सदन के सामने आनी चाहिए कि इनको लीगेलाइज किया जाय।

तो इसमें जो यह (k) का अमेंडमेंट है उसका मैं समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकारी पक्ष की ओर से भी इसे मन्जूर किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं उनमें से अन्तिम संशोधन ट्रस्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। इसमें सरकार ने एक लफ्ज तो रखा है कि सरकार से बिना पूछे किसी प्रकार से उनके सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। "सरकार से बिना पूछे" ये शब्द

(श्री मुरलीधर व्यास)

रखे गये हैं। इसमें सरकार की मंशा क्या, यह सोचने की बात है। सरकार की मंशा यह है कि ट्रस्ट वाले उनकी सर्विसेज में कोई नुकसान पहुँचा दें और सरकार यदि महसूस करती है कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिये तो सरकार को स्वयं कह देना चाहिये कि हम इस क्लॉज को हटाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको नुकसान हो। उनकी सर्विसेज की सुरक्षा के लिये ऐसे शब्द रखे हैं और उनकी सुरक्षा करनी है तो "सरकार से बिना पूछे" इन लफ्जों को बिल्कुल हटा देना चाहिये। आपका मकसद ऊंचा है तो इन लफ्जों को रखने की जरूरत नहीं है। सीधा रख सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा; जो नियम हैं उनके अनुसार काम होगा, सर्विस में कटौती नहीं की जायगी, न नुकसान होगा। वर्ना यह देखा है कि राजस्थान में सर्विसेज का ट्रान्सफर हुआ तो कई लोग बड़े परेशान हैं, किसी की सर्विसेज को किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र में डाल दिया तो इससे उनको बड़ा नुकसान हुआ और सरकार खुद जानती है कि ऐसी बात से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है।

सरकार हमेशा कहती है कि हमारी नीति तो यह है कि किसी भी विभाग के कर्मचारियों को इधर से उधर करके उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इधर से उधर करती है तो नुकसान होता है और नुकसान होता है तो लोग चिल्लाते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। सब जगह यही हाल है किसी भी क्षेत्र का ले लीजिये। पंचायतों के शिक्षक हैं उनको ले लीजिये, हांलाकि सरकार ने कहा है कि जो नियम सरकारी शिक्षकों पर लागू होंगे वे ही नियम पंचायतों के शिक्षकों पर भी लागू होंगे पर वास्तविक स्थिति यह है कि पंचायतों के शिक्षकों पर वे नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान क्लॉज ४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन लफ्जों को हटा दें ताकि उसकी सर्विसेज की सुरक्षा हो सके।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): Mr. Speaker Sir, I take up part (k) of clause 4 of the Bill. The proviso to this part says -

"Provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of Service of any such officer or other employee shall not be altered to his disadvantage without the previous sanction of the State Government."

"I will point out the words without the previous sanction of the State Government". The first porvtin of this part (k) shows that ths Government wants to create a sense of confidence and stability as far as the question of public servants is concerened. But the very moment something is added in the proviso, which is quite clear as if some power is going to he reserved by the Government in its own hands, that is a sort of arbitrary power. At any time the Government may accord sanction in respect of anybody in any case. Such cases may not be very many, they may be few

Page No. 44

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

and far between, but the cases can be there where the Government may give such sanction against any officer under the guise of discharging its duty, but in fact which may be the mis-use of the power.

At the time when we are going to create a sense of confidence as far as public servants are concerened, there is no question of adding this "furthe, "without the previous sanction of the State Government"; and keeping these powers with the Government. I may submit before the House that this sort of legislation may create a sense of non-confidence as far as discharging of public duties by public officers is concerned. To create a sense of confidence and to create better efficiency in the public servants, it becomes very necessary for the legislators to enact such pieces of legislation which give the public servants all sorts of protection. So my submission is that these further words, "without the previous sanction of the State Government" should be deleted from this proviso."

(१. २२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह सभापति, पदासीन)

I submit that the sense of confidence in pubiic servants will be doubled and efciency of the public servants will be increased whenever they are going to discharge their public duties. So I think the Government will feel its responsibility and try to delete this provision form this proviso.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : क्या सदन में कोई माननीय सदस्य सो सकते हैं ?

(विराम)

पहले इसका निर्णय दिया जाय ।

श्री सभापति : सदन में सोने के लिए तो यहां आते नहीं ।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत शासन मन्त्री) : Sir, a member can sleep in the House but he cannot snore and disturb other members.

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदय........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सोये सोये ही सता प्राप्त कर लेते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : अभी एक माननीय सदस्य ने अमेंडमेंटस् पेश किये हैं । मैं उनके समर्थन में और थोड़ा सा सजेशन है वह भी रखना चाहता हूं । जो अमेंडमेंटस् हमारे माननीय सदस्य ने रखा है उसमें उससे सम्बन्धित क्लॉज को मैं पढ़ देता हूं और सभापति महोदय, निवेदन करता हूँ कि इन शब्दों को इसमें से निकाल दिया जाय तो इसका सेंस ठीक हो जायेगा :

"(b) all lands and buildings (together with all intersts of whatsoever nature and kind therein) situated in such area and vested or vesting in such former Trust immediately before

(श्री अब्दुलजब्बार)

such establishment shall pass on to and vest in the Trust so established;"

जमीन जो है या कोई भी एरिया एक बार आ जाता है तो वह वेस्टेड ही माना जाता है। यह कोई चलती फिरती चीज़ नहीं है जो इधर से चल कर उधर चली जाय। Vested is supposed to be vested for ever.

इस तरह से हमारे माननीय सदस्य ने जो क्लॉज 'ई' के सम्बन्ध में डिलीट करने के लिए सजेशन किया है उसका भी समर्थन करता हूं। क्योंकि जब जनतन्त्र की प्रणाली को मानते हैं तो इसमें यह वैधानिक नजर नहीं आता है। कॉन्ट्रेक्ट के रूप में किसी से सौदा या कॉन्ट्रेक्ट कर लेते हैं तो उसका अधिकार सुरक्षित रहता है और वह माना जाना चाहिये। अगर पहले वाला ट्रस्ट कोई कॉन्ट्रेक्ट कर ले और ट्रस्ट के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद वह अपने राइट को स्ट्रेस करता है, क्लेम करता है तो हर बात से उसको अधिकार होता है कि उसके अधिकार को साफ घोषित किया जाय। अतः यह क्लॉज निकाल देने काबिल है।

ज्यादा जोर दिया है वह क्लॉज 'ए' के बारे में। इसके बहुत शिकार हो चुके हैं कर्मचारी। आज से नहीं, स्वतन्त्रता के बाद से ही यह प्रथा चली आ रही है कि जब एक डिपार्टमेन्ट तोड़ दिया जाता है तो उसके कर्मचारी मारे मारे फिरते हैं। ऐसी भी मिसालें हैं कि एक रुपया पेन्शन का व्यक्ति को दिया जाता है। एक रुपया पेन्शन का प्राप्त करने में तो सौ रुपये के कागज ही खत्म कर दिये होंगे। इस ओर ख्याल किया जाना चाहिये कि आखिर कर्मचारियों की स्थिति ऐसी क्यों होती है। यदि डिपार्टमेन्ट खत्म कर दिया जाता है then Government is responsible to appoint him then and there whatever that departmet may be. अगर गवर्नमेंट सर्विस की गारन्टी रोजी-रोटी की गारन्टी नहीं देती है, राज्य जनतन्त्रीय नहीं कहला सकता और जनतन्त्रीय प्रणाली मानने वाला नहीं होता है। उनकी पत्थर पर जड़ जमी हुई है। पत्थर पर मिट्टी पड़ी हुई, उसमें पानी जब तक डालते रहोगे चलेगी, पानी सूखा तो खत्म। एक कर्मचारी को दूसरी जगह नहीं लगाते हैं तो पहले से ही जहां बेकारी काफी मात्रा में है और उनकी हालत खस्ता हो जायेगी। ऐसी सूरत में माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और हर एक माननीय सदस्य यहां बिराजमान हैं उनको इसका पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिये क्योंकि हम भी उसको सोच विचार कर नहीं बनावेंगे, मनन नहीं करेंगे और ठोस, कहना चाहिये कि रेशनल रिफॉर्म के रूप में राय नहीं देंगे तो कानून अच्छा नहीं बनेगा। वर्ना रोजाना अमेन्डमेन्ट आते रहेंगे और रोजाना क्या कर्मचारी और क्या जनता परेशान होते रहेंगे।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव सदन के सामने रखता हूँ। माननीय सभापति महोदय, उन सदस्य

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

का में इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट, १९५९ है वह इस सदन के द्वारा पास किया गया था और उस पर मनन करके, सोच विचार करके, वाद-विवाद करने के बाद वह पास हुआ था उसके बाद इस एक्ट को एप्लाई किया गया। लेकिन इसके वर्किंग में प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज आयी हैं और कुछ लेकुनाज रह गये। इस-लिए उन लेकुनाज को दूर करने के लिए ही जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसमें संशोधन लानेवाले माननीय सदस्य को कोई खतरा या वहम उत्पन्न हुआ है। एक प्रोविजो है, उसमें माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है : "Add the words at the end of clause (b):-Provided they were procured, entered into and done in a bonafide manner." यह तो उस क्लॉज में इम्प्लाइड है। जो स्कीमें और बातें मन्जूर हुई हैं वे बोनाफाइड इन्टेन्शन से हुई हैं। अगर मेला-फाइड इन्टेन्शन से हुई होतीं तो उनके पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बोनाफाइड इन्टेशन्स से जो पहले प्रोवि-जन्स के तहत कुछ स्कीमें बनी थी उनको कानूनी रूप देने में अडचनें पैदा हुई। उन बातों को लेते हुए कार्य रूप में परिणित करने के लिये यह प्रावधान रखा गया है। इसलिये मेरे विचार से इनका इन्टेन्शन बोनाफाइडी है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं की जानी चाहिये।

दूसरा सब-क्लॉज (ई) है उसको डिलीट करने का संशोधन रखा है। इस क्लॉज को डिलीट कर दिया जायेगा तो मतलब यह होगा कि जो लेकुना रह गया था अगर कानून की तहत सरकार प्रोटेक्शन देना चाहती है उसमें अगर यह ओपन रखा जाय कि अदालतों में पूरी तरह से क्वेश्चन किया जाय या हाई कोर्ट में क्वेश्चन किया जाय तो इसमें बहुत समय लग सकता है। अरबन इम्प्रूवमेंट की स्कीमों को कार्य रूप में परिणित करने में; अगर हम चाहते हैं कि ये स्कीमें जल्दी से जल्दी कार्य रूप में परिणित हों तो हमें यह देखना होगा कि ये बातें जो कोर्ट में चैलेन्ज न हो जांय वहां स्टे ऑर्डर्स न आ जांय और विकास रुक न जाय तो प्रोविजों (e) delete नहीं होने देना चाहिये। इन दिक्कतों को मिटाने के लिये सरकार ने उचित समझा कि शीघ्र से शीघ्र विकास कार्य हो सकें, शहरों का इम्प्रूव-मेन्ट हो सकें, इसलिये इस चीज से बचने के लिये यह प्रावधान डाला गया है, इससे किसी को भी कोई दिक्कत पैदा होने वाली नहीं है।

विपक्ष की ओर से यह आग्रह होता है कि विकास की स्कीमें बहुत जल्दी परिपूर्ण होनी चाहिये। सरकार उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रोविज़न डालती है, लेकुनाज़ को ठीक करने के लिये, उन स्कीमों को शीघ्र कार्य रूपमें परिणित करने के लिये यह क्लॉज़ रखा गया है। अगर इसे डिलीट कर दिया जायेगा तो स्कीम्स में देरी होगी और शीघ्र कार्य पूरा नहीं होगा। इस संशोधन की मन्शा पूरी नहीं होगी इसलिये जैसा कि संशोधन उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने सुझाया है उस प्रकार का संशोधन करने की आवश्य-कता प्रतीत नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, एक बात

Page No. 47

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

और है कि जो माननीय सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन रखा है :

"Insert the following words in the beginning of clause (f):—

"In so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act."

अगर इस एक्ट के प्रोविज़न्स से इन्कों-न्सिस्टेन्ट स्कीम होती है तो इसे मन्जूर करने का प्रश्न नहीं होता है । यह तो सेविंग्ज़ क्लॉज़ है, अगर मेन एक्ट को पढ़ा जाय तो जो माननीय सदस्य को संशय है वह स्वतः दूर हो जाता है । इसको आप ठीक तरह से पढ़ें तो यह खतरा स्वतः दूर हो जाता है ।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उस पर सरकार से उनका कहना है कि जो प्रोविजन उसमें रखा है उसके जरिये सरकार सर्वेन्ट्स के साथ इन्जस्टिस कर सकेगी । लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि इस प्रोविज़न को पढ़ने से साफ मालूम होता है, अगर कोई ट्रस्ट कर्मचारियों के डिसएडवान्टेज का कार्य करें वे कागजात सरकार के पास पहुंचते हैं । अगर बोर्ड उसको वाजिब तौर से नहीं और आर्बिट्रेटरी मेनर में किसी कर्मचारी को डिसएडवान्टेज पहुंचाये तो सरकार को अधिकार है कि जिसका नुक-सान हो रहा है उसको प्रोटेक्शन दे । अगर ठीक बात होगी तो सरकार उसकी मन्जूरी देगी । जहां किसी कर्मचारी को भी नुकसान होने का खतरा हो तो उसके लिए सरकार ने अपने पास इसकी रेमेडी रखी है जिससे सरकार द्वारा शीघ्र ही कर्मचारियों को रेमेडी दी जा सके, इसी मकसद से यह प्रावधान रखा गया है । इसमें सरकार का जो एम है वह साफ है, इसमें किसी प्रकार का शक-शुबाह नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस प्रोविज़न के क्लॉज़ को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि शीघ्र रेमेडी देने के लिये हाई कोर्ट में जाना न पड़े, शीघ्र निपटारा करने के लिये यह रेमेडी रखी है । इससे कोई खतरा जाहिर नहीं होता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, जो मूल संशोधन रखा गया है उसके क्लॉज़ ४ के सब-क्लॉज (k) में बहुत खतरनाक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । उसके अनुसार सरकारचाहे तो पुराने ट्रस्ट के कर्मचारियों के वेतन में कमी भी कर सकती है····

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): आपने इसको समझा नहीं है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो समझा है उससे ज्यादा तो मैं अंग्रेजी जानता हूँ ।

सभापति महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें खतरनाक सिद्धान्त का प्रति-पादन किया गया है कि सरकार चाहे तो पुराने ट्रस्ट के कर्मचारियों की किसी सूरत में कमी भी कर सकते हैं । हमारे संविधान में जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारियों का ताल्लुक है, हाईकोर्ट का ताल्लुक है उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया है । राज्य सरकार के कर्म-चारियों के लिये भी यह प्रोविज़न संविधान के आर्टिकल ३११ में दिया हुआ है कि उनके वेतन में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती । अगर कोई डिसिप्लिन का मामला हो या उनको

(श्री मानिकचंद सुराणा)

किसी प्रकार पनिशमेंट देने का मामला हो तो उसके लिये भी संविधान के आर्टिकल ३११ के तहत कार्यवाही होगी । लेकिन यहां पर जो बात कही गई है वह है ट्रस्ट के कर्मचारियों की तनख्वाह में भी कमी की जा सकती है । यह अधिकार जो सरकार ने अपने हाथ में रखा है, अदब के साथ निवेदन करूंगा कि वह आज के प्रगतिशील कहलानेवाले राज्य के लिये शोभा की बात नहीं है । सोशिलिस्टिक पेटर्न वाले राज्य को तो छोड़िये, प्रगतिशील कहलानेवाले राज्य के लिये भी यह बात शोभनीय नहीं कही जा सकती । मैं शर्मनाक तो कहना नहीं चाहता, लेकिन माननीय सभापति महोदय, प्रगतिशील कहलानेवाले राज्य के लिये भी मैं उचित नहीं समझता । जहां आप सेक्रेटरी की तनख्वाह ९०० से १,१०० तक रख सकते हैं, उसके साथ साथ उसको २५० रुपये स्पेशल पे दिलवा सकते हैं, उनको आप और दे सकते हैं, उनके ग्रेड्स और रिवाइज कर सकते हैं । संविधान का अधिकार है सारे ट्रस्ट के जितने भी अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी सेलेरी को रिवाइज करें, नीति के आधार पर । यदि कमी भी करें–हम नहीं चाहते कि वेतनों में इतना अन्तर रहे–यदि किसी सिद्धांत के आधार पर कमी भी करनी पड़े गरीब कर्मचारी की भी तनख्वाह कम कर दीजिये । इस संबंध में जो अमेंडमेंट अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको कम से कम प्रगतिशीलता की रक्षा के लिये मंजूर करें । इसके साथ साथ क्लॉज (ई) में जो अमेंडमेंट रखा गया है मुझको ऐसा महसूस होता है कि रूल ऑफ लॉ जनतन्त्र का मूल सिद्धांत है; आप इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं । बहुत से एक्ट्स में इस प्रकार के प्रोविजन्स आते हैं, नियम–उपनियम आदि कुछ रखे जाते हैं, उनके बारे में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चुनौती दी जा सकती है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम यह चाहते हैं कि जनतन्त्र में कानून का और व्यवस्था का काफी स्थान होना चाहिए तो फिर आप क्यों किसी नागरिक को बोर्ड और ट्रस्ट के गलत कारनामों के खिलाफ किसी कचहरी या कोर्ट में जाकर चुनोति देने के अधिकार से रोकना चाहते हैं ? अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रगति की रफ्तार को तेज करना है पर वे स्वयं नहीं समझते कि वे ऐसा करके प्रगति की रफ्तार को धीमी कर रहे हैं । विकास अगर नियमों, कानून और उसके प्रावधानों की रक्षा करते हुए करनी है तो हमें बोर्ड और ट्रस्ट में होने वाले भ्रष्टाचार को इस तरह से शील्ड नहीं करना चाहिए । उसके गैर कानूनी कार्यों को इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए । हर नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि कोई भी बोर्ड अगर कानून और नियमों के अनुसार नहीं चलता है तो उसके खिलाफ वह अदालत में जा सकता है । हमें इस चीज का स्वागत करना चाहिए। इससे हमारी प्रगति होगी, इसमें रोड़े नहीं अटक सकेंगे ।

सिर्फ इस एक्ट का सवाल नहीं है । हमें अपनी नीति के तौर पर इस पहलू को सोचना चाहिए । क्या हम अपने राज्य में रुल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं या एक्ट में इस तरह के प्रावधान करके किसी भी

(श्री मानिकचंद सुराणा)

गलती को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकेंगे ऐसा करके क्या हम अपनी उस नीति से डाइवर्ट होना चाहते हैं ? हर नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई भी बोर्ड या कॉर्पोरेटेड बोडी गैर कानूनी काम कर लेती है तो वह उनके खिलाफ अदालत में भी जा सके ।

मैं खास तौर से इस बात की तरफ आप का ध्यान और दिलाऊंगा कि आपने जो पावर्स कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपने हाथ में रखे हैं उनको छोड़ देना चाहिए और इस संशोधन को मन्जूर करना चाहिए।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत शासन मंत्री) : मेरे दोस्त जो कोलायत से इलेक्ट होकर आये हैं उन्होंने मेरी काफी मुश्किलें आसान कर दी और काफी जवाब दे दिया ।

माननीय समापति महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं क्लॉज ३ के अमेन्डमेंट के बारे में कुछ अर्ज कर दूं। गवर्नमेन्ट की मंशा नहीं थी कि सर्विसेज पर अंकुश रखा जाय । गवर्नमेंट की मंशा इसमें सिर्फ यह थी कि अगर नया बोर्ड पुराने बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह कम करना चाहे तो सरकार से पहले इसके लिए इजाजत ले ले और यह इसलिए था कि गवर्नमेंट के सामने आर्टिकल ३११ था । सरकार और सरकार के लॉ डिपार्टमेन्ट को यह मालूम था कि इस तरह की ज्यादती कर्मचारियों के खिलाफ नये बोर्ड नहीं कर सकते । इसलिए वे पॉवर अगर सरकार के पास रहते तो सरकार उनको तनख्वाह कम करने की इजाजत देने से इन्कार कर देती है । इस लीगल पोइन्ट पर ये अख्तियार सरकार ने अपने पास रखने चाहे थे । पर चूंकि मेरे दोस्तों ने सरकार की इस मंशा को गलत समझा है इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को मैं बड़ी खुशी से मान लेता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट कोई ऐसे पावर्स अपने हाथ में नहीं लेना चाहती कि जिससे उसका गलत यूज हो, वे एब्यूज हों ।

आगे, माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर यह अमेन्डमेन्ट रखा गया है :

"In the proposed sub-section (2) of section 106, add the words at the end of clause (b)---

'provided they were procured, entered into and done in a bonafide manner. ' "

माननीय सभापति महोदय, इस सेक्शन का तो मतलब यह था कि जो अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट अब बन रहा है उसको पुराने ट्रस्ट या कमेटियों के जो असेट्स हैं वे आसानी से ट्रान्सफर हो जावें । अगर उस जमाने में उन कमेटियों ने या ट्रस्टों ने गलत तरीके से अपने असेट्स बढ़ाये हैं तो उस समय लीगल रेमेडीज़ मौजूद थीं, आज की तारीख में इस एक्ट के रूल्स के तहत उन चीजों को गलत बता कर कोई मुकमेबाजी में न जाने पावे जिसका नतीजा यह कि सिवाय जनरल लिटिगेशन के और कुछ नहीं होगा, इसलिये यह क्लॉज रखा है । तो लिटिगेशन को रोकना हमारा इससे मकसद है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

Page No. 50

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

I have said in my amendment : "provided they were done in a bonafide manner".

श्री बरकतुल्लाखां : If they were not done in a bonafide manner, they were open to be challenged in a court of law then. To go into the motive now after a couple of years will only mean that everything will be challenged in one form or the other and there will be no end to it.

सभापति महोदय, जहां तक डिलीशन ऑफ क्लॉज (ई) का ताल्लुक है, यह तो जनरल सेविंग का क्लॉज है। यह करीब करीब सभी एक्टों में आता है। इसका मतलब भी यह नहीं है कि कोई उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकता। यह नहीं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से एबव कोर्ट बन गया। सिर्फ बात इतनी सी है कि यह जनरल क्लॉज रखा है। इसका मतलब यह है कि जो एक्शन पुरानी कमेटियों ने लिये थे उन एक्शनों को आज के कानून के आधार पर नल अण्ड वाइड करार न दे दिया जावे।

और आखिर के अन्दर जो अमेन्डमेन्ट आया है वह तो सक्सेसिव बोडी है उसको जो और लाएबिलिटीज लेनी पड़ती हैं आसानी से, इत्मिनान के साथ ले ले और इसमें कोई झगड़ा न हो, यह मंशा है। सीधी सी बात है, जैसी कि बात है I am ready to accept the amendment of the Hon'ble Member that the words "without the previous sanction of the state Government" be deleted.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, अभी मंत्री महोदय ने धारा (ई) के सम्बन्ध में फरमाया कि कोई मुकदमेबाजी न हो इससे दिक्कतें होती हैं क्योंकि सम्भव है कोई स्टे ऑर्डर ले आवे, कुछ केस कर दे तो इससे डिले हो सकती है, पर साथ साथ में जो इसके वर्डिंग्ज हैं कृपया उन पर भी गौर फरमावें। अगर इनको देखा जाय तो यह नजर आता है कि "कोई कॉन्ट्राक्ट" "कोई फण्ड" इस तरह से इनमें जितने शब्द हैं....

श्री सभापति : Hon'ble Member, no discussion can be allowed.

श्री अब्दुलजब्बार : मेरी तो सिम्पल रिक्वेस्ट है कि इसका क्लेरिफिकेशन हो जावे तो अच्छा होगा कि किन किन स्टेजेज पर किन किन खास खास मुद्दों पर कोर्ट में चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

श्री सभापति : श्री रामानन्द।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन १ और ३ को तो प्रेस नहीं करता। नम्बर चार मन्त्री महोदय ने मन्जूर कर लिया है इसके लिए उनको धन्यवाद।

बाकी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्लॉज (ई) केवल एक सेविंग्ज का क्लॉज ही नहीं है। उनके शब्द जिस तरह के हैं उसमें यदि यह नहीं होता तो ठीक रहता, जैसे if they could not be challenged on the ground that such and such Act was not in existence. Then it can be called a saving clause. But now the clause, as

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

it exists, means that whatever acts have been done before the coming into operation of the present enactment have been saved. They cannot be challenged on any ground, whereas any acts done after the commencement of the present Act can be challenged. It will be an anomolous position. So I will request the Hon'ble minister to consider over this question, otherwise this will unnecessarily create a very unjust position.

श्री सभापति : Now I put the Question.

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a Point of order, Sir it is clause 4.

(विराम)

Clause 3 has already been accepted,

(१.५० म.प)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ४ में श्री रामानन्द अग्रवाल ने सेक्शन १०६ के सब—सेक्शन (२) में जो संशोधन प्रस्तुत किया है :

"Add the words at the end of clause (b)-'provided they were procured, entered into and done in a bonafide manner."

इसे स्वीकार किया जाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : No Sir, I seek permission of the House to withdraw it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य (श्री रामानन्द अग्रवाल) जो विथ्ड्रॉ करना चाहते हैं उनको विथ्ड्रॉ करने दिया जाये ?

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता।

(विराम)

माननीय सदस्य का संशोधन विथ्ड्रॉ हुआ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (राजसमन्द) 'Noes' have not ben asked, Sir.

श्री सभापति : It is implied.

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'ना' पक्ष को नहीं पूछा गया।

श्री सभापति : That is implied.

(विराम)

प्रश्न यह है कि नम्बर २ संशोधन जो श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत क्लॉज में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : No. 3, I do not press.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन नं० ३ श्री रामानन्द अग्रवाल ने पेश किया है उसे विथ्ड्रॉ करने दिया जाये ?

(स्वीकृत)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री रामानन्द अग्रवाल के संशोधन का भाग ४ जो इस प्रकार हैं :—

"Delete the following words appearing in line 3 by the proviso to Clause (k) 'wihout the previous sanction of the Government." स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन का भाग ४ स्वीकार हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ संशोधित रुप में, अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक का खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १ इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि।

प्रश्न यह है कि खण्ड १ इनेक्टिंग फार्मूला, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खण्ड १ इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रीएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रुप से जोड़े गये।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मन्त्री) सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १६६२ पारित किया जाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a Point of order Sir, When an amendment has been accepted in the Bill, that Bill cannot be passed on the same day. In this Bill, an amendment has been accepted. Therefore, it cannot be moved for passing to day. It can be taken up tomorrow.

श्री सभापति : Rule 85 (2) says-"Where a Bill has undergone amendments, the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made,"

(श्री सभापति)

So I have allowed the motion to be made.

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (अमेन्डमेंट) बिल, १९६२ एज अमेंडेड पारित किया जाये ।

(स्वीकृत)

राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट(अमेन्डमेंट) बिल, १९६२ संशोधित रूप में पारित हुआ ।

(२. म. प.)

राजस्थान अराई तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १९६२

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स) वैलीडेटिंग बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स) वैली डेटिंग बिल, १९६२ विचारार्थ लिया जाये ।

(स्वीकृत)

राजस्थान अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स) वैलीडेटिंग बिल १९६२ को विचारार्थ लिया गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स) वैलीडेटिंग बिल, १९६२ को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स वैलीडेटिंग बिल, १९६२ को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थास अराई तहसील (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स) वैलीडेटिंग बिल, १९६२ पारित किया गया ।

राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक, १९६२

(विचार – विमर्श एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप–मन्त्री, राजस्व) : चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (ऑफिस एबोलिशन) बिल, १९६२ विचारार्थ लिया जाये ।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल के उद्देश्यों का सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ । लेकिन इस संशोधन बिल का प्रभाव करीबन राजस्थान के अन्य २१ एक्ट्स पर पड़ता है । ऐसी स्थिति में इस बिल पर केवल एक, दो घन्टे में डिस्कशन करके अभी ही इसको पारित करना मैं उचित नहीं समझता । इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि यह राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक,

(श्री विजयसिंह झाला)

१६६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और इसकी रिपोर्ट विधान सभा के समक्ष १५ दिन में प्रस्तुत की जाये। जहां तक इस बिल का सवाल है, वह एक व्यवस्था का सवाल है। ऐसा कोई नया राइट क्रियेट होता हो और ७ दिन तक यह रूका रहे जिससे किसी को नुकसान हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य का विरोध होगा कि जिसका प्रभाव दूसरे २१ एक्टस से सम्बन्धित है उन सारे एक्ट्स का जब तक अध्ययन नहीं किया जाये और सारे एक्ट्स का अध्ययन करके निष्कर्ष नहीं निकाला जाये तब तक इसको पारित नहीं करना चाहिए। जहां तक कमिश्नर के पद का उन्मूलन करके कहीं पर कलेक्टर को अधिकार दिये गये हैं और बहुत सी जगह राजस्व अपील पदाधिकारी को अधिकार दिये गये हैं और बहुत सी जगह यह कहा गया है कि इन दोनों के अतिरिक्त सरकार चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार दे सकती है। यह सारी ऐसी उलझनें हैं। सम्भव हो सकता है कहीं पर कलेक्टर को अधिकार दिये जा सकते हैं लेकिन उसकी जगह पर राजस्व अपील पदाधिकारी को अधिकार दिये गये हैं तो ऐसी स्थिति में उलझन पैदा हो जायेगी इन अपील करने वाले व्यक्तियों के लिये जो कि कलेक्टरी में अपील कर सकते हैं या खामख्वाह उनको उस जगह पर आना पड़ेगा जहां कि राजस्व अपील पदाधिकारी हो।

जहां तक राजस्थान सरकार ने यह बताया है कि दोनों के सिवाय दूसरे को भी अधिकार दिये जा सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अभी तक हमारी सरकार भी कन्फ्यूज़न में है कि दरअसल में जिन जिन एक्ट्स में कमिश्नर्स को अधिकार थे उन अधिकारों को दूसरे किस व्यक्ति को देना चाहिए। तो यह ऐसी एक व्यवस्था का सवाल है कि जिसकी वजह से जो इसके ऊपर एक्सपर्ट सदस्य हैं यदि वे ७ दिन के अन्दर इस सारी व्यवस्था के बारे में या १५ दिन तक जैसा कि उचित समझें उस पर सोच कर रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद इस पर विचार किया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। अतः मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इस बिल पर जल्दी में विचार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से एक्ट्स का इसके साथ में सम्बन्ध है और यदि १५ दिन के बाद पेश हुआ तो नुकसान भी नहीं होने वाला है, जैसी व्यवस्था है वह व्यवस्था चालू रहेगी ऑर्डिनेन्स के मुताबिक काम हो रहा है। अतः इन उलझनों को निकालने के लिए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सभापति महोदय, यह डिवीज़नल कमिश्नर्स (ऑफिस एबोलिशन) बिल दूसरे २० एक्ट्स को एफेक्ट करता है। निश्चित रूप से मेरी यह राय है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लायक है। कमिश्नर को बहुत से एक्ट्स टीनेन्सी एक्ट, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट; इस प्रकार से २० एक्ट्स में जिसका शिड्यूल में विवरण है, उनमें बहुत से अधिकार थे और यह बहुत ही सोचने की बात है कि उनके अधिकारों को किन ऑथोरिटीज़ को दिया जाय। इसलिए एक बिल के रूप में जो संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया है उसमें एक शिड्यूल है कि कमिश्नर को कहां कहां रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी पढ़ा जाय, कहां कहां कमिश्नर के लिए

(श्री मानिकचंद सुराणा)

कलेक्टर पढा जाय; मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके बावजूद वह व्यवस्था अभी तक चल रही है, एमेन्डमेन्ट्स के फार्म में चल रही है उस व्यवस्था को मदद करने के लिए और इस बात पर विचार करने के लिए कि कमिश्नर के कौन कौन से अधिकार किन किन ऑथोरिटीज़ को दिये जाने चाहिए, यह बिल निश्चित रूप से प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लायक है।

जहां कमिश्नर के पद को एबोलिश किया गया है और जहां तक रेवेन्यू मैटर्स, टीनेन्सी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट्स का सवाल है वहां पर रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की व्यवस्था की गई है। इसके लिए भी मैं यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जहां ५ डिवीज़न्स हैं वहां पर ४ डिवीज़न्स के लिए यह एक रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के लिए व्यवस्था की गई है और उनमें बीकानेर और जोधपुर को मिला कर एक रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी बीकानेर हैडक्वार्टर के साथ में बनाई गई है। लेकिन उसके कार्य को यदि मन्त्री महोदय देखेंगे तो मैंने उनसे वैसे भी निवेदन किया था कि रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी या जो भी ऑथोरिटी हो वह १५ दिन बीकानेर में रहती है और १५ दिन जोधपुर में रहती है इससे बहुत बड़ा नुकसान लिटीगेन्ट्स का होता है, आम लोगों का होता है, और वहां की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा इससे होती है। जब राजस्थान में ५ डिवीजन्स हैं तो मैं समझ नहीं पाता कि अलग अलग ऑथोरिटी एक एक डिवीजन के लिए क्यों नहीं मुकर्रर की जा सकती है? जयपुर के लिए की जा सकती है, अजमेर के लिए की जा सकती है, उदयपुर के लिए की जा सकती है तो क्या वजह है कि सारे ज़ोधपुर और बीकानेर के लिए एक ही रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की व्यवस्था की जाय? जितने भी कमिश्नर्स ऑफिस एबोलिश किये जायं उनके साथ में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी कितनी रहे, प्रवर समिति उसके डिटेल में जाकर एक्जामिन कर सकती है कि कहां कितने वह नजदीक है। सब-डिवीजन्स में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि डिवीजनल कमिश्नर्स के पद के उन्मूलन के साथ जो इम्प्लीकेशन्स हैं उन इम्प्लीकेशन्स को बहुत सूट करने वाली और उनके लिए आवश्यक जो भी आथोरिटीज हो उनको अधिकार देने के लिए मैं इस बात का निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपर्द किया जाय और जो मंत्री और माननीय सदस्य हैं मैं नहीं समझता कि यह उनके लिए कोई प्रेस्टिज का प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है और २० एक्ट्स इससे एफक्टेड होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आ जाय। उससे सदन को बहुत बड़ी सहूलियत होगी। डिवीजनल कमिश्नर्स के पद के उन्मूलन के साथ में कठिनाई हुई है, उन कठिनाइयों का प्रवर समिति के सामने बहुत विस्तृत विवेचन हो जायगा और जो भी सुझाव हैं प्रवर समिति के वे भी सदन के समक्ष आ सकेंगे। मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभा-

(श्री भीमसेन)

पति महोदय, यह राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर्स ऑफिस (एब्रोलिशन) बिल है यह सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है और एक माननीय सदस्य ने इसको प्रवर समिति में सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने डिवीजनल कमिश्नर्स ऑफिस को एब्रोलिश करके हिन्दुस्तान में एक साहसिक कदम उठाया है, और शासन के सुधार की ओर एक नया कदम उठाया है। इसका सब लोगों ने स्वागत किया है।

कई माननीय सदस्यों ने इस दलील पर कि इस बिल के पास होने से बहुत से एक्ट्स पर असर पड़ेगा इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। माननीय सभापति महोदय, जहां रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी कायम करने जा रहे हैं राजस्थान में कमिश्नर्स के स्थान पर अथवा ऐसे मामले हैं जहां एक प्रशासक के नाते कमिश्नर को जो राइट थे अपील सुनने के उनकी भी व्यवस्था करने जा रहे हैं उसके बारे में यह एक कॉन्सिक्वेन्शियल बिल है। जहां नीचे के अधिकारियों की कमिश्नर के स्टेटस तक की अपीलें होंगी और जब कमिश्नर का पद एब्रोलिश करने जा रहे हैं तो किसी हाइयर ऑथोरिटी के बारे में अपील और राइट्स के बारे में व्यवस्था करेंगे। तो हमारे सामने एक सीधा सवाल है कि हम यह पावर्स अगर कलेक्टर्स को दें या रेवेन्यू बोर्ड को दें या स्टेट लेवल पर दें। ये तीनों ही हमारे सामने सीमाएं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि कमिश्नर के पद के एब्रोलिश होने में जिन एक्ट्स में कहां कमिश्नर्स को पावर्स थे उनके स्थान पर इन तीनों शक्तियों के बारे में जिस तरह से उसका लेवल है उन एक्ट्स में संशोधन कर दिया जायगा। और मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रवर समिति अपोइन्ट की जाय और फिर उसके बारे में विचार करें, ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। यह एक कॉन्सिक्वेन्शियल बिल है, इसलिए प्रवर समिति को एम्पोइन्ट करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) चेयरमैन महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कमिश्नर की पोस्ट्स और स्टाफ को एब्रोलिश करने के सम्बन्ध में जो कदम उठाया गया और इस कदम के उठाने के फलस्वरूप जो लेजिस्लेशन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया गया उसका माननीय सदस्यों ने स्वागत किया। वास्तव में यह बात स्वागत करने योग्य इसलिए भी है कि सदन के सभी माननीय सदस्यों की किसी समय यह राय थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोस्ट को किसी प्रकार से कम किया जाय। एस्टीमेट्स कमेटी की भी यही राय थी, फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की भी यह राय थी। इसलिए उस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे को कम करने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया। इस कदम से राजस्थान सरकार को ८,१४,०००) रु० प्रतिवर्ष का लाभ होगा, खर्च की कमी के कारण। उसमें से कुछ रुपया इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अपीलेट ऑथोरिटी या दूसरा स्टाफ रहेगा उसमें खर्च होगा, लेकिन ६,१५,०००) रु० प्रतिवर्ष का नेट लाभ या सेविंग इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रावधान के जरिये होगा। न केवल खर्च की ही बचत होगी, बल्कि कमिश्नर्स के रहने से डिवीजनेलिज्म की भावना हम लोगों में फैल जाती थी उस भावना का भी अन्त होगा। यह राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी एक अच्छा कदम है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। गई साल मार्च महीने में इस पद को समाप्त करने की घोषणा हुई और उसका कुछ विरोध हुआ दूसरी लाइन्स पर। फिर भी ऑर्डिनेन्स के जरिये १६ नवम्बर, ६१ को हम उसे लागू कर सके। उससे पहले सरकार के सभी विभागों ने जिन विभागों का भी इस पोस्ट से सम्बन्ध पड़ता था उन्होंने काफी चर्चा की, सब कानून को देखा, सब कानून के प्रावधान देखे और यह भी देखा कि कमिश्नर के कहां कहां और क्या क्या अधिकार हैं और वे अधिकार किनको दिए जा सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करने के बाद यह ऑर्डिनेन्स निकला। इसमें कोई विशेष बात नहीं है जिस पर कि अधिक चर्चा की आवश्यकता हो। इसमें तो केवल दो, तीन बातें हैं। मुख्य है एक बात तो यह कि जो अपीलें और निगरानियां कमिश्नर के यहां होती थी कलेक्टर की, दूसरे विभागों की उनके लिए अपेलेट ऑथोरिटी बाकी के लिए कलेक्टर और विशेष परिस्थिति में ऐसे ऑफिसर जिसको सरकार अपोइन्ट करें, हो। यह एक इम्पोर्टेन्ट प्रावधान जो इसमें किया गया है वह है। इसके अलावा कमिश्नर के जो दूसरे फंक्शन्स सुपरवाइजरी थे उनके लिए उसके स्थान पर रेवेन्यू बोर्ड में एक मेम्बर का इजाफा कर दिया गया है, जो यह काम कर सकता है। इसी प्रकार से रिवीजन या अपेलेट ऑथोरिटी का अधिकार दिया गया है। दूसरे अधिकारियों की अपील या रिवीजन को सुनने का अधिकार जो पहले कमिश्नर को था कलेक्टर के नीचे के ऑफिसरों का वह कलेक्टर को दिया गया। यह सिम्पलीफिकेशन करके इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल खर्चे की बचत हुई और न केवल डिवीजनेलिज्म की भावना खत्म हुई; बल्कि रेवेन्यू जुडिशियरी को स्वतन्त्र करने की ओर यह पहला कदम है। अपेलेट ऑथोरिटी जुडिशियल बोडी की तरह की होगी। इसलिए इनको देखते हुए जो प्रावधान किया गया है वह सोच समझ कर किया गया है। इसमें माननीय सदस्यों द्वारा कोई ऐसी कॉम्पलीकेसी नहीं बताई कि जिसके आधार पर इस बात का मौका दिया जासके कि यह बिल प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

जहां रेवेन्यू अधिकारों के सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को अपोइन्ट करने का प्रावधान किया उसके साथ साथ ऐसे भी प्रावधान जो आवश्यक समझे गये, जिनको सरकम्स्टान्सेज डिमान्ड करते हैं वे भी किए गए। डेलीगेशन ऑफ पॉवर का सेक्शन है वह पहले इस प्रकार था कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत जो ऑफिसर्स और स्टाफ अपोइन्ट होता था और उसको जो फंक्शन्स दिए जाते थे वे किसी दूसरी एजेन्सी को, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में अंकित नहीं थी, नहीं दिया जा सकता था। लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की योजना चालू करने के बाद सदन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

की तरफ से प्रेशर आया कि कुछ अधिकार पंचायतों को दिये जावें, सेटलमेन्ट ऑफ बाउन्डरी डिस्प्यूट्स राइट ऑफ वे ओन फील्डस, इस प्रकार के अधिकार पहले तहसीलदार को थे वे पंचायतों को दिये गये। इस पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत कानून के द्वारा नियुक्त अधिकारियों को दिये जाते रहे हैं वे अधिकार क्या दूसरे अधिकारियों या बोडीज को दिये जा सकते हैं जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत अपोइन्टेड या कान्स्टिट्यूटेड नहीं हैं और कुछ डिस्प्यूट्स और कम्प्लीकेशन्स हुए उनको मिटाने के लिये डेलीगेशन ऑफ पावर का प्रावधान किया जिससे इस प्रकार की लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के तहत समय समय पर जो कदम उठावें, जो समय समय पर अधिकार दें, सदन के जरिये या रूल्स के जरिये उनको चैलेन्ज नहीं किया जा सके, यह बिल में प्रावधान हैं।

अब सवाल यह रहता है कि इसमें २१ कानूनों का सवाल आता है उसकी वजह से उलझन पैदा है, इसलिये इसे प्रवर-समिति के सुपुर्द किया जाय। केवल संख्या को देख कर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन २१ कानूनों में जहां कमिश्नर के नाम का प्रश्न आता है, वहां तरमीम करने का प्रश्न रहता है। जहां नाम आये उनमें तरमीम करने का सुझाव है तो तरमीम के जरिये दिये जा सकते हैं। यह १६ नवम्बर, ६१ को ऑर्डिनेन्स के रूप मे सामने आया और इसको पास करना है एसेम्बली शुरू होने के ६ सप्ताह के भीतर इसलिये हमारे पास कोई समय नहीं है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार करें और मैं आवश्यकता भी नहीं समझता कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। क्योंकि जितने प्रावधान किये गये हैं वे सब स्पष्ट हैं, सोच समझ कर किये गये हैं और आवश्यकता के अनुसार किये गये हैं।

एक सवाल अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में उठाया गया कि वह १५ रोज बीकानेर में रहते हैं, १५ रोज जोधपुर में रहते हैं और ५ कमिश्नरों के स्थान पर ५ क्यों नहीं होते हैं चार ही क्यों हैं ? लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कम से कम ३ होने चाहिये, उससे अधिक सरकार जितने चाहे कर सकती है। अभी सरकार ने चार स्थानों पर किया है और साथ साथ यह भी प्रावधान किया है उनकी मीटिंग के बारे में कि अपीलेट ऑथोरिटीज जगह जगह डाइरेक्शन के मुताबिक कर सकते हैं। यह इसलिये किया कि जोधपुर के केसेज हैं और यदि बीकानेर में बैठक हो तो जोधपुर के लोगों को बीकानेर आने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, खर्चा होगा। सरकार न्याय को सस्ता करना चाहती है इसी लिये दोनों जगह कोर्ट्स होल्ड की जाती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैंने यह नहीं कहा कि बीकानेर में अपीलेट ऑथोरिटी न जावे, या जोधपुर में न जावे; मैंने यह कहा कि ५ करने में आपको क्या ऐतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य ने फरमाया था कि १५ रोज बीकानेर में रहते और १५ रोज बाहर रहते हैं इससे लोगों को अड़चन होती है। इसका जवाब यह है कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

१५ रोज बीकानेर के लोगों को सुविधा मिले और १५ रोज जोधपुर के लोगों को सुविधा मिले।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर में २८ फरवरी तक के लिये ही रखा था और अब तक मियाद नहीं बढाई है, मैं समझता हूँ मियाद बढ़ा दी जायेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं जैसा कि निवेदन कर चुका हूं, सुविधा के लिये अपीलेट ऑथोरिटी नियुक्त की गई है जिससे कि तकलीफ न हो। लेकिन साथ ही वर्क लोड भी देखा जाता है और परिस्थितियों को देखा जाता है। परिस्थितियों के अनुसार जहां जैसी आवश्यकता है, सरकार उनको बिना कारण हटाने का विचार नहीं रखती। माननीय सदस्यों को विश्वास रखना चाहिये कि नियमानुसार, सुविधा के लिये, वर्क लोड के आधार पर तय की हैं, वे रहती है। यदि वर्क लोड कम हुआ, आवश्यकता नहीं हुई तो दूसरी बात है। लेकिन सरकार सुविधा की दृष्टि से, वर्क लोड की दृष्टि से, दूसरी कमी न आने तक कमी करने का इरादा नहीं रखती। इसलिये टेम्पोरेरी और परमानेन्ट का सवाल नहीं उठना चाहिये, सुविधा की दृष्टि से देखना है। पांच का सवाल उठाया गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया वर्क लोड के आधार पर जब काम नहीं होगा, एक तरफ आप कहते हैं कि खर्चा कम किया जाय तो वह कम किया। आप कहते हैं तीन नहीं चार हों, पांच हों और पांच के बाद और कोई सवाल आ सकता है इसका कोई अंत नहीं। इसलिये जो निर्णय मेरिट के आधार पर किया गया है वह उचित मालूम होता है, उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन प्रस्ताव जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये रखा है उसको वापिस लें और इसको पारित किया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, एक बात मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पहले एक्ट में कमिश्नरों को अधिकार था। अब आपने वह पॉवर, अपीलेट ऑथोरिटी को दिया है। इसके अलावा भी क्या सरकार ने किसी दूसरे अधिकारियों को जिनको वह नियुक्त करेगी, पॉवर्स दिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे किसी को नहीं दिये हैं। वह तो पॉवर गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है कि किसी कानून के अन्तर्गत ऐसी स्थिति पैदा हो जावे या किसी वजह से अधिकार नहीं दिया जा सकता है तो गवर्नमेंट के पास पॉवर होना चाहिए। इसलिए यह रखा है। लेकिन अब तक जो अपीलेट ऑथोरिटी को अधिकार दिया जाना चाहिए उन्हीं को दिया गया है, किसी दूसरी ऑथोरिटी को नहीं दिया गया है। विशेष परिस्थितियों के आने पर यह हो सकता है, इसलिए यह रखा गया है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इस प्रकार की विशेष परिस्थिति अभी तक नहीं आई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभीतक नहीं आई।

श्री सभापति : Shri Vijay Singh, whethere you want to withdraw or not ?

श्री विजयसिंह झाला, (नाथद्वारा) : I beg leave of the House to withdraw my motion.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री विजयसिंह झाला को अपना संशोधन विथ्ड्रॉ करने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw my motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया गया ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक, १९६२ को पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(२. १८ म. प.)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२

(प्रवर समिति को)

श्री सभापति : राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल, १९६२ ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मन्त्र कृषि) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल १९६२ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, I move that the Bill be referred to a Select Committee which shall submit its report to the House in the first week of the next session.

सभापति महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल, को राजस्थान सरकार प्रस्तुत कर रही है वह स्वागत योग्य बिल है, इस हद तक कि राजस्थान सरकार ने इस प्रान्त की जनता का आधार मुख्य तौर पर जो कृषि पर है उसे अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया । कृषि के सम्बन्ध में शिक्षा को अधिक उच्च स्तरीय और ज्यादा उपयोगी बनाया जावे; इस दृष्टिकोण से जो यह बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है हम इसका स्वागत करते हैं । परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि जो यह बिल है, जो इस सदन में पेश किया जा रहा है इस पर अधिक गम्भीरता से विचार करने की आवश्कता है । इस बिल को गहराई से देखने का समय तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं मिल सका और देख भी नहीं सका इसलिए मेरी तजवीज इसको सलेक्ट कमेटी के पास भेजने की है ! कुछ इसकी धाराएं देखी तो ऐसा महसूस हुआ कि इस बिल में बहुत से संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उनको सभी पहलुओं से ज्यादा गम्भीरता से देखने की जरूरत पड़ेगी। मसलन जो उद्देश्य इस बिल के क्लॉज ५ में कहे गये हैं उनको मैं बहुत व्यापक नहीं समझता और महसूस करता हूं कि इसमें और भी सब्जेक्ट्स की जरूरत है जिनका सीधा कृषि उद्योग से ताल्लुक है। बहुत इस प्रकार के और विषय भी हैं जो ऐसे हैं जिनमें बहुत सीधे तौर से आप उनको कृषि से ताल्लुक न भी कहें लेकिन कृषि के काम में रात दिन आते हैं। इसलिये जो हमारे डिक्लेअर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दृष्टि में रखते हुए इन सब्जेक्टों को यूनिवर्सिटी में बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मसलन Agro-Economics, जो कृषि के सम्बन्ध में बातें हैं उसका कैसा सम्बन्ध है, क्या इतिहास रहा है, इन सम्बन्धों का उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में वे सम्बन्ध किस प्रकार की रुकावटें डालते हैं, किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। यदि हमको एग्रीकल्चरिस्टों को सही तरीके से री-ऑर्गेनाइज़ करना है ; ऐसे भी दृष्टिकोण हैं कि कृषि उद्योग को अधिक विकसित करने के लिये केवल इतना ही काफी है कि अच्छे बीज हों, अच्छी जमीन हो, अच्छी मशीनें हों और अच्छा खाद हो और पैदावार अपने आप हो, तो पैदावार अपने आप बढ़ती जावेगी। यह दृष्टिकोण उन लोगों का है जो यह समझते हैं कि टैक्नीकल तब्दीलियें करने से इसमें बहुत भारी विकास हो सकता है। मैं यह कहूंगा कि टेक्निकी तब्दीलियां का महत्व है और बहुत महत्व है, कृषि उद्योग का विकास करने के लिये। मगर लैन्ड रिलेशन्स किस तरह के होने चाहिए, यह भी महत्व रखता है। किस दिशा में हमें उनको ले जाना है, यह भी महत्व रखता है। टैक्निकल सुधार बहुत अच्छे हैं, परन्तु अपने लैन्ड रिलेशन्स सही नहीं होंगे तो आपके कृषि उद्योग विकसित नहीं हो पावेंगे। जैसी कि स्थिति हम अपने देश में और विशेष रूप से राजस्थान में देखते हैं। इसलिये हम आवश्यकता महसूस करते हैं कि जो विश्वविद्यालय हम इस एक्ट के जरिये स्थापित करने जा रहे हैं उसमें इस प्रकार के सब्जेक्ट्स रखे जावें जो उनके छात्रों को अध्ययन करने को मिल सकें।

दूसरी बात सभापति महोदय, हमने अपने प्रान्त में खेती को सहकारी आधार पर ऑर्गेनाइज करने की मंशा जाहिर की है। तो यदि यह मंशा है, यदि हमें इसको कार्यान्वित करना है तो जिन लोगों को हम शिक्षा देते हैं, जिनके दिमाग इन्डिविजुअल तरीके से जमीन को काश्त करने में हैं, उसको प्रोडक्शन में दिलचस्पी दिखाना, यह दृष्टिकोण है, इसमें तब्दीली लानी पड़ती है और इसमें सहकारिता को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सहकारिता के आधार पर कृषि उद्योग को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, मुख्तलिफ मशीनरी को सप्लाई करना, मेनेजमेंट में सुपरविज़न करना आदि में भी यह आवश्यक है कि इन विषयों को भी अपने इस इन्स्टीट्यूशन को जिसको हम बनाने जा रहे हैं उसमें उचित स्थान दें।

इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट्री भी एक ऐसा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विषय है जिसको ऐसा कहा जा सकता है कि यह उससे अलग है। लेकिन हमारे राजस्थान में इसका एक विशेष महत्व है और जब हमारे यहां इस प्रकार की अलग युनिवर्सिटी नहीं जो इसके लिये विशेष तौर से ध्यान रखती हो और इस प्रकार की युनिवर्सिटी कायम करने का विचार नहीं रखते हैं तो यह जरूरी है कि इसके सब्जेक्ट की भी एक अलग फैकल्टी विश्वविद्यालय में रखी जावे। यहां पर फॉरेस्ट की आवश्यकता है और मरूभूमि में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि फॉरेस्ट लगाये जावें इसलिये इसकी शिक्षा भी हमारे यहां होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त लैंड मेनेजमेंट किस प्रकार से होता है, किस प्रकार हमारी सरकार इसकी व्यवस्था करती है, यह भी एक ऐसी चीज है जिसकी एक कृषि के विद्यार्थी को पूरी जानकारी होनी चाहिए वर्ना हम रोजमर्रा देखते हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिसर एक दिशा में चलने की कोशिश करते हैं और रेवेन्यू आफिसर्स दूसरी दिशा में चलने की कोशिश करते हैं। उनको इनकी दिक्कतों का पता नहीं और इनको उनकी दिक्कतों का पता नहीं। इसलिये सही ढंग से इसका ऑर्गेनाइजेशन हो सके, लैंड मेनेजमेंट के बारे में भी छात्रों को पूरी जानकारी मिल सके, यह आवश्यक है।

इस बिल में क्लॉज ८ रखी गई है जिसके तहत सरकार ने कुछ अधिकार लिये हैं इस युनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप करने के। हम महसूस करते हैं कि यह बहुत अधिक है और युनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, जिसकी एक सेंक्टिटी होती है। इसमें ऐसे अधिकार यदि सरकार ने ले लिये तो यह राजनैतिक अखाड़े की एक जगह बन जायगी। इसलिये हम सोचते हैं कि बहुत गम्भीरता से इस पर सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। कोई असाधारण मामला हो, यदि सरकार को ऐसा मालूम पड़े कि युनिवर्सिटी के बहुत गम्भीर मामले की इन्क्वायरी करनी जरूरी है तो सरकार इस सदन से आदेश प्राप्त कर अधिकार प्राप्त कर सकती है और युनिवर्सिटी के ऐसे गम्भीर मामले में इन्क्वायरी कमेटी बैठा सकती है। तो क्लॉज ८ में जो ये अधिकार सरकार लेना चाहती है, यह एक तरह से यूनिवर्सिटी के अधिकारों पर कुठाराघात है।

क्लॉज ६ के तहत जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन एन्वीसेज़ किया है वह बहुत टोप हैवी और खर्चीला रहेगा और हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह अनावश्यक भी है।

इसके अलावा क्लॉज १६ में जिस प्रकार बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल की कम्पोजिशन की गई है वह बहुत ही अप्रजातान्त्रिक है। इसमें १३ सदस्यों के कन्ट्रोल बोर्ड में केवल दो चुने हुए रखे हैं और ५ इसमें ऑफिसर्स हैं जो इसके एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स होंगे और इस प्रकार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में इस तरह के पॉवर्स रखे हैं कि मर्जी आया उनको नोमिनेट कर दे, जैसी कि हमारी इस सरकार की परम्परा रही है कि बहुत एक्सपर्ट लोगों को जिन जगहों पर भेजा जाना चाहिए, टैक्निकल लोगों को भेजा जाना चाहिए वहां पर अपने मर्जीदानों को दोस्तियां निभाने के लिये नोमिनेट कर दिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाता है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का नॉमिनेशन का अधिकार सरकार ने लिया है वह अनावश्यक है। इलेक्टेड लोगों की मेजोरिटी बोर्ड में होनी चाहिये।

जब प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारी सरकार जो बार बार हर बात में, हर व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास रखती है, पंचायतों के मामलों में, कर्मचारियों की सुख सुविधा के मामलों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार रखे गये हैं तो इस प्रकार के हस्तक्षेप के अधिकार लेने में, सरकार के सोचने में अप्रजातान्त्रिक तरीका आया हुआ है। तो इससे लगता है कि सरकार को पसंद नहीं है कि प्रजातान्त्रिक तरीके पनपें और इस तरह के अधिकार अपने हाथ में रख कर सरकार उनको कुचल कर अपने हाथ में रखना चाहती है, यह उचित नहीं है। वास्तव में प्रजातान्त्रिक प्रणाली को मजबूत बनाना है तो सरकार को इस नीति को छोड़ना होगा और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन क्लॉज १९ में दिया हुआ है, उसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें चुने हुए नुमायन्दों का बहुमत होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं महसूस करता हूँ सभापति महोदय, कि जिस प्रकार इस बिल में क्लॉज २५ रखा गया है और इसका सारा क्रम है उससे बहुत स्पष्ट तो नहीं पर यह स्थिति जरूर मालूम पड़ती है कि इस बिल की मंशा इस प्रकार के एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूशन को एक जगह कन्सन्ट्रेट करने की दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है।

राजस्थान जैसे प्रान्त में जहां भले ही कितनी ही डींगें मारें अभी तक मैंटल तरीके से सही दिमाग का इन्टीग्रेशन नहीं हुआ है, रीजनल फीलिंग्स इस सदन में भी और बाहर भी बार बार दीख पड़ते हैं। हमें इस प्रकार से कदम नहीं उठाने चाहिये जिससे राजस्थान के दूसरे अविकसित क्षेत्रों में समान विकास का अवसर न मिल सके। हम महसूस करते हैं कि जिस तरीके से इस बिल का फ्रेम है उससे दूसरे जिलों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थायें कायम करने में असुविधा पड़ेगी, वहां की जनता को इस प्रकार के शिक्षण केन्द्रों को स्थापित कराने में असुविधा पड़ेगी। जब कि यूनिवर्सिटी एक जगह कायम हो गई तो दूसरी शिक्षण संस्थाएं भी उसी जगह होनी चाहिये जो कि उससे सम्बन्ध रखती हैं, इस प्रकार देखा गया है और इसका इसमें कुछ इशारा भी है, तो हम इसके खिलाफ हैं कि राजस्थान भर की इस तरह की शिक्षण संस्थाओं को दूसरी जगहों से हटा कर एक जगह केन्द्रित किया जाय और भविष्य में कोशिश की जाय कि एक ही जगह इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं होंगी। क्यों? जनता की आसानी को देखते हुए भी, राजस्थान में जिस तरह का इन्टीग्रेशन हुआ है उसको देखते हुये भी दूसरी बातों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं और जनता की गरीबी हालत को देखते हुए भी नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं कि बहुत दूर जाकर छात्र इस शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

अन्त में मैं, सभापति महोदय, इस बिल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की जो क्लॉज ४ है जिसमें इस युनिवर्सिटी की उदयपुर सीट रखने के बारे में कहा गया है, उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सवाल पर भी गम्भीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । जैसा इस सदन में अन्य अवसरों पर इसी प्रकार के प्रश्न आये हैं और माननीय सदस्यों ने और विशेष तौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह खयाल जाहिर किया है कि गंगानगर जिले में यदि एक्सपेरिमेन्टल फार्म्स के तौर पर देखें या फसल की विविधता की ओर देखे तो उस जिले में विशेष तौर से यह सुगमता है और आसानी है इसलिए उस जिले में यह युनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। हम इस नतीजे पर तो स्वयं नहीं पहुंचे हैं कि गंगानगर का ही क्लेम इसमें सबसे सही है लेकिन यह अवश्य महसूस करते हैं कि इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। और राजस्थान सरकार जिस तरीके से इस नतीजे पर पहुंची है कि इसको उदयपुर में कायम कर देना चाहिये वह तरीका राजस्थान की जनता में एकता पैदा करनेवाला तरीका नहीं है । यह वह तरीका है जिसमें वे लोग जो प्रभावशाली हैं, किसी तरह से सत्ता में हैं; अपनी सत्ता का प्रभाव जमा करके किसी भी तरीके से एक कमेटी बनवा किसी नतीजे पर पहुंची या उनके दिमाग में ही पहुंचाने की कोशिश की । सभापति महोदय, जब कि आवश्यक कितने ही ऐसे सवालों पर कोई कदम नहीं उठा तो डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाता, मुख्तलिफ क्षेत्रों को मौका दिया जाता कि इस प्रश्न पर विचार करने के बजाय इसके लिए केन्द्रीय सरकार से कमेटी बनवाई गई, कहा गया कि यह एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है और उदयपुर में युनिवर्सिटी कायम करने की बात की । यह भी, कहूँगा सभापति महोदय, जिस केन्द्रीय सरकार की बात कही जाती है उसके एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री पाटिल जब गंगानगर जिले में सूरतगढ़ फार्म का उद्घाटन करने गये थे तो उस समय उन्होंने यह खयाल जाहिर किया था कि इस प्रकार की युनिवर्सिटी के लिए यह जिला या यह जगह बड़ी उपयुक्त होगी । तो सभापति महोदय, मेरा निवेदन करने का मकसद यह है कि इसको प्रवर समिति को भेजना और भी मुनासिब होगा कि सरकार और भी व्यापक आधार पर इस प्रश्न पर विचार करके निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करें ।

इन वजूहात के साथ जिनमें चन्द क्लॉजेज की ओर मैंने इशारा किया ये तमाम सवाल गम्भीर है । अगर फौरन इस बिल को कन्सीडरेशन के लिए सदन में ले लिया जावेगा तो व्यापक तौर पर विभिन्न धाराओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा और ऐसे महत्वपूर्ण बिल को पास या फेल करने की तरफ जावेंगे। इसलिए मेरा अमेन्डमेन्ट है कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, यह कह कर मैं अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सभापति : श्री निरंजननाथ आचार्य ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): सभापति महोदय, बिल के स्वरूप को देखते हुए मुझको यह प्रतीत होता है कि समय की प्रगति के साथ इसके स्वरूप का मेल नहीं। इसलिए मेल नहीं खाता है कि जो प्रावधान

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इस विधेयक में दिये गये हैं यदि उनको मोटे रूप से भी देखा जाय तो यह प्रतीत होता है कि विधेयक सिर्फ कृषि की इन्स्टीट्यूट को कायम करने का है। मैं इसलिए यह निवेदन कर रहा हूँ कि खोसला कमेटी की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में बड़ी विशद् है और साथ ही युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमैन की राय भी इस सम्बन्ध में बड़ी व्यापक है। व्यापक इसलिए कि उन्होंने बार बार इस विषय पर जोर दिया है कि युनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही उच्चतर शिक्षा के आधार पर निर्माण नहीं होना चाहिये। कृषि को मैं एक उच्चतर शिक्षा का आधार मानता हूं। इसलिए खोसला कमेटी और साथ ही डॉ० कोठारी चेयरमैन, यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन और प्रोफेसर माथुर, जो सीनियर मेम्बर युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के हैं वे सब एक मत हैं, इस प्रश्न पर कि इस देश में अब से जिन युनिवर्सिटीज का निर्माण किया जाय वे मल्टीफैकल्टीज युनिवर्सिटीज हों। मेरी यह मान्यता है कि जब एक युनिवर्सिटी हम कायम करने जा रहे हैं तो उसमें केवल एक विशेष शिक्षा का प्रावधान ही न हो, साथ ही साथ साइन्स, आर्ट तथा और भी उच्च शिक्षा की फेकल्टीज उसमें सन्निहित हों। जब हम राजस्थान में एक कृषि युनिवर्सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं तो कृषि की उच्चतर शिक्षा के साथ साथ दूसरी प्रकार की शिक्षा इसमें सन्निहित होनी चाहिये। सभापति महोदय, यों भी युनिवर्सिटी शब्द का अर्थ डिक्शनेरी, शब्दकोष से देखा जाय तो बड़ा व्यापक है। मैंने दो डिक्शनेरियां इस सम्बन्ध में देखी हैं उसमें युनिवर्सिटी की व्याख्या की गई है :—

"the institution where the higher branches of arts and sciences are taught, where research is conducted and by which degrees are awarded."

ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि यह युनिवर्सिटी का विधेयक केवल एक इन्स्टीट्यूट का रूप रखता है, जैसे इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, न्यु देहली या इस तरह का स्तर इस विधेयक से प्रकट होता है। दूसरा मैंने जैसा अर्ज किया देश की प्रगति को देखते हुए है, मल्टी फेकल्टी इन्स्टीट्यूशन्स देश में कायम किये जांय और इसलिए कायम किये जांय कि आगे बढ़ते हुए जमाने के साथ केवल स्पेशलाइज्ड स्टडी का प्रावधान मेल नहीं खाता।

दूसरा प्रश्न यह उठाया जा सकता है, सभापति महोदय, कि जो स्पेशेलाइज्ड ब्रांच के कृषि विश्वविद्यालय हैं, के लिए आर्थिक सहायता अमेरिकन एड के आधार पर या टी.सी.एम. के आधार पर या फोर्ड फाउन्डेशन के आधार पर प्राप्त की जा रही है इसलिए हम इस विषय को स्पेशलाइज्ड करना चाहते हैं। मेरी मान्यता में यह प्रश्न इतना सारगर्भित नहीं मालूम होता। पहला तो यह है कि उसकी स्टेबिलिटी हमारे दिमाग में नहीं है, फोरिन एड पर यह युनिवर्सिटी कायम की जाती है तो भविष्य का आधार क्या होगा? आया तीन साल अथवा पांच साल की आर्थिक सहायता होगी। जहां तक आर्थिक स्थिति, आर्थिक सहायता का सवाल है इस युनिवर्सिटी को बाहर के देशों से कुछ मिल पायगा या नहीं ? इसलिये मेरी यह मान्यता है कि अगर इसको मल्टी फेकल्टी युनिवर्सिटी कर दिया जाय तो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा सहायता मिल सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि अगर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के आधार पर इसको कायम किया जाता है, अमेरिकन एड इसके लिये मिल सकती है या नहीं, इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न को श्री गैलब्रेथ एम्बेसेडर, युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे यहां हैं जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी हैं उनसे बातचीत की जाय। यह मेरा निवेदन है। इस तरह से मैंने दो प्रश्न सदन के सामने रखे हैं जिससे इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की पुष्टि होगी। पहला प्रश्न यह है कि मल्टी फेकल्टी युनिवर्सिटी कायम करने के आधार पर इसको चलाना चाहते हैं तो यह आधार प्रवर समिति के द्वारा गौर करने लायक है, वहां इसका विश्लेषण हो सकता है।

इसके अलावा, मेरा यह निवेदन है कि विदेशी सहायता के आधार पर यह युनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं और उसके निर्देशक के आधार पर यदि स्पेसिलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं लिये गये तो क्या स्थिति होगी? यह भी एक प्रश्न प्रवर समिति के सुपुर्द होने पर तय हो सकता है। यह रेफरेंस के काबिल है। जहां तक अमेरिका का सम्बन्ध है श्री गैलब्रेथ से इस सम्बन्ध में सुझाव लिये जा सकते हैं। अतः दोनों प्रश्नों पर मेरा मत है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

तीसरा प्रश्न जहां तक विधेयक के स्वरुप का सम्बन्ध है, मेरी मान्यता में इसका विश्लेषण करना यहाँ उपयुक्त होगा। यह युनिवर्सिटी स्टेट युनिवर्सिटी के रूप में रहे या ऑटोनोमस बोडी के रूप में? यहां इसमें कोई फर्क नहीं रखा गया है। उदाहरण के तौर पर स्टेट युनिवर्सिटी भारतवर्ष में, मैसूर में और बड़ौदा में। इनमें सरकार का इन्टरफीयरेन्स बराबर रहता है। हमारे इस विधेयक के प्रावधानों को देखते हुए स्पष्ट मालूम होता है कि यद्यपि इसको ऑटोनोमस बोडी कहा गया है लेकिन इसका स्वरूप दूसरी स्टेट युनिवर्सिटीज के आधार पर है। कई मायने में इस प्रकार के विश्वविद्यालय कायम किया जाना अच्छा भी है। इसके प्रोफेसर सरकार के सीधे अधिकार में रहते हैं। उन पर नियंत्रण उनके इमोल्युमेन्ट्स सरकार द्वारा निर्धारित होने से सरकार की उस पर देखभाल रहती है। स्टेट युनिवर्सिटी होते हुए भी इसमें सरकारी इंटरफीयरेन्स कम से कम करने की परम्परा है। साधारणतया फ्रांस और अमेरिका में ऐसी स्टेट युनिवर्सिटीज हैं। उनमें सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बंध में इन्टरफीयरेन्स है। जितना भी स्टाफ होता है वह सरकार पर आधारित होता है लेकिन धीरे धीरे ऐसी परम्परा कायम कर दी गई है कि सरकार किसी प्रकार का दखल नहीं करती, जिसके फलस्वरूप व वह ऑटोनोमस बोडी के रूप में ही काम करती है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के दोनों पक्षों को ठीक ढंग से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है; विश्वविद्यालय को ऑटोनोमस बोडी रखा जाय या स्टेट युनिवर्सिटी के स्वरूप में इसका संचालन हो? यह बहुत बड़ा प्रश्न

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है जो प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने से ही वहां पर विचार हो सकता है।

तीसरा प्रश्न और है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक पारित करते समय भविष्य की ओर निगाह रखना आवश्यक है। प्रश्न सिर्फ यह है कि विधेयक को पारित तो किया जाय लेकिन इसके साथ साथ २०, २५ साल के भविष्य की प्रगति को भी निगाह में रखना पड़ेगा। हम इसके अंदर जो प्रावधान रख रहे हैं वे भविष्य से मेल खाते हैं या नहीं? उदाहरण के तौर पर जोधपुर युनिवर्सिटी विधेयक हमारे सामने है। राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट हमारे सामने है। अगर हमारे इस विधेयक में ऐसे संशोधन आवे जिनसे इनका स्वरूप है वह बदलता हुआ दिखाई दे तो राजस्थान युनिवर्सिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम इस विधेयक में कुछ संशोधन द्वारा इसके स्वरूप को बदलते हैं तो इसका असर दूसरे दूसरे विधेयक और एक्ट पर भी पड़ेगा। इस विधेयक का सीधा सम्बन्ध राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट से भी है। ऐसी स्थिति में इस विधेयक में कुछ सुधार किया गया तो मेरी मान्यता में राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट में भी उसी आधार पर आगे चल कर सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ ही जोधपुर युनिवर्सिटी विधेयक, कृषि विश्वविद्यालय विधेयक और राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट इन तीनों को सामने रखते हुए इस विधेयक का प्रवर समिति में विश्लेषण करने का मौका मिलेगा। मेरा यह निवेदन है कि इस दृष्टि से भी इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

युनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में आज शिक्षाविद् बहुत जागरूक हैं, जागरूक ही नहीं, इस विषय पर पूरा अध्ययन किया गया है। उदाहरण के तौर पर रिपोर्ट ऑन युनिवर्सिटी एज्युकेशन कमीशन में भारतवर्ष के बड़े बड़े शिक्षा विशारदों ने अपना अपना मत इस शिक्षा के प्रश्न पर प्रगट किया है। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक उस कमीशन की रिपोर्ट को न देख कर बनाया गया है। अगर वह रिपोर्ट देखी जाय तो उसमें से हमें मिलेगा हर क्लॉज का विशद् रूप से विश्लेषण। मेरी मान्यता में इस कमीशन की रिपोर्ट के सुझावों का उपयोग किया जाना चाहिये। यदि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है तो कमीशन की रिपोर्ट का उपयोग किया जा सकेगा।

अन्त में, सभापति महोदय, यह विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है किसी न किसी रूप में अन्य तत्सम्बन्धी विधानों की नकल हो सकती है या उनको सहायता ली जाकर इसका निर्माण किया गया होगा। लेकिन जब भारतवर्ष में शिक्षा शास्त्री युनिवर्सिटी शिक्षा की प्रगति के सम्बन्ध में सोच रहे हैं तो हमको मौका मिलेगा प्रवर समिति में इन विचारों को सामने रखने का। साथ ही साथ इस विधेयक की क्लॉजेज को सामने रख कर सुझावों को समझने का भी मौका मिलेगा। मेरी मान्यता में जो शिक्षा विशारद हैं उनके विचारों को भी सुनने का प्रवर समिति में मौका मिल सकेगा।

(३. ०म. प.)

मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि उच्च शिक्षा कृषि में हो सकती है, पर साथ ही मौका मिलता है दूसरे कॉलेजों को एफीलियेट करने का। इसमें सरकार का खर्चा भी कम हो जावेगा और ऑटोनोमस बोडी होने के नाते जितने कॉलेज आसपास के हैं उनका समावेश विश्व विद्यालय में किया जा सकेगा। इससे देश के इमोश्नल इन्टीग्रेशन का प्रश्न भी हल होगा! पर्सोनेलिटी बिल्डिंग का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीचिंग यूनिवर्सिटी के अकेले माध्यम से हल नहीं हो सकता। इसलिये जो यूनिवर्सिटी एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी के स्वरूप में है अन्तोगत्वा उनको बदलना है। जो विधेयक हमारे सामने है उसको बदल कर जमाने से मेल खाते हुए बनाना चाहिये। इस यूनिवर्सिटी का स्वरूप रेजीडेन्शल के रूप में भविष्य में होगा। इसलिये इसका क्या स्वरूप हो सकता है, यह निर्धारण करना शिक्षा विशारदों का काम है और यह काम प्रवर समिति में जाने से हो सकता है।

एक माननीय सदस्य ने इस यूनिवर्सिटी के स्वरूप के बारे में प्रकाश डाला। यह स्पष्ट है कि इस विधेयक की काया बहुतांश रूप में बदल देने के काबिल है। इसलिये कि इसके क्लॉज १६ पर प्रकाश डालना उपयुक्त होगा। क्लॉज १६ है :

"Constitution and composition of Board of Control-(1) The Board shall consist of-

1. The Chairman nominated under sub-section (4).

2. Ex-officio members:-

और क्लॉज २१ है, "The Acadamic Council shall consist of:-

(a) the Vice-Chancellor as Chairman,

(b) the Dean of Student Welfare,

(c) the Deans and Associate Deans of the Collages,

(d) the Director of the School of Basic Sciences and Humanities,

(e) the Directors of research and extension.

(f) three persons from among the teachers of each college and an equal number of persons from among the teachers of the School of Basic Sciences and Humanities, to be elected in the prescribed manner."

मेरी मान्यता में ये दोनों अलग अलग व्यवस्थायें एक भार हैं यूनिवर्सिटी के एक्सपेन्डीचर पर। जब एक व्यवस्था से यूनिवर्सिटी को कन्ट्रोल किया जा सकता है तो दूसरे स्वरूप को पैदा करना हितकर नहीं।

क्लॉज २१ में यह है :

"three persons from among the teachers of each college and an equal number of persons from among the teachers of the School of Basic Sciences and Humanities, to be elected in the prescribed manner."

यह सारी स्थिति २१ में बताई है। मेरा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सुझाव है कि एकेडेमिक कौंसिल से ही बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल कायम किया जा सकता है whether through election or through any other method. दोनों को एकेडेमिक कौंसिल में समावेश कर दिया जाय तो उसकी स्थिति, जहां तक उसके अधिकारों का प्रश्न है, अलग हो जाती है और इस एकेडेमिक कौंसिल में कुछ तब्दीलियों के आधार पर बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल कायम किया जा सकता है, जिसको अधिकार होगा सारी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था के सम्बन्ध में सोचने का। इसलिये यह प्रश्न जो अधिक अहमियत रखता है सीधा हमारे सदन के आधार पर हल नहीं हो सकता। इस पर भी हमें शिक्षा विशारदों की राय लेनी पड़ेगी। इसी स्थिति में भी इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये।

मैं आपका ध्यान क्लॉज १९ की तरफ दिलाना चाहूँगा जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला था। इसे पढ़ा जावे तो मालूम होता है कि इस क्लॉज में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल ऑटोनोमस बोडी के सिद्धान्त के बिल्कुल प्रतिकूल है। इसके सारे सदस्यों को मिला कर १४ सदस्य होते हैं। इसमें उल्लिखित सदस्यों में से ऐसा हम कोई भी सदस्य नहीं कह सकते जो सरकार के नियन्त्रण में या असर में न हो। तो मेरा सुझाव है कि यह बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल क्यों बना है, इसके पास क्या है ? इस बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकार सर्विसेज़ को रिक्रूट करना है। यह बड़ा आपत्तिजनक है एकेडेमिशियन्स को भी और सर्विस वालों को भी जिनको रिक्रूट करने का अधिकार इस बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को दिया गया है। तो मेरी मान्यता में इस पर गवर्नमेंट का कन्ट्रोल डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली रखना यूनिवर्सिटी के स्टेन्डर्ड को नीचा गिराने का एक प्रयास है। तो जैसा मैंने निवेदन किया था बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल और एकेडेमिक कौंसिल का कैसे समन्वय हो; इस पर समिति में ही उचित तरीके से विचार किया जा सकता है। इसलिये भी इसको प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है।

तीसरा नोमीनेटेड मेम्बरों के बारे में इस क्लॉज १९ में आप पढेंगे :

"One representative nominated by the Government..."

इतने तो पहले ही सरकारी अफसर इसमें हैं; इसके बाद नोमीनेशन आया है तो इससे भी नियन्त्रण की गंध आती है। पंचायत समितियों से भी नोमीनेट होकर कौन आने वाला है, यह अगर हमसे पूछा जावे तो माननीय सदस्य अपने आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रावधान को डेरोगेटिव टू दी ऑटोनोमी ऑफ दी यूनिवर्सिटी मानता हूँ। इसके द्वारा पोलिटिकल इन्फलुएन्स शिक्षा के क्षेत्र में डालने का आधार रखा गया है। ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एकेडेमिक कौंसिल दोनों का प्रश्न ऐसा है कि यदि बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो एकेडेमिक कौंसिल के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। इसलिये इन दोनों में सन्तुलन बनायें रखने की बात शिक्षा विशारदों से समझा जाने का प्रश्न है और सदन में इन प्रश्नों पर विचार करने के लिये बाहर के लोगों की सहायता नहीं लि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सकती, जो एक्सपर्ट हैं, शिक्षा विशाद हैं। इसलिये भी इसको प्रवर समिति में ले जाना आवश्यक है।

दूसरा प्रश्न, सभापति महोदय, मैंने जैसे निवेदन किया था कि इसका स्वरूप ऑटोनोमस तो कहा गया है लेकिन जब क्लॉजेज १६ और २१ को एक साथ पढा जाय तो उससे स्पष्टतया प्रकट होता है कि सारी यूनिवर्सिटी के विधान में सरकार किसी न किसी माध्यम से अपना प्रभाव रखती है। क्लॉज ८ इसका दूसरा उदाहरण है। इसका हैडिंग है, 'विजिटेशन'। विजिटेशन के आधार पर सरकार इन्क्वायरी कर सकती है, इन्सपेक्शन कर सकती है, डाइरेक्शन दे सकती है अपने सुझावों को इम्प्लीमेन्ट कराने के लिये। अब यह मैं समझता हूं कि सरकार दरअसल ऐसा काम नहीं करना चाहती जो यूनिवर्सिटी के हितों के प्रतिकूल हो। पर दूसरा रूप भी इसका स्पष्ट है यदि सरकार अवरोध पैदा विश्वविद्यालय के प्रशासन में करना चाहे तो इसके लिये रेस्ट्रिक्शन भी कुछ नहीं है। इन्क्वायरी करने के प्रश्न पर, इम्प्लीमेन्ट कराने के प्रश्न पर कोई चैक और ब्रेक नहीं है। ऐसी स्थिति में क्लॉज ८ भी बहुत स्क्रुटिनाइज कराने के लायक है और इसका स्वरूप बदले जाने की स्थिति रखता है।

रिक्रूटमेंट ऑफ दी सर्विस। इसमें अगर यह प्रावधान होता कि जहां कन्ट्रोल बोर्ड के अधीनस्थ रिक्रूटमेन्ट पी.एस.सी. के माध्यम से होगा तो मैं समझता कि स्टेट यूनिवर्सिटी का स्वरूप इसमें है। किन्तु वह भी इसमें नहीं है या फिर इसके लिए निष्पक्ष ट्रिब्यूनल सा हो उसमें यूनिवर्सिटी के पर्सनल हों उनसे कराया जाय। और इसमें एक स्टेट रिप्रेजेन्टेटिव हो सकता है ताकि सलेक्शन के स्टेन्डर्ड को ठीक रक्खा जा सके और पॉलिटिकल प्रेशर या दूसरी स्थिति से उसे सेफगार्ड किया जा सके। इस तरह से जहां तक क्लाज ८ का सम्बन्ध मैंने निवेदन किया कि वह भी सुरक्षित नहीं है; इसमें भी सन्तुलन रखने की जरूरत है।

तो ये धाराएं आठ, उन्नीस और इक्कीस ऐसी हैं कि इनसे विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो यूनिवर्सिटी की सो काल्ड ऑटोनोमी गायब हो सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिये भी प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाना उचित है।

तीसरे, मैं इस विधेयक के विश्लेषण के डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ सिद्धांत के आधार पर निवेदन करना चाहता हूँ। वाइस चान्सलर के जहां तक प्रावधान का सवाल है हम यह मानते हैं कि वाइस चान्सलर यूनिवर्सिटी का सिर्फ नोमीनेशन के आधार पर न हो। अगर नोमीनेशन की व्यवस्था की गई है तो इस प्रश्न पर भी कुछ चैक होना चाहिये। इसलिये होना चाहिये कि वाइस-चान्सलर वह हो जो शिक्षाविद् हो, जिसका लोंग स्टेन्डिंग एकेडेमिक कैरियर हो। ऐसा वाइस चान्सलर आने पर ही यूनिवर्सिटी की शिक्षा का स्तर ऊंचा जा सकता है। इसलिये वाइस चान्सलर का नोमीनेशन किस स्थिति में हो, उसके पावर्स क्या हों और पहली बार अगर किया जावे तो वे अधिकार कम हों या ज्यादा; ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रवर समिति द्वारा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ही ठीक तरह से हल किये जा सकते हैं। इस सदन के अन्दर ही इस पर विचार करने से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हल नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, मैं उस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता कि यूनिवर्सिटी की सीट कहां हो, कहां नहीं हो। यह प्रश्न विवादास्पद प्रश्न दीखता है। इसलिए इस पर मैं विचार प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा विशवास है कि सदन इस प्रश्न पर एक मत होगा कि यूनिवर्सिटी का नाम 'राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय' रखा गया है। अगर इस'राजस्थान'शब्द के स्थान पर महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे दिया जाय तो सदन में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यह एक परम्परा है सभापति महोदय। अमेरिका में भी जार्ज वाशिंगटन के नाम से यूनिवर्सिटी है और कई इम्पोर्टेन्ट पर्सनेलिटीज़ हुई हैं जिनके नाम से यूनिवर्सिटीज चलती हैं और इसके अलावा मेरे इस सुझाव का आधार भी है। चित्तौड़ में इसी नाम की यूनिवर्सिटी कायम करने की एक व्यवस्था मुन्शी कान्स्टीट्यूशन के आधार पर फॉर्मर उदयपुर स्टेट में की गई थी। उस समय विश्वविद्यालय का कॉन्स्टीट्यूशन निकल गया था, किन्तु इस देश की प्रगति के साथ रियासते जब विलीन हो गई तो यूनिवर्सिटी भी गायब हो गई। इसलिए मैं उस प्रश्न को भी सामने रख कर यह सुझाव देता हूं कि यूनिवर्सिटी के नाम को बदला जाय। सदन को इसमें आपत्ति न होगी।

जहां तक यूनिवर्सिटी कायम करने का प्रश्न है मैंने निवेदन किया कि कहां कायम की जाये कहां नहीं, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जो इसका आवश्यक अंग है वह है एग्रीकल्चर कॉलेज। जहां ऐसा कॉलेज होगा वहीं पर यूनिवर्सिटी कायम की जायगी। यह बात अलग है कि इस यूनिवर्सिटी के विधेयक को थोड़ा विलंबित किया जाये और उसके बाद दूसरे स्थानों पर कॉलेज कायम किया जाये और फिर इस विधेयक को लाया जाये। लेकिन जहां तक प्रश्न वर्तमान स्थिति का है मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर में कायम की जाये लेकिन कायम की जायेगी वहीं जहां कि पहले से एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे जोबनेर में हो। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि जोबनेर हो, उदयपुर हो और भी कॉलेज हैं वहां सीट रख सकते हैं अन्यथा यह दूसरी जगह कायम नहीं हो सकती। इसलिए सभापति महोदय, मेरी मान्यता में इस यूनिवर्सिटी के स्वरूप को बदला जाना चाहिए. मल्टी फेकल्टी यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए ताकि सारे राजस्थान को इसका फायदा मिल सके। इसके अलावा जहां तक इसके ऑटोनोमी का संबंध है और कई मोटे प्रश्न हैं जिनके आधार पर यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि इस सरकार की ओर से यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस सत्र में ही इस विधेयक को पारित किया जाये। अगर यह प्रश्न है तो प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत किया जाकर इसमें शीघ्रता की जा सकती है। जैसा मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव में ७ दिन का समय दिया है और ७ दिन में प्रवर समिति विचार कर सकती है सारे मसले पर और जो मैंने सदन के सामने मसले रखे हैं उन पर शिक्षा विशारदों की सहायता ली जा सकती है। इसलिये मैं यह समझता हूं और माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का संबंध इसके भविष्य से है; वर्तमान का संबंध उतना

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नहीं है जितना भविष्य का है। ऐसी स्थिति में इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा कर वहीं इस पर विचार होना चाहिए ताकि हमको दो दफा इस पर विचार करने का मौका मिले ।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, आपके बाद मेरा नाम है; इन्हीं के नाम के नीचे।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक विचारार्थ है और इस विधेयक पर सन् १९६१ का विधेयक संख्या ४० लिखा है उसकी जगह पर सन् १९६२ का विधेयक संख्या १ मैं देखता हूं। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह विधेयक बहुत पहले ही बनाया गया और यह भी कोशिश की गयी कि जल्दी से जल्दी पास भी हो। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या नहीं; परन्तु मैं समझता हूं कि यह अब सन् ६२ में आया और उसमें नम्बर १ लगा और इसलिए लगा कि यह सरकार चाहती है कि यह विधेयक बहुत जल्दी पास हो। पर इस विधेयक के पास होने, नहीं होने के संबंध में जो कुछ भी खामियां हैं उनके संबंध में अभी मेरे पूर्व वक्ता सम्माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे हैं और उन विचारों में उन्होंने बहुत से सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं। मैं भी कुछ सुझावों के संबंध में अपनी बात कहूंगा।

(३.१० म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इसका जो नाम और नाम के बाद में क्लॉज ४ है उसके बारे में कुछ कहूँ। नाम के संबंध में अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने सुझाव रखा है और वह यह रखा कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रख दिया जाये तो बहुत अच्छा हो। जहां तक महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का सवाल है, मैं समझता हूँ कि महाराणा प्रताप जिस क्षेत्र में काम करते थे अगर उसी क्षेत्र से सम्बन्धित कोई नाम होता तो वह ज्यादा अच्छा हो सकता था........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): जिंदगी भर खेती ही खेती की उन्होंने।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर महाराणा प्रताप सैनिक विश्वविद्यालय जैसी कोई संस्था होती तो मुझे गर्व होता; क्योंकि नाम के साथ उसका अनुरूप होता....

श्री सभापति : सैनिक स्कूल चित्तौड़ में खुला है।

श्री मुरलीधर व्यास : खेती करते थे यह तो अच्छी बात है। हम यहां पर महाराणा प्रताप के जीवन के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहते। लेकिन इतना जरूर जानते हैं देशभक्ति का, मुल्क के लिये कुर्बानी का, अपने देश के लिये जान की बाजी लगाने का सिम्बल हो सकता है तो महाराणा प्रताप हमारे लिए प्रतीक बन सकते हैं और उसी के आधार पर कोई नाम हो तो उनके लिए अच्छा हो सकता है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

ठीक बात है, सम्माननीय सदस्य ने सुझाव रखा कि महाराणा प्रताप का नाम रख दिया गया तो उदयपुर के साथ में जुड़ जायेगा....

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी क्षेत्रीय भावनाओं से माननीय सदस्य संतप्त न हों।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो कल्पना करता हूँ। मुझे तो ज्यादा खुशी है कि जो आदमी जिसके लिए बहुत प्रयत्न करता है और अक्सर ऐसा होता है कि कोई आदमी प्रयत्न करता है तो उसकी फोटो भी छपती है, नाम भी छपता है और यह हमेशा की परम्परा है और इसमें महाराणा प्रताप की जगह मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्व-विद्यालय रख दिया जाये, क्योंकि....

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह जो मुकाबला आप कर रहे हैं भूत का और वर्तमान का, तो जहां तक महाराणा प्रताप का सम्बन्ध है मैं विरुद्ध करने के लिये तैयार हूँ, अपने सुझाव को। अगर आपको इससे इतना ही संताप पहुंचता हो लेकिन मुकाबला करके किसी वीर पर बोछार नहीं होनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : वीर के लिये कोई वीर सरीखी चीज रखी जाती तो अच्छा होता। ठीक है, ऐसे इन्स्टीच्युशन्स बनें और हमारे लिए वह गर्व की चीज है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जैसा आपने नाम का सुझाव दिया है तो कोई हरकत नहीं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय भी हो सकता है। वे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : डॉ० लोहिया लगा दें आप कहें तो। मामला खत्म हो।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): नहीं तो और नाम रखा जा सकता है। नाम के सवाल पर इतनी बहस में नहीं पड़ना चाहता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो खुद क्लॉज़ ४ जो है साइट के संबंध में उस पर कृषि विश्वविद्यालय जो अपने यहां पर खुले वह एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में हम कोई गहराई के साथ में नहीं सोचें, जैसा कि हमारे सम्मानीय सदस्य ने कहा कि आज के दृष्टिकोण से नहीं सोचना है, इसके २५ साल आगे के दृष्टिकोण से भी सोचना है, ५० साल आगे के दृष्टिकोण से भी सोचना है और उन्हीं की बात के आधार को लेकर मैं सोचता हूं कि अगर हम बहुत दूरदर्शिता के साथ सोचें कि राजस्थान के कृषि विश्व विद्यालय की जो साइट हो, जो स्थान हो वह कौन सा हो और इसको बहुत गहराई के साथ में सोचते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर तरीके से, हर बात के तरीके से आप सोचेंगे। आप अपने बुनियादी उद्देश्य, जिन उद्दश्यों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं उन उद्देश्यों पर भी जब आप दृष्टिपात करें और देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका ध्यान उदयपुर की तरफ नहीं जायगा। साइट का जहां तक सवाल है गंगानगर के स्थान के अतिरिक्त दूसरा स्थान उपयुक्त नहीं होगा। और इसके लिए मैं जो इसमें उद्देश्य रखा गया है उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:-

(श्री मुरलीधर व्यास)

"उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण"

देश में उपलब्ध साधनों के उपयोग में विज्ञान और टैक्नोलोजी के प्रयोग से बढ़ा हुआ कृषि-उत्पादन प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य से गत ७० वर्षों में कृषि-महाविद्यालयों कृषि-संपरिक्षा-स्थानों और कृषि-विस्तार संगठनों की स्थापना का विचार व क्रमशः विकास किया गया है।

"इन संगठनों के प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि एक प्रगतिशील अन्वेषण-संगठन हो जिसके कार्यकलाप उपज की वृद्धि को सीमित करने वाली कृषकों की समस्याओं पर पूरी तरह केन्द्रित हों जो एक ओर तो विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम से पूरी तरह संबद्ध हों – ताकि कृषि विज्ञान में होने वाली प्रगतियां उनके संशिक्षण के कार्यक्रम में अविलम्ब सम्मिलित कर ली जायं और संबद्ध कर दी जांय" और उसके साथ साथ दूसरी तरफ इधर से जो क्लॉज ५ के नीचे विश्वविद्यालय के उद्देश्य दिये हैं और उन उद्देश्यों में नं० १ में बतलाया गया है-

"राजस्थान राज्य की ग्रामीण जनता को विद्याध्ययन की विभिन्न शाखाओं, विशेषकर कृषि, पशु-विज्ञान, ग्रामोद्योग, कृषि-इन्जीनियरिंग, पशु-चिकित्सा-विज्ञान, गृह-विज्ञान तथा अन्य संबद्ध विषयों में शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिये,"

ये ५-७ बातें हैं जिन चीजों की आप व्यवस्था करना चाहते हैं। आप अपने उद्देश्यों में यह बतलाते हैं कि इन इन चीजों की व्यवस्था करना चाहते हैं। जो बात आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्या आप व्यवस्था करना चाहते हैं? उनके एक एक मुद्दे को ले लें।

सबसे पहला मुद्दा आपने बतलाया है वह यह है; विशेषकर कृषि और पशु-विज्ञान। सबसे पहले कृषि को हम लेते है। आप कृषि की शिक्षा देना चाहते हैं और उसमें यह भी कहते हैं कि अन्वेषण करना चाहते हैं, यह भी कहते हैं कि नये साधन, नये विकसित विज्ञान का प्रयोग भी करना चाहते हैं। उसकी भी एक शिक्षा देना चाहते हैं। मैं इन्हीं बुनियादी बातों को लेकर जो मूलभूत उद्देश्य आपने बताये हैं उनकी पूर्ति उदयपुर में हो सकती है या गंगानगर में हो सकती है, बतलाऊंगा।

आज राजस्थान सरकार की राजस्थान नहर जो सबसे बड़ी कायम हो रही है वह और भाखरा की नहरें गंगानगर जिले में कायम हो रही हैं। दूसरा वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फार्म जो है वह रशियन फार्म है जहां कि आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हर प्रकार के साधन और सुविधाएं मौजूद हैं। आप यह कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को उस क्षेत्र में नई शिक्षा देना चाहते हैं, रशियन फार्म जो कि एशिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा फार्म है जिसको हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्से के लोग देखने के लिए आते हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, नये प्रयोग किस प्रकार से चलते हैं उसका अध्ययन करने के लिए आते हैं और उस आधार को लेकर अपनी शिक्षा का प्रसार करते हैं, जिसको एक ठोस आधार मानते हैं वह उस जिले में है। दूसरा अमेरिकन फार्म जो दुनिया

(श्री मुरलीधर व्यास)

का सबसे बड़ा दूसरा फार्म होगा वह भी उसी जिले में खुल रहा है। जिसको देखने के लिये आते हैं जहां इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जहां सारे साधन उपलब्ध हैं। हम खुद मानते हैं कि हमारे देश में यही कृषि का ऐसा स्थान है जहां अन्वेषण होता है, जहां विज्ञान के सारे साधन उपलब्ध हैं, उस स्थान को छोड़ देते हैं दूसरे लोग वहां सीखने आते हैं ? आप उस स्थान को छोड़ कर उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं ! उदयपुर से मुझे कोई रंज नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जो मूलभूत उद्देश्य हैं, जिन चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप खुद एक आयोग बैठाकर जांच करवा लें और निष्पक्षता के तरीके से जांच करवा लें तो आपको यही जवाब मिलेगा कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बढ कर कोई दूसरा स्थान उपयुक्त नहीं हो सकता।

अब दूसरा कारण बताते हैं। यह बतलाते है कि पशु-विज्ञान, एनीमल साइन्स। आप पशु-विज्ञान के दृष्टिकोण से जो दूसरी शिक्षा देना चाहते हैं तो आज उदयपुर में राजस्थान से सम्बन्धित पशुओं को ले लें तो सारे हिन्दुस्तान के साथ तो आप यह बतला दीजिये कि वहां पर ऐसे कौन से पशु हैं जिन पशुओं को लेकर आप पशु-विज्ञान की उनको शिक्षा देना चाहते हैं। आज राजस्थान का अगर ऊंट है, भेड़ है, अगर कोई अच्छा जानवर भी है, चाहे गाय हो, घोड़ा हो किसी प्रकार के जानवर हों उनके विषय में ऊंची से ऊंची शिक्षा देना है तो आपको वह स्थान गंगानगर डिस्ट्रिक ही उपलब्ध होगा। उदयपुर उस आधार पर भी नहीं ठहरता है।

फिर हमारे राजस्थान का जो वेटेरिनेरी कॉलेज है वह बीकानेर में है। वह भी एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। दूसरे लोग वहां सीखने आते हैं, वहां सारा अध्ययन करते हैं। वह भी स्थान उसके पास में है। वहां पर जो दूसरा आपका मूलभूत उद्देश्य है, पशु-विज्ञान की आप शिक्षा देना चाहते हैं तो वेटेरिनेरी कॉलेज बीकानेर में मौजूद है। वह एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है। क्या आप दूसरी बात की भी शिक्षा उदयपुर के अन्दर देंगे ?

तो जो मूलभूत उद्देश्य इसके अन्दर रखे गये हैं उसमें पशु-विज्ञान को ले लीजिए कृषि को ले लीजिये, अब ग्रामोद्योग को ले लीजिये तो ग्रामोद्योग उस दृष्टिकोण से कौन सा मानते हैं ? तो इन्हीं चीजों को ले सकते हैं। पशुओं से पैदा होने वाली चीजें हैं वे खालें हैं, ऊन है। इसी प्रकार से दूसरा खेती का काम है, ऊन का काम है, एनीमल हस्बेन्ड्री का दूसरा काम है। हमारे यहां दूसरे ग्रामोद्योग के दृष्टिकोण से सरदारशहर मौजूद है। उसके पास में जाकर जो यूनिवर्सिटी है वहां जाकर अध्ययन किया जा सकता है। पास में जाकर उन चीजों के वे प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा जो उद्देश्य, उसमें रखा गया है उसको भी ले लें।

पशु-चिकित्सा-विज्ञान के बारे में पहले कह चुका हूं कि वहां पर कॉलेज मौजूद है। फिर गृह विज्ञान का सम्बन्ध आता है तो इन ५, ६ मूलभूत बुनियादी उद्देश्यों को लेकर आप कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

आखिर कोई चीज खोलते हैं तो मूलभूत उद्देश्यों को लेकर खोलते हैं। और वह जो मूलभूत आपके बुनियादी उद्देश्य हैं वे उद्देश्य सही मायने में अगर उदयपुर में प्राप्त होते हैं तो वहां पर करें, और अगर आप एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं तो उसकी पूर्ति करने के लिये आप चाहे किसी भी प्रकार से सोचें वह स्थान गंगानगर है, क्योंकि वह कॉलेज बीकानेर में है इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बहुत गहराई के साथ हर तरीके से पहले से कोशिश करते चले आ रहे हैं। यह मामला हुआ है, ठीक नहीं है। इसके लिये मैंने दिल्ली में भी बातचीत की। वहां सेन्टर में बहुत लोग हैं जो मानते हैं कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ज्यादा अच्छा है। अभी जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पंजाबराव देशमुख वहां गये थे और उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थान यदि कोई है तो वह गंगानगर जिला है। अमेरिकन एम्बेसी से भी पता लगाया, वे तो कहते हैं कि राजस्थान सरकार कहती है वैसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च नहीं की, जांच नहीं की, सारे राजस्थान में घूम कर अध्ययन नहीं किया। आप जिस आधार को लेकर कहते हैं कि कमेटी बैठी उसने घूम कर निर्णय किया, लेकिन वे कहते हैं कि हमने जांच नहीं की। सरकार ने सुझाव दिया कि हम वहां खोलना चाहते हैं इसलिए हमने उनके सुझाव को माना।

सवाल यह है कि स्थान के बारे में जो सवाल है उसमें आप किसी भी चीज को ले लीजिये। छात्रों को शिक्षा देने के आधार को ले लीजिये। आप कौनसे छात्रों को शिक्षा देना चाहते हैं? वही छात्र जो आधुनिक जरिये से काम करना चाहते हैं वे ही तो शिक्षा लेंगे। आज गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर इलाके से नहर जायगी, जहां कृषि का सारा विकास है। राजस्थान में हमारा जो उद्देश्य है कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आखिर प्रोडक्शन कौन से लोग बढ़ायेंगे? जिधर राजस्थान नहर जायगी वहीं के लोग उचित शिक्षा प्राप्त करके, साधन उपलब्ध करके प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करेंगे। गंगानगर और दूसरे इसी तरह के एरियाज के जो लोग रहने वाले हैं, जिनकी शिक्षा के लिये आप उद्धार करना चाहते हैं उन छात्रों को सुविधा यदि गंगानगर में विश्व विद्यालय होता है तो जो लोग गरीबी के कारण बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते उन्हीं के क्षेत्र में यदि यह खुल जावे तो वे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर सारे साधन मौजूद हैं, वहां हो तो सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपने उदयपुर में रखा। आखिर कृषि से लाभ उठाना है तो राजस्थान नहर का एरिया इसके लिये उपयुक्त हो सकता है, दूसरा नहरी एरिया उपयुक्त हो सकता है क्योंकि पढ़ने वाले अधिकांश लोग इसी जगह के होंगे इसलिये कि साधन आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वहीं पर जुटाये जा रहे हैं। राजस्थान केनाल हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। तो आप हर तरीके से चाहे शिक्षा के साधनों की दृष्टि से, चाहे मूलभूत उद्देश्यों की दृष्टि से, चाहे उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से आप अपने उद्देश्यों की कसौटी पर तोल कर देख लीजिये, आपको

Page No. 77

(श्री मुरलीधर व्यास)

मालूम होगा कि उसके लिये एकमात्र स्थान हो सकता है तो वह गंगानगर जिला हो सकता है। उदयपुर को तराजू पर हर तरीके से तोलने पर भी यदि गंगानगर का ८० परसेन्ट वजन होगा तो उदयपुर का २० परसेन्ट भी नहीं होगा। नीति और न्याय की दृष्टि से भी बहुत थोड़ा परसेन्टेज उदयपुर के लिये कह सकते हैं लेकिन ८० परसेन्ट गंगानगर के लिये कह सकते हैं। क्योंकि यह हो रहा है, कानून आप पास करवा रहे हैं, उदयपुर में सीट रखने के सवाल को मैं बंद नहीं करा सकता, हो सकता है मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं मांग करना चाहता हूं कि यह भविष्य का सवाल है। आप इतना सा कह सकते हैं कि क्योंकि उदयपुर में कृषि कॉलेज है इसलिये युनिवर्सिटी की सीट भी उदयपुर में रखी जाय। इतनी सी बात को लेकर उदयपुर का नाम रखते हैं तो मूलभूत उद्देश्य जो निर्धारित करते हैं उनका हनन होगा, मूल भूत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते।

आज एक स्थान का ही सवाल नहीं है, इसमें राजस्थान का पैसा लगेगा। आज दूसरे देश पैसा देते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज अमेरिका पैसा देता है, कल वह इन्कार करता है तो क्या होगा? एक विश्व-विद्यालय को खोलने के बाद उसको बंद थोड़े ही करेंगे। तब तो राजस्थान सरकार के खजाने से ही बहुत बड़ी तादाद में रकम देनी पड़ेगी। और राजस्थान के खजाने से पैसा लगाने के बाद भी राजस्थान के लोगों को लाभ नहीं होगा। अभी ऐसा निर्णय लेकर भविष्य को अंधकार में डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं इतना ही कहता हूं कि व्यक्तिगत आधार पर नहीं सोचना चाहिये। मैं आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिये निर्णय किया जाय तो यह राजस्थान की जनता पर प्रहार करनेवाला है, अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सीट के बारे में सवाल है कोई हर्ज नहीं, हमें मालूम है कि बीकनेर में मेडिकल कॉलेज खुलने का सवाल आया तो उसके लिये कमीशन बैठाया गया। वह जोधपुर गया और उदयपुर भी गया। उसको इतना ही कहा गया था कि जोधपुर और बीकानेर इन दो स्थानों में से कोई भी स्थान चुन लें, वहां मोहनलालजी सुखाड़िया ने कहा कि उदयपुर को भी देख लें। आखिर वह कमीशन उदयपुर भी गया। मुझे खुशी होती यदि और इलाकों के बारे में भी कहते कि उनको भी देख लें। तो यह लोकतंत्र का अच्छा तरीका है, आप लोगों को कह सकें कि कमेटी से कहा गया कि अच्छी तरह से देख कर फिर निर्णय दें। तो मेडिकल कॉलेज कमीशन को सब कुछ दिखाया और जहां कृषि विश्व विद्यालय खुल रहा है, जहां बहुत बड़ी युनिवर्सिटी खुलने का सवाल है, अमेरिकन एड का सवाल है, उसके साथ साथ मूलभूत उद्देश्यों का सवाल है, मैं फिर ट्रेजरी बेन्चेज से और मंत्रीजी से प्राथना करूंगा कि ठीक बात है, स्थान के दृष्टिकोण से यदि आपके पास रिपोर्ट हो या न हो लेकिन आप से कहना चाहता हूं कि एक कमीशन बैठाइये, केन्द्रीय सरकार को लिखा जाय कि हमारे यहां मतभेद है ठीक बात है, कानून से जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन जहां सीट का सवाल है केन्द्रीय सरकार को लिखें कि इस मामले में एक कमीशन या आयोग बैठाये जो राजस्थान के

(श्री मुरलीधर व्यास)

हर हिस्से में जावे। मैं नहीं कहता कि उदयपुर में नहीं जावे, कोटा में जावे, बीकानेर में जावे, हर स्थान पर जावे और जाने के बाद हर दल के लोगों से बातचीत करें, वहां के लोगों से बातचीत करें, अच्छे अच्छे जानकार लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाय, उनकी राय ली जाय और जो राय बने उसके अनुसार उदयपुर होता है तो उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खुले, गंगानगर होता है तो वहां खुले या बीकानेर का निर्णय होता है तो वहां पर खुले। लेकिन मैं मांग करता हूं कि आप न्याय की दृष्टि से सोचते हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ स्थान के आधार पर नहीं सोचते हैं तो मेरे सुझाव को मानना चाहिए। बिल तो पास होगा, हमें मान्य भी होगा लेकिन कमीशन की सीट के बारे में जो रिपोर्ट होगी उसको मान्य किया जायगा, ऐसी मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक परंपरा बनाते हैं, लोकतंत्र में बात सुनने का जो मोटा उसूल है उस उसूल के ऊपर लोकतांत्रिक सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और सलेक्ट कमेटी में भी विचार किया जाय जब तक कमीशन के द्वारा जांच हो। लेकिन हमें सरकार को मौका देना चाहिए कि जांच करावे। तो मैं क्लॉज ४ के संबंध में मूलभूत उद्देश्यों के कारण जो सीट या स्थान रखा है मैं उसको उपयुक्त नहीं समझता; क्योंकि यह गलत है, गलत स्थान खोजा गया है चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन वह मेरे दिमाग में उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य की दृष्टि से, क्षेत्रीय भावना से नहीं, लेकिन राजस्थान को आम जनता के विकास की दृष्टि से देखना चाहिए और आम जनता के दृष्टिकोण से कृषि विश्व विद्यालय खोलने का निर्णय करना चाहिए। यदि आपने किया तो भविष्य में हमेशा के लिये दिक्कत होगी। इसलिए जांच कमीशन बैठाया जाय और यदि वह कह दे कि जो निर्णय हुआ है वह ठीक हुआ है तो हमें स्वीकार होगा।

अब दूसरा सवाल यह आता है कि क्लॉज ४ के अन्दर जो एक नियंत्रण करने के लिये बोर्ड बनाया गया है उस बोर्ड में जो तीन, चार बातें रखी गई हैं, नियंत्रक बोर्ड का संगठन तथा उसकी रचना में बताया गया है कि इसमें तीन प्रकार के सदस्य रहेंगे :

(१) पदेन सदस्य।

(२) प्रतिनिधि सदस्य।

(३) मनोनीत सदस्य।

ये तीन प्रकार के सदस्य रहेंगे। पदेन सदस्यों में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, कृषि सचिव, कृषि संचालक एवं पशु पालन संचालक, राजस्थान राज्य होंगे। प्रतिनिधि सदस्यों में राजस्थान बोर्ड ऑफ दी इन्स्टीटयूट ऑफ इंजीनिरिंग का प्रतिनिधि व विश्वविद्यालय का एक रजिष्ट्रीकृत स्नातक। मनोनीत सदस्यों में से आपने दो सदस्य पंचायत समितियों के रखे हैं। ये दोनों ही प्रतिनिधि कृषक होंगे और उसमें से एक व्यक्ति कम से कम ऐसा होगा जो राज्य की कृषक संस्थाओं से सक्रिय रूप से सम्बद्ध हो।

जितनी राजस्थान की पंचायतें हैं उनमें से दो प्रतिनिधि आपने रखे हैं। मुझे इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

बात की खुशी है कि राजस्थान पंचायतों के सदस्य हों और दूसरे भी हों लेकिन मैं एक यह आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो मनोनीत होंगे वे सरकार के आधार पर होंगे। इसके लिये भी ऐसा करना चाहिये कि जो प्रतिनिधि पंचायतों से लिये जावें वे उन पंचायतों से लिये जावें जिन्होंने एग्रीकल्चर में विकास कार्यों में बहुत अच्छा काम किया हो; ऐसे लोगों को मनोनीत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मनोनीत तरीके से आप किसी को मनोनीत करते हैं वह तरीका बदल जावेगा। ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि वह उस क्षेत्र का काम करने वाला हो। ऐसा अपने क्षेत्र में भी कृषि के बारे में विकास करता हो और इसके लिये जांच हो और उसके बाद उसको मनोनीत किया जावे, न कि सरकार अपने मनमाने तरीके से जिसको मनोनीत करना चाहे मनोनीत कर लें।

दूसरा, मैं ऐसे सदस्य भी इसमें चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हों। जैसे हमारे यहां रशियन फार्म है। यह फार्म एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। अगर उसमें ऐसे सदस्य भी हों तो वे बहुत ही अच्छे सुझाव दे सकते हैं। ऐसे आदमियों के अलावा बाहर की युनिवर्सिटीज के भी ऐसे लोग हों तो उनको लेना चाहिये जिससे परस्पर सम्बन्ध के साथ साथ विकास का कार्य भी हो सके।

मैं यह कहूँगा कि बोर्ड में आपको ऐसे आदमियों को भी लेना चाहिये जो योग्य हों ताकि राजस्थान युनिवर्सिटी में ऐसे महानुभाव आ सकें जो हिन्दुस्तान के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्रामोद्योग का क्षेत्र है, अखिल भारतीय खादी क्षेत्र है उसमें से ले सकते हैं। अखिल भारतीय गृह उद्योग में से ले सकते हैं। जो लोग मूलभूत उद्योगों में सहायता दे सकते हैं ऐसे आदमी आने चाहिये ताकि परस्पर मेल से विकास कर सकें, यह लक्ष्य हमारा होना चाहिये।

दूसरी बात, जहां तक इस पर नियंत्रण का प्रश्न है मैं मानता हूँ कि नियंत्रण करने वाली कोई भी बोडी हो, जिसके हाथ में सारे पावर्स हों वे काम करने वाले हों। अगर हमने सरकार के ज्यादा आदमी रख दिये और उनका नियंत्रण रख दिया तो शिक्षा का क्षेत्र जिसमें किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिये अगर हुआ तो शिक्षा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक बोर्ड का सवाल है, इसके नियंत्रण का सवाल है, सरकारी अधिकारी इतने अधिक इसमें नहीं भर दिये जावें ताकि इस और दूसरे सोचने वालों का दिमाग अवरूद्ध हो जावे। इसके बारे में सरकार सोचेगी।

जहां तक दूसरे मुद्दे हैं, पहले माननीय सदस्यों ने कहा है और अपने विचारों को रखा है। इसके बारे में मैं अपने विचार नहीं रखता, परन्तु मैं विश्वास करता हूँ कि यह जो सलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार करेंगे। कम से कम सरकार इस सारे के बारे में एक कमीशन बैठा कर निर्णय लेगी, चाहे इसमें कुछ समय के लिये विलम्ब भी हो जावे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहरसिंह राठोड़ (चुरू): क्या ट्रेजरी

(श्री मोहरसिंह राठोड़)

बैंचेज़ महिलाओं के लिये ही रिज़र्व हो गई है ?

श्री विजयसिंह् भाला (नाथद्वारा) : Point of Order, Sir, यह रूलिंग में देखने को मिला है कि साधारणतया एक मंत्री का सदन में होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस समय मंत्रियों में से एक भी मंत्री नहीं है।

श्री सभापति : 'Minister' includes 'Deputy Minister' also.

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मन्त्री, कृषि) : जो बातें आ चुकी हैं उसके अलावा नये सुझाव हों वे आप दें, समिति में तो यह जावेगा ही।

श्री विजयसिंह् भाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी बिल, १६६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, इसके लिये अभी बीकानेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो उदयपुर का ही आधार बताया उसके लिये तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि केवल इस आधार पर ही इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी कई आधार हैं जो काफी अध्ययन के हैं और माननीय सदस्य जो कांकरोली से आये हैं उन्होंने रखे उन सारे सुझावों को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह बिल सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे। माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये उन्होंने कहा कि उदयपुर में यह युनिवर्सिटी हो वहां पर ऊंट या घोड़े नहीं हैं, मैं यह नहीं समझता कि....

एक माननीय सदस्य : ऐसे ऊंट और घोड़े नहीं हैं।

श्री विजयसिंह् भाला : यह हो सकता है कि काले ऊंट बीकानेर में हों और सफेद ऊंट उदयपुर में हों। जहां तक इसके नाम का प्रश्न है, उन्होंने महाराणा प्रताप युनिवर्सिटी रखा। मैं इसका समर्थन करता हूँ कि इसका नाम महाराणा प्रताप युनिवर्सिटी रखा जाए। इस नाम के रखने से जो सद्भावना उदयपुर के प्रति है वह अमिट हो जावेगी और माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हैं उन्होंने कहा कि इसका नाम मोहनलाल सुखाड़िया युनिवर्सिटी रख दिया जावे तो मैं यह कहूंगा कि उनके जो काम हैं उनको ध्यान में रखना होगा। इसलिये कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं इसको महाराणा प्रताप युनिवर्सिटी के नाम से बना दिया जावे, इसका मैं समर्थन करता हूँ।

इसके बाद मैंने इसके सेक्शनों को पढ़ा और उनको देखने से जो उलझनें आईं उन एक एक उलझनों को मैं सदन के सामने रखना पसन्द करूंगा।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर राज्य सरकार ने अपना सबसे बड़ा नियंत्रण रखा है। कुलपति गवर्नर को आपने रखा है और जहां तक वाइस चान्सलर का सवाल है :

"The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor upon the recommendation of the Board,"

(श्री विजयसिंह झाला)

इस पर भी ज्यादातर नियंत्रण राज्य सरकार का है। जहां तक रजिस्ट्रार का सवाल है, उसी प्रकार जहां तक चेयरमैन ऑफ दी बोर्ड का सवाल है, उसमें भी नोमीनेटेड बाइ दी चान्सलर है और इसी प्रकार जाकर जो कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी बोर्ड का सवाल है उसमें भी ज्यादा सदस्य किये गए हैं। यह सारा का सारा बताता है कि जो नियंत्रण अभी इस मौजूदा बिल के अनुसार दिया गया है वह राज्य सरकार का बहुत है, लेकिन इस प्रकार के महा विश्वविद्यालय के लिए इतना अधिक नियंत्रण उपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

साथ ही साथ मैं इस बिल के अन्दर यह भी निवेदन करता हूँ कि इसमें बहुत से ऐसे अनावश्यक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स आ गए हैं जिनको कम किया जा सकता है, जिसकी वजह से खर्चा कम हो सकता है।

सभापति महोदय, सेक्शन १४ में Comptroller, Estate Officer and Dean of Student Welfare है। उसके बाद में इनके जो फंक्शन्स बताए गए हैं क्लॉज २ में और क्लॉज ३ में एस्टेट ऑफिसर्स के जो फन्क्शन्स बताए गए हैं, दोनों के दोनों फन्क्शन्स एक ही बोडी कर सकती है और इनको अलग २ रखने की मैं आवश्यकता अनुभव नहीं करता। साथ ही मैं यह भी अनुभव करता हूं कि बहुत सी ऐसी बोडीज हैं जिनके फन्क्शन्स क्लीयर रूप से निर्धारित नहीं हुए हैं। जहां तक ऐकेडेमिक कौंसिल का सवाल है और जहां तक कौंसिल ऑफ डीन्स के सेक्शन २३ का सवाल है, और जहां तक सेक्शन्स २४ बोर्ड ऑफ स्टडीज का सवाल है, इसके बाद में, इसकी परिभाषा के बाद में जहां तक इनके फन्क्शन्स का सवाल है वे फन्क्शन्स इस बिल के अनुसार पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं।

मैं मानता हूं कि जो सेक्शन १६ के अनुसार Constitution and Composition of Board of Control का जहां तक सवाल है और उसके बाद में सेक्शन २० के अनुसार बोर्ड के अधिकारों का सवाल है, इन दोनों को साथ में देखेंगे तो यह बोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड दीखेगा और इसके अन्दर जो सदस्य मौजूदा स्थिति में जायेंगे और ऐसे सदस्य पंचायत समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरे जो नोमिनेटेड सदस्य कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एजूकेशन के या All India Women's Conference or from among the organizations concerned with Home Science or rural uplift" के जो नोमीनेटेड सदस्य जायेंगे ऐसे सदस्यों के लिए किसी प्रकार के क्वालीफिकेशन्स नियत नहीं हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसे सदस्य जो अब पंचायत समितियों में हैं वे सारे के सारे इस प्रकार का महा विश्व विद्यालय जो खोला जा रहा है उसके मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि यदि नोमीनेटेड सदस्य रखे भी जायं तो कोई न कोई फिक्स्ड क्वालीफिकेशन होनी चाहिए ताकि जो हमारे मूल सिद्धांत हैं उनको समझें, अन्यथा यह बोर्ड एक राजनैतिक स्थान बन जायागा।

इस बोर्ड के बाद में क्लॉज २० के आगे नियुक्ति का सवाल आता है। संभव हो सकता

(श्री विजयसिंह झाला)

है, ऐसे आदमी जो कि इस युनिवर्सिटी के लिए जहां ठीक हों इसके राजनैतिक स्टंट के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुमत का सवाल वहां पर भी आएगा। ऐसी स्थिति में सेक्शन १६ के अन्दर जो composition of Board of Control का सवाल है उसकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा और साथ ही साथ सेक्शन २० के अन्तर्गत भी ऐसी बहुत सी आलोचनाएं हैं जिनको देखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि इस बिल पर जल्दी से दो, तीन घंटों में विचार नहीं किया जाय और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री सभापति : श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय चेयरमैन महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। हमें यह महसूस कर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार कृषि की ओर ध्यान तो जरूर देने लग गयी। लेकिन चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूं कि जहां इसके लोकेशन की ओर ध्यान दिया गया तो वही पुरानी चीज सामने आयी कि सब का लोकेशन उदयपुर में होना चाहिए ! मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि आज सब चीज हमारे मुख्य मंत्रीजी और मुख्य सचिव महोदय उदयपुर ले जाना चाहते हैं। हमें कोई एतराज भी नहीं होता, क्यों न ले जायं। लेकिन एक तरफ से एक सुझाव यह भी आया कि इसे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी और कर दिया जाय। महाराणा पताप के नाम की भी हम कद्र करते हैं, लेकिन इसी तरह महाराजा मानसिंह के नाम की भी हम कद्र करते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर जयपुर और उदयपुर का समावेश करना है तो इसे महाराजा मानसिंह एग्रीकल्चरल कॉलेज कर दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information, Sir विश्व विद्यालय यदि उदयपुर में रहता है और नाम उनका हो तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उदयपुर में रहना चाहिए, नाम आपका रहे।

श्री मानसिंह महार : यदि जयपुर और उदयपुर का समन्वय करना हो तो मैं मंत्राणीजी से निवेदन करूं........

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, कृषि) : सभापति महोदय, यदि कोई रचनात्मक सुझाव माननीय सदस्य दें तो अच्छा होगा।

श्री सभापति : सुनिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) समन्वय का प्रारंभिक चरण है।

श्री मानसिंह महार : मैं पहली बात निवेदन करता हूं कि अगर नाम रखना है तो क्योंकि कॉलेज जोबनेर से चला गया है, तो जयपुर का नाम कम से कम उससे ऐसोशिएट हो जाय। आगे चलिए। बात यह है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं यही निवेदन करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सलेक्ट कमेटी को जरूर सुपर्द करना चाहिए। आप देखेंगे उदयपुर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है। वह बहुत छोटा और नया कॉलेज है, ४-५ वर्ष पहले का।

(श्री मानसिंह महार)

उसको सरकार यूनिवर्सिटी में परिणित कर दे, उसको मैं जरूरी नहीं मानता। केवल मेरा दिमाग यह बात समझ नहीं पाता कि अगर ये सब बातें जरूरी हैं तो वह उदयपुर ही पूर्ति करता है। यदि ऐसा है तो सरकार की वाजिब बात है।

यदि हम दूसरी तरफ देखेंगे को हमें मालूम होगा कि बीकानेर के पास में सूरतगढ़ इतना अच्छा फार्म खुला है जिसका हिन्दुस्तान में नाम है। उसके पास ही और फार्म खोला जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्म हो सकता है। फिर यदि गंगानगर की ओर ध्यान दिया जाय तो अन्याय की बात नहीं होगी। कहा जाता है कि गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर कॉलेज न भी हो तो गंगानगर के अन्दर व सूरतगढ के अन्दर प्रेक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के इम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के लड़के उदयपुर-मेवाड़ के पहाड़ों व जंगलों में नहीं देखने जायंगे लेकिन वे फार्मों पर प्रेक्टिकल चीज देखेंगे।

एक माननीय सदस्यः आमेर नजदीक पड़ता है।

श्री मानसिंह महार : आमेर चलिए, आपको दिखादूं क्या क्या चीज है। आपने अच्छी तरह से देखा नहीं है। मैंने तो नाथद्वारा की घाटियां देखो हैं।

श्री विजयसिंह झाला : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर। एक बार और पधारें और ठीक अध्यन करें तो·······

श्री मानसिंह महार : अगर माननीय सदस्य अध्ययन के लिए ले चलेंगे तो मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन चेयरमैन महोदय, जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, उसको तो हमें बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए। कृषि यूनिवर्सिटी और उसको भी हम अगर ऐसे बड़े बड़े फार्मों के पास न रखेंगे तो क्या करेंगे? हमारे जो ग्रेजुएटस निकलेंगे वे फिर बिल्कुल इम्प्रेक्टिकल आदमी होंगे, वे खेती लायक नहीं होंगे। अगर वास्तव में आपको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कायम करनी है तो वह इन बीकानेर के बड़े फार्मों में होनी चाहिए, ताकि जो मॉडर्न मैकेनाइज्ड तरीके हैं वे अधिक लोगों तक पहुंच सकें। वे बाहर जाकर लोगों को मॉडर्न तरीकों की खेती सिखायें। हम यही चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर लंबी चौड़ी किताबें पढ़ाई जायंगी और प्रेक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं तो आज जो हमारे देश की कृषि की हालत है वही बनी रहेगी। हमारी सरकार ने सोचा, उदयपुर में सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज है हालांकि जो मौजूदा कॉलेज जोबनेर में था

(४.० म. प.)

लेकिन उसको तो पहले ही बहुत कमजोर बना दिया गया है और मैं तो कहता भी नहीं कि जोबनेर में युनिवर्सिटी रखी जाय। सूरतगढ़ और उदयपुर की लड़ाई में जोधपुर में भी आ जाये तो फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो यह भी कहूंगा। खैर, उसको जाने दीजिये। गंगानगर क्षेत्र तो वह क्षेत्र है जिसको राजस्थान की ग्रेनरी कहा जाता है। वहां युनिवर्सिटी न बना कर उदयपुर में बनाई जाती है, महज गंगानगर में एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है और न बनावें और उदयपुर में बनावें तो ऐसी

(श्री मानसिंह महार)

युनिवर्सिटी बनाने का मैं सख्त विरोध करता हूं और विरोध ही नहीं करता सदन के माननीय मित्रों से भी कहूँगा के वे बिल को ध्यान से देखें। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार हमसे करवा लेना चाहती है वह है रिप्रेजेन्टेशन आॅफ मैम्बर्स। यह सरकार हमेशा इस प्रकार के मुद्दे रखती आयी है। एक बड़ी मजेदार बात और रखी है :

"(iv) two representatives of Panchayat Samitis in the State, both being farmers and at least one being actively associated with farmers' organisations in the State to be nominated by the State Government."

यह भी हमारा तजुर्बा बहुत पुराना है कि इसमें तो श्री रामजी काक के सिवाय और कोई आ ही नहीं सकेगा। यह एक पेटेन्ट मेडीसिन है हमारी सरकार की; ऐसा मौका आये तो श्री रामजी काक को नोमिनेट कर दिया जाय और कुछ नहीं। इस प्रकार की चीजें हैं। इस तरह से जनता को एक भुलावा दिया जाता है। "नोमिनेटेड मैम्बर्स" यह इसमें से उड़ा देना चाहिये। क्या जरूरत है नोमिनेटेड मैम्बर्स की ? कृषि में योग्य हों उन्हें रखिये। एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी में पंचायत समिति के मैम्बर्स क्या करेंगे ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कृषि में एक्सपर्ट होते हैं। पंचायत समिति में तो एग्रीकल्चर का ही काम होता है। वह इससे बहुत ज्यादा सम्बन्धित है।

श्री मानसिंह महार : उमरावसिंहजी को मालूम नहीं है पंचायत समिति में एक्सपर्ट्स नहीं लिये जावेंगे, वहां तो लिये जावेंगे सरकार के जो पिट्ठु होंगे, फेवराइट्स होंगे उनको।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसका विरोध कीजिये।

श्री मानसिंह महार : पद्धति का सही तरीके से पालन करें तो हम कभी इसका विरोध नहीं करेंगे। बाहर रहने वाले किसान नोमिनेट नहीं होंगे। पंचायत समिति का एक किसान वाकई में खेत में हल जोतता है वह नहीं होगा। नमूना ले लीजिये। पंचायत समितियों में कृषि पंडित के नाम से लोग आते हैं।

एक माननीय सदस्य : कहां आते हैं ?

कई माननीय सदस्य : अभी आये नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार : रूल्स फ्रेम करने में तो इतने माहिर हैं कि हमारे और आपके पकड़ में ही नहीं आवे। इस तरह से जो नोमिनेशन के लिए बात है वह खतरनाक है। सरकार येनकेन प्रकारेण चाहे शिक्षण संस्था हो, चाहे कोई बोर्ड हो, अपना हाथ जरूर रखना चाहती है। वहां उनके कुछ ऐसे आदमी चाहिये जो उनके पेटेन्ट, फेवराइट्स हों। उनको किसी तरह पहुंचाया जाय। अभी थोड़े दिन पहले मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि हायर सेकेन्डरी बोर्ड के बारे में उसके चेयरमैन एक्स चेयरमैन, पी. एस. सी., लक्ष्मीलालजी जोशी हो गये। तो उनको यहां भी ठोक दिया। बड़े सरल ढंग से कहा जाता है, देखो, बड़ी इन्नोसेन्ट चीज़ है। पंचायत

(श्री मानसिंह महार)

समिति के अध्यक्ष बनेड़ा से आये माननीय साथी रह चुके हैं और अब भी हैं। वे जानते हैं, वे प्रधान रह चुके हैं, क्या रूप-रेखा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वे कह रहे हैं मेरा नम्बर आ जावेगा।

श्री मानसिंह महार : कभी नहीं आवेगा। वह तो लिमिटेड है। जैसे लक्ष्मीलालजी जोशी, रामजी काक। दूसरे कभी इस सरकार में नहीं आवेंगे। कभी आजावेंगे तो मुझे कह दीजिये। इस प्रकार की जो पद्धति है उसका विरोध करना चाहिये। सदन में इन छोटी छोटी बातों को न रखें। इसलिए मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जोधपुर से आये हैं, जोधपुर वालों को लेना देना नहीं है, उप-मंत्राणी हैं वे जयपुर की हैं उनको भी कुछ लेना देना नहीं है। दोनों के दोनों इसमें न्युटरल हैं। यह झगड़ा तो बीकानेर और उदयपुर के बीच का है।

श्री सभापति : उस झगड़े का आप फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री मानसिंह महार : कुछ दिन का मामला है इसको सलेक्ट कमेटी में भेजें। डिस्कशन में टाइम नहीं लगता, फौरन उठ कर कह दें कि सलेक्ट कमेटी में भेजना मंजूर कर लिया तो बोलने वाले खड़े नहीं होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अच्छे सुझाव आ रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : सुझाव मंजूर कर लीजिये। गंगानगर डिवीज़न वालों की जो मांग है वह न्यायोचित मांग है। इतनी बड़ी युनिवर्सिटी बन रही है। फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स होंगे। बाद में सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स की मांग करेंगे। अगर इसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स की जांच नहीं करा ली है तो इसको सलेक्ट कमेटी में भेज कर जांच करा लें। व्यक्तियों के बारे में भी कई गड़बड़ियां हैं। मैं समझता हूँ कि सारा बिल ही होचपोच है। उसको खत्म करके सदन की मर्यादा के माफिक उसको लाया जाय तो सही ढंग से हो सकता है। मेरे एक मित्र ने इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने का सुझाव दिया है उसको सर्व सम्मति से स्वीकार करें और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय ऐसी बातों की ओर जरूर कद्र के साथ ध्यान देंगे।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : सभापति महोदय, यह राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी अपनी विचार धारायें सदन के सम्मुख प्रस्तुत की। मैं भी इस बात को मानता हूं और मेरा भी यह विचार है कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। क्योंकि राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है और हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान भी एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ी नहर जो राजस्थान केनाल के नाम से निकल रही है और राजस्थान के अन्दर कृषि की बढ़ोत्तरी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, ऐसी सूरत में एक महत्वपूर्ण विधेयक आज हम पास करने जा रहे हैं। यह सदन के लिए सोचने की बात है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे

(श्री जयकृष्ण)

इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात अवश्य ही मंजूर करेंगे ।

दूसरे सदस्यों ने बातें रखी हैं । नाम के सम्बन्ध में विचारधारायें रखी हैं । मैं समझता हूं नाम के सम्बन्ध में एक अच्छा सुझाव है जो हरएक राजस्थानी को स्वीकार कर लेना चाहिये । जब महाराणा प्रताप का नाम आता है, मैं समझता हूं महाराणा प्रताप के नाम से राजस्थान के लोग ही गौरवान्वित नहीं हुए हैं बल्कि सारा हिन्दुस्तान गौरवान्वित होता है । यदि महाराणा प्रताप के साथ दूसरे लोगों के नाम जोड़ते हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान के उस बड़े गौरवशाली व्यक्ति के प्रति उदासीनता दिखलाते हैं । यह बात राजस्थानियों के लिए गौरव की नहीं है । इसलिये कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि इस विश्व विद्यालय का नाम महाराणा प्रताप के नाम से होना चाहिये यह मैं समझता हूं बहुत अंशों तक ठीक है ।

दूसरा, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि पंचायत समिति के सदस्यों के नाम उसमें नहीं होने चाहिये । मैं समझता हूँ, वे लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के बहुत बड़े हामी हैं और इस सदन में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण के बारे में उनके मुंह से यह बात सुन कर बड़ा दुख होता है । हां, हेरफेर कर सकते हैं, पंचायत समिति का सदस्य कृषि निपुण हो । पंचायत समिति में कृषि निपुण होंगे । उसका मतलब वे भी जानते हैं कि उनको कृषि का ज्ञान है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मिसाल नहीं देंगे । क्यों; हमने पंचायत समितियों को किसलिये बनाया है ? इसलिये बनाया है कि देश में उत्पादन बढ़े । अगर उनके ज्ञान का कृषि विश्व विद्यालय में उपयोग करेंगे तो उनको जो प्रेक्टिकल अनुभव है पंचायत समितियों के फिल्ड में वह वे विश्व विद्यालय में जाकर रखेंगे, रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत से विश्व विद्यालय में जाकर बहुत बड़ी सेवा कर पायेंगे । इसलिये मेरी यह मान्यता है कि पंचायत समिति के जो नुमायन्दे हैं वे इसमें जरूर होने चाहिये ।

इसके साथ साथ, एक बात और मैं रखना चाहता हूँ, वह यह कि राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह जो संशोधन रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ ।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह सबमिशन है कि राजस्थान एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । इसके पीछे जो रीज़न देना चाहता हूँ वह यह है कि आज अगर हम पूरे कन्सीडरेशन के बाद इसको पास कर देते हैं तो आइन्दा सिवाय क्लॉज ४ के सब-क्लॉज (६) में जो अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं अगर उदयपुर में इसकी सीट कायम की गई वहां फेकल्टी स्टार्ट हो जायगी, बिल्डिंग का कन्स्ट्रकशन हो जायगा । अगर हाउस एक राय का भी हुआ तो आयन्दा आने वाले समय में इसमें अमेन्डमेन्ट मूव कर सकता है । इस सीट के बारे में जो युनिवर्सिटी की सीट कहां रखी जाय इसके लिये कमेटी बनायी गई थी उससे पहले भी हमें एक, दो बातें सुनने को मिलीं । कमेटि ने कुछ क्राइटेरिया तय किया लोकेशन के बारे में । मैं समझता हूँ इस

(श्री केदारनाथ)

तरह से जितनी भी कमिटियां बनती हैं, उसका स्वरूप मैं आपके सामने रखूं कि कौन कौन से पोलिटीकल फेक्टर्स उनके सामने होते हैं। किन पोलिटीकल पर्सनल द्वारा वे डिक्टेट होते हैं, उन्हीं के इशारे पर वह कमेटी चलती है। मैं इस समय उन सब बातों में जाना नहीं चाहता कि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय रखने के लिये क्या क्या किया गया। आज से नहीं, काफी अरसे पहले से एक क्षेत्र के राजनैतिक नेताओं के दिमाग में यह बात थी, आज से नहीं, चार, पांच साल पहले से कि उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय होना चाहिये। आज गंगानगर में कृषि कॉलेज नहीं। यह कोई गलती वहां के एग्रीकल्चरिस्ट्स की नहीं, और न वहां के लोगों की है। यह गलती हमारी सरकार की है, जिसने उस इलाके की नीडस को देखा नहीं, सरकार ने जिस इलाके के साथ पिछले दस सालों से डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया है। वहां की नुमायन्दगी सही मायने में आज तक किसी ने नहीं की। वहां के नुमायन्दे जो मंत्री मंडल में थे उन्होंने भी उस इलाके की आवाज को बुलन्द नहीं किया और न वहां के रिक्वायरमेन्ट्स को सरकार के सामने पेश किया। मैं नहीं समझता, अगर वे वहां की हालात–सही हालात सरकार के सामने रखते तो आज मुझे यह सबमिशन करने का अवसर न मिलता। आज यह सब मानते हैं कि वह इलाका एग्रीकल्चरिस्ट्स का इलाका है। वहां की हालात को देखते हुए वहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम होनी चाहिये थी। आज उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय खोलने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यह मैं समझता हूँ वैसा ही है जैसे कोई यह मांग करे कि राजस्थान की राजधानी बीकानेर में रखी जाय। मेरा हम्बल सबमिशन यह है कि यह सलेक्ट कमेटी में इसलिये जाना चाहिये कि आज हमारे देश में जो टोप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको हम पहले से ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसी हालत में हम जब इस कृषि विश्व विद्यालय को अमेरिकन पेटर्न पर खोल रहे हैं तो यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका भविष्य धुंधला है। इसके बारे में आज सोचा जाय तो उचित नहीं होगा। यह सोचना कि इसका फंक्शनिंग कैसा हो, किसका कन्ट्रोल हो, स्टेट इसमें इन्टरफियर करे या ऑटोनोमस बोडी हो, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर सलेक्ट कमेटी में भी विचार हो सकता है।

इसकी शिक्षा के लायक स्थान केवल गंगानगर का इलाका ही उपयुक्त है क्योंकि वहां मेजर डेवलपमेन्ट वर्क्स भी हैं। जहां डेवलपमेंट वर्क्स नहीं होते वहां कल्टीवेशन के लिये स्कोप नहीं रहता। वहां बीस लाख एकड़ भूमि काश्त होती है, जिसके लिये मैं सबमिशन कर रहा हूं, वह इलाका आज से पहले १५०० लड़के एग्रीकल्चर क्षेत्र में टीचिंग डिप्लोमाज लेकर अलग अलग फील्ड में भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। वहां की लोकल जीनियस भी एग्रीकल्चरिस्ट क्लास से पैदा होती है। वहां पर किसी प्रकार की इन्डस्ट्री पर लिवलीहुड नहीं है। वहां के सबसे बड़े एरिया में काश्त होती है, वह एरिया रेवेन्यू भी सब इलाकों से ज्यादा देता है। वहां की सोइल भी बड़ी अच्छी है। वहां रिसर्च करने के लिये बहुत स्कोप है। वहां हर तरह की क्रोप्स देखने को मिलेगी। इसके मुकाबले में उदयपुर रिसर्च का सेन्टर है, लर्निंग का सेन्टर है, सेन्टर ऑफ

(श्री केदारनाथ)

पोलिटिकल पर्सनेलिटीज़ हो सकता है। तो ऐसे स्थान को एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिये उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं आपको, हम इलेक्शन जो लड़ कर आये हैं। वह याद दिला दूं।

(विराम)

You will not mind my digression,

(विराम)

हम चाहे १,७०० वोटों से ही जीत कर क्यों न आये हों, लेकिन हमारे साथ वहां की जनता का मेन्डेट है। उनकी मांग है कि एग्रीकल्चर विश्व विद्यालय के लिये गंगानगर इलाके में सब तरह की सुविधायें हैं। वे लोग एजीटेशन करना जानते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हाईकोर्ट के एजीटेशन की तरह वे भी लड़ें। वहां पर जो भी लड़ाइयां लड़ी गई इकॉनोमिक बेसिस पर लड़ी गई। मेनीफ़ेस्टों में यह मांग है और मैं वही वहां के प्रतिनिधि के रूप में सदन के सामने रख रहा हूँ। वह इलाका सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका है, सबसे बड़ा इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा इर्रिगेशन होती है। वह सबसे बड़ा इलाका है जिस इलाके में लोकल जीनियस पैदा हो सकती हैं, जहां तक एग्रीकल्चर रिसर्च का सवाल है। वाटर रेट्स बढ़ाने का सवाल आता है, आमदनी का जरिया ढूंढने का सवाल आता है तो गंगानगर का इलाका याद आता है। बैटर-मेन्ट लेवी लागू की जाय तो इसके लिये गंगा-नगर का इलाका सबसे अच्छा है, वाटर रेंट्स बढ़ाने का सवाल हो, पैसे की जरूरत हो तो वहां पर सब तरह से हावी हो जाते हैं और कहा यह जाता है कि १०३ रुपया पर हैड वहां सरकार खर्च करती है। आप निकाल दीजिये इन वाटर प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेन्ट के दूसरे वर्क्स को, राजस्थान कैनाल और भाखरा को और इसके बाद देखेंगे तो वहां ६ प्रतिशत इन्वेस्टमेन्ट किया है राजस्थान सरकार ने। जो इलाका इतना बड़ा है जिसकी इतनी पोटेन्शियेलिटी है अन्न उत्पादन में कि जो हिन्दुस्तान की मांग को एक बहुत बड़ी सीमा तक पूरा करता है, मैं नहीं समझता कि उस इलाके के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन की भावना क्यों पैदा हुई और आइन्दा भी वह डिस्क्रिमिनेशन की भावना क्यों कायम है। इस सीट के बारे में फैसला लाजिमी करना चाहिये कि हमारी इसमें कहां तक टेरिटोरियल भावना है। आज तक बिका-नेर डिविजन में हुआ डेवलपमेन्ट का सारा काम देख लीजिये, विकास के काम देख लीजिये, इसमें इमें कितना पैसा मिला है, जब कि दूसरी तरफ राजस्थान की प्रोस्पेरिटी में, राजस्थान के खजाने में, राजस्थान की एकता बनाये रखने में हमारा हिस्सा आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा बीकानेर डिविज़न के लोगों का मिलेगा।

अगर आज माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एजूकेशन मिनिस्टर होते तो अपने आप इस स्थिति को महसूस करते। इमोशनल इन्टीग्रेशन की बात कही जाती है, उसकी तरफ भी वे देखते और ऐलान कर देते कि स्टेट के लोगों के दिमाग इस तरह से बिगड़ें नहीं। सबके साथ समान व्यवहार हो।

एकसबमिशन मेरा और है। महाराणा

(श्री केदारनाथ)

प्रताप जैसे हिस्टोरिकल महत्व की हस्ती का नाम इसमें सुझाया गया, यह मैटर ऑफ डिबेट का मामला नहीं होना चाहिये । तो बिना बहस के ही मैं नाम आपका ले लेता हूं । युनिवर्सिटी की सीट हमें दे दीजिये । हमें एतराज नहीं । । यह मामला अहम है । इसलिये इसको ऐसे आदमियों को रेफर किया जावे तो राजनैतिक प्रभाव से दूर हों । लर्निंग, टीचिंग के क्लाइमेट, सोइल की क्वालिटी को देख कर, कल्टीवेटर के प्रोब्लेम को देख कर, इर्रिगेशन को देख कर, अच्छे फार्मों को देख-कर और इस सम्बन्धी सारे पहलुओं पर विचार करके इस पर निर्णय किया जाना चाहिये कि इस सीट को कहां रखना है । अगर इन पर पूरी सतर्कता से गौर करके राय दी जावेंगी तो आखिर वही राय आवेगी जो मैंने पेश की है ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री गिधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय का विधेयक सदन के सामने जो प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में मेरे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव सदन के समक्ष रखे हैं । जहां तक सीट का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मुझे भी कुछ निवेदन करना है ।

गंगानगर और उदयपुर को कई साहिबानों ने मुकाबला किया है कि उदयपुर किस तरह से बेहतर है और गंगानगर किस तरह से उपयुक्त स्थान हो सकता है ।

जहां तक कृषि विश्व विद्यालय का प्रश्न है, वह खेतीबाड़ी करने के सवाल ही से जुड़ा हुआ नहीं है । गंगानगर में केनाल बहुत हैं, इसलिये खेती करके अनाज बहुत पैदा किया जा सकता है । पर जहां तक पढाई का ताल्लुक है और जहां तक शिक्षा के वातावरण का सम्बन्ध है, वह वहां नहीं हो सकता । इस दृष्टि से उदयपुर में अच्छा वातावरण है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । जहां तक खेती का, काश्तकारों के साथ रह कर काम करने का सवाल है और केनाल के पानी का सवाल है, वहां हम अनाज अधिक पैदा कर सकेंगे, और इसके लिए गंगानगर उपयुक्त स्थान हो सकता है । पर जहां तक रिसर्च का, पढाई करने का सवाल है, गंगानगर किस तरह से एट्रेक्टिव हो सकता है ? एजूकेशन ज्यादा अच्छी तरह से सुगम तरीके से दे सकने का सवाल है, वहां तक तो उदयपुर के सिवाय राजस्थान में कोई ऐसा स्थान नहीं हो सकता जहां पर राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना की जा सके ।

दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के लिये जो क्राइटेरिया इसमें बताया गया है कि वहां पर एग्रीकल्चरल कॉलिज हो, एनीमल हस्बेन्ड्री के सम्बन्ध में इन्स्टीट्यूशन हो और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में इन्स्टीट्यूशन्स हों और दूसरे खेती बाड़ी संबंधी इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स हों जिससे इस कालिज को मदद मिल सके तो इसके लिये यह निवेदन करना है कि राजस्थान में उदयपुर में एग्रीकल्चरल कालिज है उसके मुकाबले का दूसरा कोई कॉलेज नहीं है, जिसमें कि एग्रीकल्चर के माने में अच्छी तरह से और उपयुक्त तरीकों से शिक्षा मिल सकती

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हो। इसके साथ साथ जहां एनीमल हस्बेन्डरी का प्रश्न आता है, बीकानेर में एक कालिज है तो उदयपुर में इस सम्बन्ध में पाल्ट्री वगैरह का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और इस कालिज की तहत में वह काम करता है। सोइल इर्रिगेशन और सोइल कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में भी उदयपुर में काफी कार्य हुए हैं इसके द्वारा। यहां के जितने स्टूडेन्ट्स हैं जो एक्सपर्ट रिसर्च करना चाहते हैं वे भी वहां पर काम कर सकते हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि इर्रिगेशन के लिये भी कुछ सदस्य साहिबानों ने सुझाव दिया कि राजस्थान केनाल की वजह से गंगानगर में सबसे ज्यादा इर्रिगेशन हो सकता है, वहां बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं; रशियन है, अमेरिकन है; पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इनका क्या ताल्लुक हो सकता है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या इन फार्मों में होगी? इन फार्मों से ताल्लुक नहीं होगा। हां, थोड़ा एक्सपेरिमेन्ट देखने का काम इनसे पड़ेगा। उदयपुर के आसपास भी काफी फार्म्स हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : विश्वविद्यालय का इन फार्मों से ताल्लुक होता है जैसे मेडिकल स्टुडेन्ट्स का मेडिकल हॉस्पिटल से। फार्मों के एक्सपेरिमेन्ट से भी उनको सीखना होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो उदयपुर में रहने वाले गंगानगर में जाकर देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या उदयपुर में लड़के रहते ही नहीं हैं क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : और उनसे वे चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि कृषि विश्वविद्यालय और इर्रिगेशन का जहां तक प्रश्न है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर डिविजन में भी इर्रिगेशन के साधन कम नहीं हैं। इस डिविजन के हर डिस्ट्रिक्ट में तीन, तीन, चार, चार बन्ध बन्धे हुए हैं। तो इर्रिगेशन के साधनों से सीखने के अवसर भी इस डिविजन में कम नहीं हैं।

दूसरा यह है कि यह जो सुझाव दिया गया कि उदयपुर में न बन कर गंगानगर में बने क्योंकि वह पिछड़ा हुआ है वहां डेवलपमेंट के कामों में पैसा खर्च नहीं हुआ, तो ये बातें तो स्वयं उन्होंने ही इकबाल की हैं कि जितना पैसा गंगानगर जिले में राजस्थान सरकार का लगा है शायद ही दूसरे जिले में उतना लगा होगा। तो जिसमें इतना पैसा राजस्थान सरकार का लगा हो तो कोई कारण नहीं हो सकता कि वह पिछड़ा कहलाए और कृषि विश्व विद्यालय वहां पर भेजा जावे। इसके लिये तो सबसे उपयुक्त स्थान उदयपुर ही है।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया कि पंचायत समिति के सदस्यों को गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी तो उनके ही लोग होंगे। तो इस तरह का प्रश्न तो है ही नहीं, सब अॉपोजीशन के लोग हों या गवर्नमेंट के हों। वे चुनाव करके आते हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं। जो भी उपयुक्त आदमी होगा, कृषि पंडित होगा वही पंचायत समिति का सदस्य गवर्नमेंट की तरफ से नोमीनेट होगा। तो इसमें हमारे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यहां के जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई उसका मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता । सिर्फ यह कारण नजर आता है कि कोई भी उदयपुर का कहीं भी नाम आया कि किसी तरह से भी उदयपुर का विरोध करना है । और कोई चीज मानने में नहीं आती मेरे तो । इसलिये मेरा तो अर्ज करना है कि जो बिल कृषि विश्वविद्यालय के लिये रखा गया है इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है । राजस्थान में इससे बड़ी भारी प्रगति होगी और हम चाहते हैं कि कृषि की हमारे यहां प्रगति हो क्योंकि हमारे यहां सबसे मुख्य धन्धा लोगों का कृषि ही है । अगर हम कृषि की तरक्की नहीं करेंगे तो जिस दिशा में हम सबसे ज्यादा प्रगति करना चाहते हैं और शीघ्रता से करना चाहते हैं उसमें पिछड़ जावेंगे और हम जो पर कैपिटा इन्कम में वृद्धि करना चाहते हैं वह भी नहीं कर पावेंगे । इसलिये मेरी यह राय है कि इस कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना जल्दी से जल्दी हो ।

कुछ सदस्यों ने नाम के सम्बन्ध में भी आपत्ति उठाई है । बिल में जो राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय नाम प्रस्तुत किया गया है । मैं उसका समर्थन करता हूँ । पर एक माननीय सदस्य ने महाराणा प्रताप कृषि विश्व विद्यालय का नाम प्रस्तावित किया । उस पर कुछ भाइयों को एतराज हुआ कि इसके बजाय इसका नाम महाराजा मानसिंह विश्व विद्यालय रखा जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : महाराजा मानसिंह और अकबर में से कोई एक ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या इनका मुकाबला सदस्य साहिबान की दृष्टि में बराबर है ? तब तो जैसा उचित समझें वैसा नाम प्रस्तुत कर सकते हैं । हमें तो इन नामों के बारे में आपत्ति नहीं है । पर जिस राणा प्रताप का नाम श्रद्धा के साथ हिन्दुस्तान में ही नहीं संसार में लिया जाता है ऐसे व्यक्ति का मुकाबला मामूली आदमी से किया जावे तो यह स्वाभाविक नहीं है ।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापतिजी, राजस्थान कृषि विद्यालय विधेयक जो विचारार्थ प्रस्तुत है उस पर मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है; क्योंकि आम तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से विधेयक के जो उद्देश्य हैं उनसे दूर हट कर छोटी बातों पर बहस की जा रही है कि विश्वविद्यालय का नाम क्या हो और उसका स्थान कहां हो । नाम और स्थान का जहां तक सम्बन्ध है यह सदन के सोचने की बात है और मैं समझता हूँ कि जहाँ अच्छा स्थान हो जहां उपयुक्त परिस्थितियां हों वहां इसका स्थान हो तो बहुत ही अच्छा है । लेकिन असल में विश्वविद्यालय का जो अर्थ और उद्देश्य है वह हमारे प्रदेश की खेतीबाड़ी को बढ़ाना और इसके ज्ञान को गांवों में फैलाना है । तो इस पर मैं दो, तीन सुझाव देना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि यदि यह विधेयक प्रवर समिति को दिया जावे तब या मंत्री महोदय इसी समय लें तो मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कोशिश करें । इस विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि कृषि पशु विज्ञान आदि की शिक्षा इस विश्वविद्यालय में दी जायेगी । इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे इस सुझाव को भी स्वीकार किया जाये कि इन विषयों

(श्री रामकिशन)

के अलावा खेती में जो रोग लगते हैं उनके निवारण के लिए इसमें खास तौर से एक विभाग हो और इसकी जानकारी हमारे गांवों में अधिक से अधिक फैलाई जाये........

कुछ माननीय सदस्य : यह तो इसी में है।

श्री रामकिशन : इसके बाद मैं विश्वविद्यालय में जहां तक छात्रों के प्रवेश का सम्बन्ध है इससे उनके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह नहीं है कि इसमें शहरों के छात्रों का प्रवेश रोक दिया जाये लेकिन हमारे देश की समस्या है कि छात्र जो गांवों के हैं वह पढ़ पढ़ कर शहरों में आबाद होते जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अनुपात तय कर दिया जावे कि गांवों के इतने प्रतिशत छात्र जिनका पैतृक धन्धा खेती हो, जिनका व्यवसाय खेती हो उनको इसके दाखिले में प्राथमिकता दी जायेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका लाभ यह हो सकता है कि ग्रामीण छात्रों में जो पैतृक व्यवसाय करने वाले हैं वह आगे आ सकेंगे और ज्ञान का अच्छी तरह प्रकाश सारे क्षेत्रों में हो सकेगा। इसी तरह से नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने तरह तरह के सुझाव दिये हैं और वह विचारणीय भी हैं। लेकिन यह कोशिश की जानी चाहिये कि जो नामजदगी है या मनोनयन है उसमें खास तौर से जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनको ही लिया जावे। जैसे पंचायत समितियों के सदस्य हैं, सहकारी समितियों के सदस्य हैं या ग्रामोद्योग या महिला मण्डल की सदस्या हैं इनके लिये खास तौर से योग्यता रख दी जाये कि जो कृषि के के सम्बन्ध में इतनी सीमा तक ज्ञान रखेगा उसको ही मनोनीत किया जायेगा। तो इससे हमारे सरकार का मनोनयन का उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा और प्रतिपक्ष को जो शंका है कि बार बार कुछ आदमियों को स्थान देने के लिए या कुछ लोगों को जगह देने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है वह दूर हो सकेगी। जैसा कि कांकरोली से आनेवाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि इसके नियंत्रण की व्यवस्था को बहुत लम्बी की जा रही है इससे यह खर्चीली हो जायेगी। अगर इसको और गहराई से सोचा जाये तो मेरा ख्याल है कि नियन्त्रण के अधिकार कम से कम हों और साथ ही साथ खर्चे की व्यवस्था भी कम हो तो यह अच्छी चीज हो सकेगी।

इसमें रिसर्च का विषय भी शामिल किया है। लेकिन जहां तक वनों का सम्बन्ध है उसका हमारे राज्य में एक विशेष महत्व है। खेती, वन और पशु यह तीनों ही चीजें अपनी तरह के अलग अलग प्रश्न हैं। जंगलात की शिक्षा के लिए पूरी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर यह विश्वविद्यालय उदयपुर में खोला जाता है तो यह स्थिति जो भी हो रही है लाभदायक है क्योंकि वहां आदिवासी क्षेत्र है और वहां के निवासियों का जो मुख्य आधार है वह जंगल ही हैं। तो जंगलों में किस किस प्रकार के नये पैदावार के प्रयोग किये जा सकते हैं, किस तरह से वहां के जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, किस तरह से जंगलों की रक्षा की जा सकती है इस तरह के विषयों का प्रवेश अगर इसमें होगा तो हमारे प्रदेश के सब निवासियों को इसका लाभ मिल

(श्री रामकिशन)

सकेगा।

इसी तरह से विश्व विद्यालय में टैक्नोलोजी की बात कही गयी है लेकिन इसके साथ ही साथ इस विषय पर भी रिसर्च हो तो अच्छा हो कि छोटी मशीनों का खेती में किस मात्रा तक प्रयोग करना चाहिये और उसका क्या परिणाम निकलेगा; क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वह उत्पादन को बढाने का है। फिर साधन किस प्रकार के हों ? हमारे प्रदेश में पुरानी खेतीबाड़ी की प्रणाली चल रही है और उसमें किस प्रकार से सुधार किये जायें, इस तरह का ज्ञान भी हमारे छात्र प्राप्त कर सकें और उसको विस्तार खण्डों तथा लोगों तक पहुँचा सकें तो यह बहुत लाभदायक स्थिति होगी। इसी प्रकार इसमें मौसम का भी प्रश्न है। क्योंकि हमारी खेती मौसम, साधन, जमीन और पानी पर निर्भर करती है ! तो आज देखा यह जाता है कि मौसमवाला ज्ञान हमारे किसानों को नहीं हैं; क्योंकि अब बरसात बढती जा रही है, उसके अनुसार खेती किस तरह की हो, कौनसी खेती अच्छी हो सकती है। इन सुझावों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि इन सुझावों पर विचार करते हुए अगर यह सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये तो ठीक है। अगर नहीं किया जाता है तो इन सुझावों पर सदन में जरूर विचार किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत है और यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं; क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी गम्भीरता से सोचने की हैं जिनमें कुछ समय लग सकता है। इस बिल में जो ढांचा इस यूनिवर्सिटी का पेश किया है उसमें सर्वप्रथम मैं वह सब्जेक्ट्स लेता हूं जिनके ऊपर कि यह यूनिवर्सिटी एजूकेशन इम्पार्ट करेगी। मुख्य विषय जो कि आयेंगे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, वे हैं एग्रीकल्चरल एनीमल साइन्स, रूरल इन्डस्ट्री, एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग, वेटरनेरी साइन्स, ह्यूमन साइन्स और एनी अदर एलाइड सब्जेक्ट्स। वैसे जिस प्रकार का कॉन्टीट्यूशन थोड़ा बहुत इस बिल में आया है यह दिया गया है कि यह एक आटोनोमस यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। लेकिन इसका करेक्टर बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि यह रीडिंग यूनिवर्सिटी होगी या एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी होगी या रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी होगी। क्योंकि इसमें स्पष्ट ऐसा क्लॉज नहीं है जो कि इसको प्रोक्लेम करे, यानि इस बात की घोषणा करें कि इस यूनिवर्सिटी का वास्तविक करेक्टर क्या होगा। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य हैं विश्वविद्यालय को कायम करने के जो इस बिल के अन्त में दिये गये हैं वे यह हैं कि प्रोडक्शन को बढाना साइन्टिफिक एजूकेशन के जरिये, इस प्रकार के शिक्षित ग्रेजुएट पैदा करना जो कि प्रोडक्शन को बढा सकें और इस लक्ष्य के अन्दर ही इसमें स्थान की भी घोषणा की गई है कि यह यूनिवर्सिटी उदयपुर में होगी जो कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में आता है। बिल का एक मकसद यह भी है कि यह यूनिवर्सिटी उदयपुर में हो। अच्छा होता यदि इसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की परि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्थितियां रखी जातीं कि यूनिवर्सिटी के लिये क्या क्या परिस्थितियां हों, खोसला कमेटी की रिपोर्ट है, मिस्टर एम० पी० माथुर की रिपोर्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर एक सिनोपसिस या इस प्रकार की चीज रखी जाती तो बहुत सुन्दर होता। यूनिवर्सिटी के स्थान की घोषणा करके संकीर्णता का शिक्षा जैसे विषय में पहले ही पदार्पण कर दिया गया है जिसके पीछे हल्की सी दलील दी गयी है कि उदयपुर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज हो। मैं अर्ज करूं, माननीय सभापति, कि मैं कोई किसी क्षेत्र की वकालत करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हुआ हूँ और क्षेत्रवाद के संकीर्ण क्षेत्र में मैं प्रवेश भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना अर्ज कर दूं कि राजस्थान में इन्जीनियरिंग, एग्रीकल्चर, होम साइन्स, एनीमल हसबेन्ड्री, एग्रोनोमी, पैस्ट्रोलोजी, वगैरह २ विभिन्न विषयों के लिए जो परिस्थितियां उपस्थित हैं विभिन्न क्षेत्रों में उन पर प्रकाश अवश्य डालूंगा। उसके बाद यह सदन की इच्छा है कि सोचे कि कौन सा स्थान हो सकता है कि जो राजस्थान के विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे सकेगा, राजस्थान के विद्यार्थियों को प्रेक्टिकल प्रोडक्शन के साधनों को लेकर अधिक उत्पादन के लिए खड़ा कर सकेगा, यह स्थान जानना आपके लिए उचित होगा। मैं तो कह सकता हूँ कि क्लॉज़ ४ में जो उदयपुर का नाम दिया है और जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने कहा है कि राणा प्रताप कॉलेज हो, तो अगर राणा प्रताप भीलवाड़ा जायें, कोटा जायें तो कोटा वाले भी राणा प्रताप का स्वागत करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर उनकी आत्मा को एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के द्वारा गंगानगर ले जाना चाहें तो उनकी भावना तो जायेगी ही लेकिन उस महापुरुष का स्वागत करने के लिए गंगानगर जिला भी इन्कार नहीं करेगा। लेकिन बहुत अच्छा होता कि जहां नाम सोचते हैं तो वहां किसी ऐसे किसान का नाम भी सोचते जो कि खेती के अन्दर मेहनत कर करके मर गया हो, अधिक पैदावार के लिए खप गया हो। खैर, महाराणा प्रताप का नाम सोचते हैं तो नाम की बात छोड़िये।

इस युनिवर्सिटी का जो ढांचा पेश किया गया, किस प्रकार से इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, तो उसमें एक कन्ट्रोल बोर्ड है, एक एकेडेमिक कौन्सिल है और एक कौन्सिल ऑफ दी डीन्स है। इन तीनों चीजों के तीन विभिन्न फन्क्शन्स हैं। माननीया मंत्राणीजी ने यह कहा कि कुछ नई चीजें पेश करेंगे। मैं प्रयत्न तो नई चीजें पेश करने का करूंगा, लेकिन अगर किसी चीज़ को दोहरा जाऊं तो आप टोक दें।

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो कन्ट्रोल बोर्ड है जिसका जिक्र दफा १९ में दिया है, अगर आप उस पर दृष्टिपात करें तो मालूम होता है कि इसमें सरकारी जकड़ को कायम रखने की पूरी कोशिश की गई है। इस युनिवर्सिटी में जो शिक्षा के संबंध में ही भावना होनी चाहिए, एक निष्पक्ष भावना होनी चाहिए, जो विशाल दृष्टिकोण होना चाहिए, जो संकीर्णता का सर्वथा अभाव होना चाहिए, जिसमें एकेडेमिकल और टैक्नोलोजी के तरीके से सोचना चाहिए, जिसमें विद्वतापूर्ण तरीके से सोचना चाहिए, जिसमें टैक्-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

निकल तरीके से सोचना चाहिए, जिसमें एक साइन्टीफिक तरीके से सोचना चाहिए, एक सिस्टेमेटिक तरीके से सोचना चाहिए उसका सर्वथा अभाव है और किसी न किसी मसले के जरिये, किसी न किसी प्रणाली से राजनीति का इसमें प्रवेश कराने का प्रयत्न किया गया है । मिसाल के तौर पर आप क्लॉज़ १९ में देखिये कि एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स जो कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर होंगे के डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे, ठीक है; डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होंगे । डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्ड्री होंगे, फाइनेन्स सेक्रेटरी होंगे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होंगे । एग्रीकल्चर सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और फाइनेन्स सेक्रेटरी की बात सोचते हैं तो किसी रिसर्च स्कॉलर को अगर इस जगह कोऑप्ट करने की बात सोची जाती एक्स ऑफिशियो मेम्बर्स बनाने में या किसी डाक्टर या किसी स्कॉलर को जिसने एग्रोनोमी या व्हीट स्पेसीज या कॉटन की विभिन्न वेराइटीज का काम किया हो, जैसे डॉ० लाभसिंह, इस प्रकार के प्रेक्टिकल व्यक्तियों को जिसने ४१९ गन्ने की वेराइटी को इन्वेन्ट किया, किसी ऐसे स्कॉलर की बात प्रवेश कराने की सोचते तो कोई बात थी । शिक्षा के मामलों में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, फाइनेन्स सेक्रेटरी का सीधासादा प्रवेश हो तो इस राजनीति का इस कन्ट्रोल बोर्ड के अन्दर प्रवेश है, नौकरशाही का प्रवेश कराने का शुरू से ही प्रयत्न हो रहा है । किस प्रकार का एक ढांचा इस युनिवर्सिटी का हम बनाने जा रहे हैं; क्यों न इस कन्ट्रोल बोर्ड में वे स्कॉलर्स हों, वे व्यक्ति हों जिन्होंने बाजरे की नई स्पेसीज को ईजाद किया है, जिन्होंने जौ के संबंध में क्रोस वेराइटीज ईजाद की हैं ? क्यों न एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग का टैक्निकल आदमी हों जिन्होंने नई योजनाएं बनाई हैं ? अगर उसमें गफूर आउटलेट बनानेवाला होता तो कितना सुन्दर होता ? इसके विपरीत अगर नौकरशाही के आदमी रखते हैं तो स्पष्ट है कि युनिवर्सिटी के अन्दर राजनीति को प्रवेश कराते हैं ।

आगे चलिये :

"(1) one representative of the Rajasthan Board of the Institute of Engineering,"

जहां पर इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स में, वेटेरनेरी इन्स्टीट्यूशन्स के, बी हाइविंग के, इसके अलावा शैलाक, सिल्क वर्म प्रोडक्शन और बैटर स्पेसीज इन एनीमल हस्बेन्ड्री इन्स्टीट्यूशन्स के स्कॉलर्स का समावेश होना चाहिए था, वहां पर केवल एक व्यक्ति आ रहा है एग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग का । इससे स्पष्ट पता चलता है किस प्रकार से आरम्भ से ही इस कन्ट्रोल बोर्ड को बनाना चाहते हैं । जिन पर राष्ट्र के गौरव का सवाल है, जिनको बोर्ड में लेने का सवाल है बहुत कम तादाद के अन्दर उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज को लिया गया है । जिला परिषदों के दो रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे वे भी नोमीनेटेड । इस यूनिवर्सिटी के कन्ट्रोल बोर्ड में मेरे विचार से जहां कई प्रकार के स्कॉलर्स, पेस्टोलोजी के स्कॉलर्स, एग्रोनोमी के स्कॉलर्स और सारे एग्रीकल्चर के विभिन्न क्षेत्रों के स्कॉलर्स आने चाहिए थे वहां उन ग्राम पंचायतों से प्रेक्टिकल किसान भी आने चाहिए थे जिन्होंने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा)

अपनी परम्परा के आधार पर खेती के क्षेत्र के अन्दर उन्नति की है, वह प्रेक्टिकल किसान जिसका पसीना खेत के अन्दर गिरा है, वह विकास परिषदों से और जिला परिषदों से चुन कर आना चाहिए था और वे इससे अधिक तादाद के अन्दर आने चाहिए थे। तब प्रजातान्त्रिक कन्ट्रोल बोर्ड सही मायने के अन्दर बनता। मैं इस बोर्ड के संगठन को देखते हुए यह प्रार्थना करूंगा कि यह भी एक बहुत बड़ी दलील है कि यह बिल प्रवर समिति में जाय और इस पर विस्तृत रूप से विचार किया जाय।

अब इसके कन्ट्रोल बोर्ड का जो दूसरा हाथ है या दूसरा मद है वह एकेडेमिक कौन्सिल है। एकेडेमिक कौन्सिल एकेडेमिक मेटर्स के अन्दर इस युनिवर्सिटी को सलाह देगी। एकेडेमिक कौंसिल के अन्दर वाइस चान्सलर जो है वह चैयरमैन है। वह चेयरमैन महोदय नोमीनेटेड होंगे। उनके अलावा :

"(b) the Dean of Student Welfare,

(c) the Deans and associate Deans of the colleges,

(d) the Director of the School of Basic Science and Humanities,

(e) the Directors of research and extension,

(f) three persons from among the teachers of each college and an equal number of persons from among the teachers of the School of Basic Sciences and Humanities, to be elected in the prescribed manner."

यह भी बहुत थोड़ा है। यह एकेडेमिक कौन्सिल बहुत इम्पोर्टेन्ट कौन्सिल है। इसमें हर उस क्षेत्र का, छोटे मोटे उस विषय का जो कि इस युनिवर्सिटी का विषय है रिप्रेजेन्टेशन होना बहुत जरूरी है। केवल २, ३ डीन्स से, केवल इतने लोगों से यह एकेडेमिक कौन्सिल बनाने नहीं जा रहे हैं। एकेडेमिक कौन्सिल में स्कॉलर की एडवाइस पूरे तौर से होनी चाहिए और रिसर्च सम्बन्धी सारे का सारा रिप्रेजेन्टेशन एकेडेमिक कौन्सिल के अन्दर होना बहुत जरूरी है।

कौन्सिल ऑफ डीन्स है तो it will be in charge of that section. कौन्सिल ऑफ डीन्स जिस प्रकार की है उसमें सारे नोमीनेटेड हैं और स्पष्ट है कि आप इस पर गौर फरमावें। मैं निवेदन करता हूँ कि पूरा प्रवेश राजनीति का इस युनिवर्सिटी में हो रहा है, यह इस बात की स्पष्ट घोषणा करता है।

यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है युनिवर्सिटी का जो कि आपके सामने पेश किया गया है। अब युनिवर्सिटी के स्थान के सलेक्शन के सम्बन्ध में मैं आपके सामने पेश करूंगा कि हमारा मुख्य मकसद प्रोडक्शन है। अब राजस्थान की ओर दृष्टिपात किया जाय, राजस्थान के सारे जिलों की ओर दृष्टिपात किया जाय।

सबसे पहले मैं नहीं जानता कि फैसला करने वाली कमेटी ने राजस्थान के सारे जिलों में जाकर सर्वेक्षण किया, मुआयना किया। मैं नहीं मानता। गंगानगर में नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पहुंची, भरतपुर में नहीं पहुंची, अलवर में नहीं पहुंची । किस जगह का उन्होंने सर्वे किया ? आप एक दफा दृष्टिपात कीजिये और सबसे पहले इस बात को सोचिये कि सबसे अधिक फसल किस जगह में होती है ? गंगानगर में होती है या और जगह होती है, क्योंकि जहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं वहां जरूरी होगा कि हर कोमोडिटी जो किसान पैदा करता है उसकी मुकम्मिल रिसर्च की जाय। यह आवश्यक होगा कि गेहूँ के ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज पैदा की जायं, कपास के ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज पैदा की जायं और किसानों के काम में आने वाली चीजों की ज्यादा से ज्यादा स्पेसीज तैयार की जावें और उनकी मुकम्मिल रिसर्च हो। पेस्ट्रोलोजी, कीड़ों से फसल का नुकसान होता है, उस पर मुकम्मिल रिसर्च करने की जरूरत है। आज किसान के खेत को कीड़े खाते हैं। उसके सम्बन्ध में कुछ मेडिशिन्स जैसे बर्मा शैल की Andrine या B.V.C. आई हैं लेकिन उनसे मुकम्मिल कामयाबी हासिल नहीं हुई है क्योंकि प्राइवेट तौर पर जो आई हैं वे गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया द्वारा निकाली गई मेडिसिन्स से ज्यादा अच्छी हैं, बर्मा शैल ने मंगाई है वह ज्यादा महंगी है इसलिये किसान उसको खरीद नहीं सकते। इसलिये वे इस क्षेत्र में ज्यादा कामयाब नहीं हैं। इसलिये बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के केमिकल्स आवें जो फायदेमंद हों। इसके साथ साथ खेत में दूसरे घास फूस पैदा हो जाते हैं और उनके कारण फसल अच्छी तरह से पैदा नहीं होती। उसके लिये रिसर्च की जरूरत है, इस बारे में विचार किया जाय। जहां फोर्टेलाइजर फैक्ट्री लगी हुई है और सस्ते दामों पर खाद देने जा रहे हैं, आप विचार कीजिये कोई जिला ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां पर एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग का सबसे बड़ा वर्क है, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, जहां पर गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के सारे एक्सपर्ट्स रात दिन रहते हैं, जहां पर मोडर्न इक्वीपमेन्ट्स, मोडर्न कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, इम्प्रूवमेन्ट मौजूद है, हर पार्ट में पूरा वर्क हो रहा है यदि ऐसा कोई जिला है, ऐसा कोई स्थान है जहां पर गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के ही नहीं; बल्कि एशिया के एक्सपर्ट्स आते हैं, जहां दुनिया के राष्ट्रों की मशीनरी मौजूद है, दूसरे बड़े राष्ट्र अमेरिका की मशीनरी आने वाली है वह एक मात्र गंगानगर जिला है। जब कि सरकार की या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की योजना है कि बोर्डर्स पर एक मैकेनाइज्ड फार्म्स का बेल्ट बनाया जाय, कोऑपरेटिव फार्म्स का बेल्ट बनाया जाय जिससे कृषि का सुधार हो। ऐसे जिले के बारे में विचार नहीं किया तो संकीर्णता से सोचा हुआ मकसद है। मैं ऐसे जिले का नाम लेने को तैयार नहीं हूँ लेकिन सदन का हर माननीय व्यक्ति जानता है। तब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल आपके सामने आ रहा है।

दरअसल में इस सम्बन्ध में एक दलील और पेश हुई और वह दलील यह थी कि यूनिवर्सिटी एक फैकल्टी में न हो या एक पर्टिकूलर सबजेक्ट की युनिवर्सिटी न बने, बल्कि इन्टीग्रेटेड फैकल्टीज की, डिफरेन्ट फैकल्टीज की यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जानी चाहिये। ऐसा एक व्यू है और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट का है, जयपुर के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, राजस्थान के वे बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनका एक्सपर्ट व्यू चल रहा है उसका आधार

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है स्टेंडी-अमेरिका की युनिवासटीज में नजीर के तौर पर Massachusettes Institute of Technology वह संसार की सबसे बड़ी इन्स्टी-ट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी है लेकिन उसको युनिवर्सिटी का रूप नहीं दिया है। कहा जाता है कि इसको अमेरिकन पैटर्न पर बनाया है। रुद्रपुर में एक युनिवर्सिटी बनाई है उसका कॉन्स्टीट्यूशन मैंने देखा है, उसकी जांच की है। लेकिन उस कॉन्स्टीट्यूशन में इस प्रकार की चीज नहीं है। इस कॉन्स्टीट्यूशन में किसी अमेरिकन एक्सपर्ट का समावेश बताया जाता है लेकिन मुझे ऐसा कोई समावेश या पेटर्न नजर नहीं आता। इसके पूरे पैटर्न में क्षेत्रीय भावना का समावेश है, संकीर्ण दृष्टिकोण है जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरी राजनीति का प्रवेश है। वहां अमेरिका के एक्सपर्ट व्यू को कोट करते हैं लेकिन एक व्यू यह कहता है कि एक फैकल्टी की युनिवर्सिटी बनाने की बात गलत है। कोई टैक्निकल इन्स्टीट्यूशन एक सब्जेक्ट का बन सकता है। लेकिन यदि युनिवर्सिटी हो तो विभिन्न फैकल्टीज की होनी चाहिये और यह दलील ठोस दलील है। आप अकेले एग्रीकल्चर की युनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं दूसरे सब्जेक्ट्स या फैकल्टीज को शामिल करते? हमारे यहां जिसकी नितान्त आवश्यकता है उस फॉरेस्टरी को आप क्यों नहीं शामिल करते, जिसका कि हमारे यहां बहुत बड़ा स्कोप है? आपका जो बजट पेश हुआ है वह दृष्टिपात कराता है कि फॉरेस्टरी से आपको १ करोड़ की इन्कम है और ६५ लाख का खर्चा होता है और ५ लाख की बचत होती है। इस प्रकार की फॉरेस्टरी आपके राजस्थान में चल रही है। राजस्थान में फॉरेस्ट का ऐसा क्षेत्र है जहां से धन प्राप्त हो सकता है। राजस्थान के बहुत से गरीब लोग जिनको शिड्यूल कास्ट के कहिये, शिड्यूल ट्राइब्स के कहिये वे जंगलों में पड़े हैं। यदि इस फॉरेस्टरी का विकास किया जाय तो एक्सचैकर को तो काफी पैसा प्राप्त हो सकता है और गरीब जनता और गरीब जनता की जेब से टैक्स लगा कर पैसा छीनने की जो बात कर रहे हैं, जो किराये पर टैक्स लगा कर ट्रेज़री बैन्चेज़ एक्सचैकर को रिच करने की बात सोच रही है, यदि फॉरेस्टरी को रिसर्च के द्वारा, सही माने में डेवलप किया जाय तो २०-२५ करोड़ की आमदनी हो सकती है। अकेला जो करप्शन है, गलत ठेके सिफारिश के जरिये दिये जाते हैं उसको बन्द कर दिया जाय तो भी एक, दो करोड़ का बजट में फर्क पड़ सकता है। यदि एक्सपर्ट वर्किंग हो तो फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा आमदनी हो सकती है। आप फॉरेस्टरी की ट्रेनिंग इस युनिवर्सिटी में दें। आप दुनिया के उन क्षेत्रों का मुआयना करें जहां खेतीबाड़ी के क्षेत्र में एजुकेटेड लोग उतरे हैं। हॉलैन्ड में बहुत थोड़ा होल्डिंग है २०-२० या १५-१५ एकड़ का होल्डिंग है, पर उनके इनकम का एस्टीमेट लाख, डेढ़ लाख रुपये आता है। यदि उसको हमारी करेन्सी से कन्वर्ट करें तो भी हमारी एक्सचैन्ज वेल्यू के मुताबिक ४०-५० हजार रुपयों से भी अधिक इनकम उन छोटे छोटे होल्डिंग्स पर होती है। कारण यह है कि छोटे होल्डिंग्ज़ पर भी इस प्रकार का काम होर्टिकल्चर, पॉल्ट्री फार्म का भी, फिशरी, शीप ट्रेनिंग आदि वर्सेटाइल चीजें हैं जिनके ऊपर किसान कन्सेन्ट्रेट करता है। अब जब हम यहां पर

Page No. 99

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सीलिंग की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन सिखाना पड़ेगा। उसमें उनकी रूचि पैदा करने के लिये एक्सपर्ट एडवाइजर्स....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

I have not yet done with it.

श्री सभापति : You have taken enough time. You may finish within time.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : How can I ?

सूई ५ पर पहुंच चुकी है ।

श्री सभापति : You should finish within a minute.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो मैं अर्ज कर रहा था वह अधूरा रहेगा, समय समाप्त हो रहा है । हॉर्टिकल्चर, बी हाइविंग, एनीमल हस्बेन्ड्री आदि डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स हैं, इनकी मल्टी फैकल्टी युनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिये। कोई कारण नहीं है कि जो युनिवर्सिटी बना रहे हैं वह एक ही फैकल्टी की हो। एडमिनिस्ट्रेटिव बोडीज़ का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है वह ढांचा डेमोक्रेटिक तरीके का होना चाहिये और दूसरी वेरियस फैकल्टीज़ बनाने की बात सोचनी चाहिये। इतनी बातें प्रवर समिति के बिना नहीं सोची जा सकती। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ५ बजे, दिनांक ६ अप्रेल, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ५ अप्रैल, १९६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२४६४
जल अन्वेषण, चांदण-जैसलमेर ।	
गम्भीर नदी पर पुल निर्माण ।	
सपोटरा-केला देवी सड़क ।	
परिवार नियोजन ।	
अलवर म्युनिसिपल कौंसिल द्वारा चुंगी की नई दरें ।	
फिशरीज प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर ।	
नाथद्वारा में सिविल एण्ड एसिस्टेन्ट सेशन्स जज के न्यायालय की स्थापना ।	
भांडारेज मोड़-उकाली सड़क ।	
इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट-बीकानेर ।	
दिल्ली-बीकानेर नेशनल हाईवे ।	
सवाई माधोपुर जिले में डॉक्टरों की नियुक्तियां ।	
जयपुर-आगरा रोड को जयपुर-दिल्ली के हाईवे से मिलाने की योजना ।	
जालोर में पक्की सड़कों का निर्माण ।	
सूरतगढ़ में होस्पीटल खोलने की योजना ।	
भाखड़ा विद्युत् योजना ।	
मंत्रियों में अविश्वास के प्रस्ताव	२४६७
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, १३२ के अन्तर्गत मंत्री परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करने संबंधी श्री रामकिशन (बैर) एवं श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) द्वारा दिये गये प्रस्तावों को सदन के समक्ष पढ़ा गया । इन प्रस्तावों के पक्ष में सदस्यों की समग्र संख्या के पांचवें भाग से कम सदस्य खड़े हुए; अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई ।	
स्थगन प्रस्ताव	२४६९
जयपुर नगर परिषद् के हरिजन कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल तथा उससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर) द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा	

स्कम्भ

नहीं दी गई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना २५००

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जयपुर नगर-परिषद् के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। स्वायत्त शासन मंत्री श्री बरकतुल्लाखां ने उपरोक्त विषय पर एक वक्तव्य दिया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र २५०६

(क) श्री नाथूराम मिर्धा, पंचायत मंत्री, ने राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ८९ के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (जनरल) नियम, १९६१ पुनः सदन की मेज पर रखे।

(ख) श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री ने राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ की धारा ७९ (१) के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (डिक्लेरेशन ऑफ कृषि निपुण) नियम, १९६१ पुनः सदन की मेज पर रखे।

[उपरोक्त नियम द्वितीय राजस्थान विधान सभा के ग्यारहवें सत्र में सदन की मेज पर रखे गये थे। चूंकि संबंधित अधिनियम में उल्लिखित कालावधि पूरी न हो सकी थी अतः इन नियमों को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १९९ (२) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया]

स्कम्भ

विधायी कार्य २५०७

(क) **पुरःस्थापित किये गये विधेयकः**—निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गयेः—

(१) राजस्थान अध्यारोपित (सुपरइम्पोज्ड) स्टाम्प वैधकरण विधेयक, १९६२

(२) जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२

(ख) **विचारार्थ लिये गये विधेयकः**–(१) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६२

उपरोक्त विधेयक पर आज अग्रेत्तर खण्डशः विचार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १६६२ २५१८

श्री बरकतुल्ला खां, स्वायत शासन मंत्री का यह प्रस्ताव कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया जाकर विधेयक पर खण्डश: विचार किया गया ।

विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(३) राजस्थान अराई तहसील (अजस्त्र अस्तित्व) वैधकरण विधेयक, १६६२ २५६८

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व का यह प्रस्ताव कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(४) राजस्थान डिवीजनल कमिश्नर (पद उन्मूलन) विधेयक, १६६२ २५६६

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री विजयसिंह झाला, (नाथद्वारा) ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

उप-मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया गया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(५) राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२ २५८३

श्रीमती कमला वेनीवाल, उप-मंत्री, कृषि के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

उपरोक्त प्रस्तावों पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार, दिनांक ६ अप्रेल, १६६२ को प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

दिनांक ६ अप्रेल, १६६२ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२ (प्रवर समिति को) ।

(२) विधान सभा की विभिन्न समितियों का गठन ।

(३) जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२ (प्रवर समिति को) ।

परिशिष्ट १

(कृपया तांराकित प्रश्न संख्या १२० का उत्तर देखिए)

सूची

1.	Reserve List-Karauli.	2.
2.	Karauli Hospital.	2.
3.	Narauli Dispensary.	1.
4.	P. P. Centre, Sawai Madhopur.	1.
5.	Primary Health Centre, Balghat.	1.
6.	Gram Sewak Training Centre, Sawai Madhopur.	1.
7.	Primary Health Centre, Bhagwatgarh.	1.
8.	Primary Health Centre, Hindaun.	1.
9.	Primary Health Centre, Masalpur.	2.
10.	Primary Health Centre, Mandawar.	1.
11.	Primary Health Centre, Gangapur.	1.
12.	Primary Health Centre, Gudha Chanderji.	1.
13.	Wazirpur Dispensary.	1.
	Total	16.

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, ५ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२४६६	४	नदन्वाना	नन्दवाना
२४७४	१६	फिशरज़	फिशरीज़
२४७७	१५	नायद्वारा	नाथद्वारा
२४७८	१७	श्री मथुरादास मथुर	श्री मथुरादास माथुर
२४८७	७	लोगो	लोगों
२४६४	१८	यदि, हां, तो क्यों ?	यदि हां, तो क्यों ?
,,	२२	उप-मन्त्री कृषि,	उप-मन्त्री, कृषि
२४६५	अन्तिम पंक्ति	हो रहें हैं	हो रहे हैं ।
२५०६	२	वीपर्स	स्वीपर्स
,,	१०	है । जो	है । पर जो
२५०७	अंतिम पंक्ति	वेलिडेटिग	वेलिडेटिंग
२५०८	६	पुर; स्थापित	पुर: स्थापित
२५०६	२०	क यह	की यह
,,	३३	युनिवर्सिर्टि	युनिवर्सिटी
२५११	१३	इन्स्टीट्युशन्स के हो	इन्स्टीट्युशन्स के हैड हों
,,	२६	पड़तो हैं ।	पड़ती हैं
,,	२६	मंशा हैं	मंशा है
२५१२	२१	पूछ ले	पूछ लें
२५१३	६	(रायसिंह नगर)	(रायसिंह नगर)
२५१४	२०	पैनेल	पैनल

१	२	३	४
२५१५	१६	आयें है ?	आये हैं ?
२५१८	अंतिम पंक्ति	इम्प्रव	इम्प्रूव
२५२६	११	hon. ble	Hon'ble
२५२७	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
२५२८	२८	ह्यु मन	ह्यु मन
२५२९	३२	सेविग	सेविंग
२५३७	२७	को दूं	को दूं ।
२५३८	६	हॊंगा	होगा
२५३९	५	him	his
,,	१४	inrlined	inclined
,,	१५	brovisions	provisions
,,	२२	srory	sorry
२५४०	१४	"रिपग्टने"	"रिपग्नेन्ट"
२५४२	१	प्रोविजों	प्रोविजो
२५४३	१६	theu	then
२५४६	११	इम्प्रवमेंट	इम्प्रूवमेंट
२५४७	१९	ट्रस्टस	ट्रस्ट्स
२५४९	२२	porvtin	portion
,,	२९	to he	to be
२५५०	९	concerened	concerned
,,	३३	efciency	efficiency
२५५१	२	form	from
२५५३	८	departmet	department
,,	१९	में	मैं
२५५४	१	का में	का मैं

१	२	३	४
२५५६	२४	पहुंचाषे	पहुंचावें
२५६१	२२	था	या
,,	२८	मुकमेबाजी	मुकदमेबाजी
२५६२	४	श्री बरक्तुल्ला खां	श्री बरकतुल्लाखां
२५६५	५	श्री रानानन्द	श्री रामानन्द
२५६६	११	हैं	है
२५६८	२४	वैलीडेटिग बिल	वेलीडेटिंग बिल
२५६६	३	वैलीडेटिग	वेलीडेटिंग
२५७०	१०	एक्टस	एक्ट्स
२५७२	अंतिम से ३	मै	मैं
२५७३	२३	एफक्टेड	एफेक्टेड
,,	३३	भुपुर्द	सुपुर्द
२५७४	अंतिम पंक्ति	एकट्स	एक्ट्स
२५७५	२	एक्ठ्स	एक्ट्स
२५८०	११	हीं	ही
२५८२	२	Whethere	whether
२५८३	७	(उप–मन्त्र	उप–मन्त्री
,,	१६	बह	वह
२५६२	१५	सिटी	सिटी
२५६८	१३	अन्तोगत्वा	अन्ततोगत्वा
२६०५	१६	फेक्लटी	फेकल्टी
,,	१८	ऑटोनोमी	ऑटोनोमी
२६०७	अंतिम से ३	प्रत्तीक	प्रतीक
२६१२	अंतिम पंक्ति	डिस्ट्रिक	डिस्ट्रिक्ट
२६१७	२६	प्राथना	प्रार्थना

१	२	३	४
२६१६	२२	इन्स्टीत्यू ट	इन्स्टीट्यूट
२६२०	शीर्षक	विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय
,,	५	भीं	भी
२६२४	शीर्षक	५ अल, प्रे ६२	५ अप्रेल, ६२
२६२६	अंतिम से ५	पताप	प्रताप
२६२७	अंतिम से ३	सुपर्द	सुपुर्द
२६२८	अंतिम से २	इन्फॉर्सेशन	इन्फॉर्मेशन
२६२६	अंतिम पंक्ति	बनावें	बनावें
२६३५	शीर्षक	विधेयक, १६६१	विधेयक, १६६२
२६३६	१६	निडस	नीड्स
२६४०	१५	जावेंगी	जावेगी
२६४०	१६	श्री गिधारीलाल	श्री गिरधारीलाल
२६४४	शीर्ष	श्री गिरधारीलाल भार्गव	श्री गिरधारीलाल व्यास
२६४६	अंतिम से ४	ऑब्जेक्ट्स	ऑब्जेक्ट्स
२६५२	११	एग्रीक्लचर	एग्रीकल्चर
२६५४	शीर्ष	(श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
२६५६	अंतिम से २	फोर्टे	फर्टि
२६६२	१५	इम्प्रवमेन्ट	इम्प्रूवमेन्ट